खंड 4

शैक्षिक प्रबंधन में समकालीन धाराएँ

खण्ड 4 शैक्षिक प्रबन्धन में समकालीन धाराएँ

खण्ड परिचय

पाठ्यक्रम शिक्षा का स्वरूप एंव प्रबन्धन के खण्ड चार में आपका स्वागत है। इस खंड का निर्माण आपको शैक्षणिक प्रबन्धन में विविध स्तरों पर आ रहे परिवर्तनों एंव नई प्रवृतियों से परिचय कराने हेतु किया गया है। भारत में शिक्षा वैश्वीकरण, अन्तर्राष्ट्रीयकरण और निजीकरण के प्रभाव के कारण उपजे विविध परिप्रेक्ष्यों को समझने में यह इकाईयाँ आपकी मदद करेंगी। वैश्विक गुणवत्ता मापदंडों को प्राप्त करने के लिए इस खंड में विभिन्न गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रणालियों की चर्चा की गई हैं। खण्ड में यह भी ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार उत्त्रदायिस्व और स्वायत्तता एक साथ चल सकते है शिक्षण संस्थानों में उत्तरदायित्व और स्वायत्ता सुनिश्चित करने वाली विविध प्रणालियों का वर्णन भी इस खंड में है। यहां सूचना एंव संप्रेषण प्रौद्योगिकी की चर्चा भी एक नई प्रवृत्ति के रूप मे की गई है इस खंड में चार इकाईयाँ है। जो निम्नवत् है :

इकाई 13 वैश्वीकरण, अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा निजीकरण का प्रारम्भ, वैश्वीकरण पर चर्चा से होता है। आगे इकाई, शिक्षा जगत में अन्तर्राष्ट्रीयकरण की भूमिका और शिक्षा में नीति और निजीकरण कैसे योगदान कर रहे है, इस पर भी मत व्यक्त किया गया है। शिक्षा में निजी सार्वजनिक भागीदारी के विवादों तथा विभिन्न नियामक मुद्धों और चुनौतियों पर विस्तार से इकाई प्रकाश डालती है।

इकाई 14 "गुणवत्ता सुनिश्चयन एंव प्रबन्धन" शिक्षा तंत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गुणवत्ता से जुडी चिन्ताओं को प्रस्तुत करती है तथा शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रवृत्तियों की व्याख्या करती है। विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा में, सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने वाली युक्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। शिक्षा में शाश्वत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में किन गुणवत्ता संकेंतकों की आवश्यकता है और गुणवत्ता निर्धारक निकायों (NAAC,QCI,NBA) की क्या भूमिका है? इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

इकाई 15 : संस्थागत उत्तरदायित्व एंव स्वायत्तता का प्रारम्भ इसकी संप्रत्यात्मक समझ विकसित करने के साथ होता है। शैक्षणिक संस्थानों में संस्थागत उतरदायित्व सुनिश्चित करने वे विभिन्न प्रवधानों की चर्चा इकाई करती है। शैक्षणिक स्वायत्तता की सतत मांग क्यों बनी हुई है, इकाई इस प्रश्न का उत्तर खोजती है। इकाई स्वायत्तता की प्रवृति एंव प्रकारों की बात करती है। स्वायत्तता से जुड़ी विविध चुनौतियों और अवरोधों पर चर्चा आपको भारतीय संस्थानों मे वर्तमान परिदृश्य को समझने में मदद करगी।

इकाई 16 : शैक्षणिक प्रबन्धन हेतु सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संस्थानों में शैक्षणिक प्रबन्धन में ICT के प्रयोग पर केन्द्रित है। इकाई में विस्तार से ई–गवर्नेस की विधियो एवं प्रक्रियाओं के साथ शैक्षणिक प्रबन्धन उपकरणों (ERP तथा MIS) और उनकी भूमिका चर्चा की गई है। इकाई अभिलेखीकरण तथा संसाधन प्रबन्धन अर्थात् मानव संसाधन, अधोरचना, अधिगम और वित्तीय संसाधनों में आई.सी.टी. के प्रयोग की बात करती है।

इकाई 13 वैश्वीकरण, अन्तर्राष्ट्रीयकरा एवं निजीकरण

इकाई का रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 वैश्वीकरण : अर्थ तथा उपागम

13.3.1 एक प्रवृत्ति के रूप में वैश्वीकरण से आशंकाएँ

13.3.2 उदारीकरण का अर्थ

13.4 अन्तर्राष्ट्रीयकरण

13.5 निजीकरण

13.5.1 शिक्षा में निजी क्षेत्र : स्वामित्व के प्रकार

13.5.2 निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता

13.5.3 निजी भागीदारी के विकास को प्रेरित करने वाले कारक

13.5.4 निजीकरण सम्बन्धी चिंताएँ

13.5.5 शिक्षा में सरकारी – निजी भागीदारी प्रारूप (PPP Model)

13.5.6 सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (द्वितीय प्रारूप)

13.6 कुछ प्रचलित प्रतिरूप

13.7 सारांश

13.8 इकाई के अंत में अभ्यास

13.9 संदर्भ ग्रंथ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.1 प्रस्तावना

वर्तमान समाज ने पुरुष और महिलाओं की उत्पादी क्षमताओं को, उनके सामाजिक सम्बन्धों को, संस्थाओं को, और जिस प्रकार से वे स्वयं तथा अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सोचते हैं, उसको गहन रूप से प्रभावित व परिवर्तित किया है। तथापि, यह परिवर्तन मुख्यतः जिसे राष्ट्र–राज्य (Nation-State) कहा जा सकता है, तक ही सीमित थे। कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ भी थी जो राष्ट्र की सीमांत से परे होती थी : जैसे– व्यापार, पूँजी का विस्तार, ज्ञान वृद्धि, विचारधाराओं का विस्तार व फैलाव, धर्म और आस्थाएँ, संस्कृति, कला, खेल, और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना भीय लेकिन इन सभी अवस्थाओं में राष्ट्र ही अपील करने की अंतिम अदालत थी। अंतिम तीन दशकों में इस स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इनके फलस्वरूप विनिमय के नए और बड़े नेटवर्क, बहुत सारे व्यक्तियों की गति–विधि, सामान और सूचना, निवेश और संस्कृति, निरंतर रूप से बढ़ता हुआ व्यापार जैसे बड़े–बड़े परिवर्तन हुए हैं। नई–नई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ अस्तित्व में आई हैं। इन परिवर्तनों ने राष्ट्र के स्थान तथा भूमिका को बहुत गहन रूप में सीमाबद्ध कर दिया है। आज हमारा जीवन राष्ट्र की सीमाओं से परे होने वाली गतिविधि से निरंतर तथा गहरे रूप में प्रभावित हो रहा है। प्रौद्योगिकी तथा सूचना में आए परिवर्तनों ने अब तक की सुपरिचित या सामान्य अवधारणा को मूल रूप से बदल दिया है। सूचना, विस्तार, और ज्ञान के तीव्र आदान–प्रदान के द्वारा संस्कृति, अर्थव्यवस्था और

राजनीति के मध्य सम्बन्ध पुनः परिभाषित हो रहा है। शब्द वैश्वीकरण के अंतर्गत इन सभी व्यापक परिवर्तनों को समाहित करना है।

13.2 उद्देश्य

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जाएँगे कि :

- वैश्वीकरण शब्द के अर्थ की उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेंगे तथा इसके शिक्षा पर प्रभाव की विवेचना कर सकेंगे;
- शिक्षा में निजीकरण को एक प्रवृत्ति के रूप में आर्विभाव का विश्लेषण कर सकेंगे तथा इसके शिक्षा से जुड़े स्वरूपों की जाँच कर सकेंगे;
- वैश्वीकरण और निजीकरण के शिक्षा में समता और समानता पर प्रभाव को विवेचित मूल्यांकन कर सकेंगे; और
- निजीकरण के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा में प्रचलित प्रतिरूपों के औचित्य को स्पष्ट कर सकेंगे।

13.3 वैश्वीकरण : अर्थ तथा उपागम

पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण को सर्वाधिक चर्चित घटना कहा गया है। तथापि, विशिष्ट रूप से इस शब्द में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह बात गहन रूप से विवादित रही है। यह एक बहु–आयामी घटना है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण समेत विविध क्रियाकलाप तथा अन्योन्यक्रियाएँ सम्मिलित हैं।

अर्थ

एंटनी गिडुंस के अनुसार वैश्वीकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: ''यह विश्वव्यापी सामाजिक सम्बन्धों की गहनता/तीव्रता जो दूरस्थ इलाकों को इस प्रकार जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएँ हजारों मील दूर होने वाली घटनाओं द्वारा अनुकूलित हो जाती है।'' इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है जिसमें समकालीन जीवन के बहुत सारे लक्षण सम्मिलित हैं। इसे समझने के लिए कम से कम निम्नलिखित पाँच लक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण हैं :

- **विस्तारित सामाजिक सम्बन्ध**

  वैश्वीकरण में सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों का एक नेटवर्क निहित है जो दुनिया भर में फैला हुआ है और जो पहले के किसी भी दशक या अवधि से अधिक गहरा है। इसके अतिरिक्त यह किन्हीं विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, अपितु समस्त विश्व को आवृत्त किए हुए हैं।

- **प्रवाहों का तीव्रता**

  वैश्वीकरण, सूचना, पूँजी तथा सामान के तीव्र प्रवाह के रूप में प्रकट होता है। यह वस्तुएँ अन्योन्यक्रियाओं के नेटवर्क के रूप में परिणत होती हैं जिन्हें मॉनीटर करना या नियंत्रित रखना देशों के काबू की बात नहीं है। इनसे सामाजिक अन्योन्यक्रियाएँ उत्पन्न होती है जिनका भौगोलिक या सांस्कृतिक निकटता से कोई सरोकार नहीं होता। मोबाइल फोन, सैटेलाइट टेलीविजन तथा इंटरनेट, जो इन प्रवाहों पर आधारित हैं, स्थानिक फ्रेमवर्कों या संरचनाओं की परवाह नहीं करते जो अब तक संप्रेषण तथा संचार को सीमाओं में बाँधे हुए थे।

- **बढ़ती हुई अन्तर्व्याप्ति**

  संस्कृतियाँ और समाज जिनका अब तक सुस्पष्ट और अलग अस्तित्व था, एक दूसरे के साथ आमने सामने आ गए हैं और दूसरों के सामाजिक जीवन में अंतर्ग्रथित हो जाते हैं। भाषा, भोजन, वेशभूषा तथा विश्वास या आस्थाएँ सामाजिक ढाँचे के अंग बन जाते हैं।

- **वैश्विक संरचना**

  यह आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाएँ हैं जो नेटवर्किंग तथा प्रवाहों का सरलीकरण करते हैं। इनकी पहुँच राष्ट्र से आगे तक हैं। इनसे वैश्विक बाजार में सहायता मिलती है। इनमें ऐसे नियम–विनियमों को कोड सम्मिलित होता है जिन में सुचारू रूप से देश से पार की अन्योन्यक्रियाएँ होती रहती हैं। ये वैश्विक अभिशासन को रचनातंत्र प्रदान करते हैं।

- **सामाजिक सम्बन्धों का पुनः प्रतिपादन**

  वैश्वीकरण के अंतर्गत सामाजिक वर्गों के मध्य सम्बन्धों को एक वैश्विक विद्यालय पर केन्द्रित कर दिया जाता है। पूँजीवाद की पूर्व अवस्थाओं में, वर्ग सम्बन्धों को मुख्यतः राष्ट्र के चक्रवात के भीतर परिभाषित किया जाता था। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रमुख वर्गों तथा क्षेत्रों के मध्य एक गहरी अन्योन्यक्रिया होती है जो राष्ट्रीय मतभेदों को पीछे छोड़ देती है। यह आर्थिक और शक्ति सम्बन्धों में असमानताओं और विषमताओं को पुनः प्रतिपादन करती है।

विशेषताएँ

उपर्युक्त पाँच लक्षण वैश्वीकृत विश्व की निम्नलिखित विशेषताएँ दर्शाते हैं :

क) यह एक अन्तःसम्बन्धित दुनिया है। यह विश्व के किसी भी भाग में समकालिक संप्रेषण के तरीकों के कारण सम्बन्धित है। उन समस्याओं के कारण भी यह एक सम्बन्धित दुनिया है जो समस्त मानवता के सम्मुख हैं। ऐसी समस्याएँ, जैसे– वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षीण होना, आतंकवाद, समुद्रों का प्रदूषण इत्यादि किसी भी एक राष्ट्र के बस की बात नहीं है।

ख) विश्व के किसी एक कोने में हुई दूरस्थ क्रियाओं के तीव्र और महत्त्वूपर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रियाएँ दूसरे भागों में भी होती हैं। उदाहरण के लिए 1997–98 में पूर्व एशिया में आए संकट का प्रभाव न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (शेयर बाजार) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी हुआ था।

x) नई वैश्विक सामाजिक श्रेणियाँ या वर्ग उभर कर आ रहे हैं, जिन के कुछ साझे सांस्कृतिक लक्षण हैं। उदाहरण के लिए : अंग्रेजी भाषा, ब्लू जीन्स इत्यादि। ये लक्षण लगातार राष्ट्रीय संस्कृतियों में प्रवेश करते हैं और रहने, विचार करने और प्रतिक्रियाओं के रूप में एकरूपता लाने का प्रयास करते हैं।

घ) वैश्वीकरण, समस्त सामाजिक सम्बन्धों की पोटली बना देता है। इसका प्रभाव जीवन के हर पक्ष या पहलू पर होता है। तथापि, इन सम्बन्धों की गति एक जैसी न हो, यह संभव है।

ड.) वैश्वीकरण के अंतर्गत शक्ति सम्बन्ध लगातार विश्व स्तर पर प्रकट होने लगते हैं। इसके लिए नए संगठन स्थापित होते हैं।

च) संप्रेषण और संचार प्रौद्योगिकी के विकास से राष्ट्र–राज्य की शक्ति का ह्रास होता है और इससे राष्ट्र की प्रभुसत्ता को ठेस पहुँचती है।

छ) कई बार यह राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर स्थानों/इलाकों को संयोजित कर देती है।

ज) कई बार व्यक्ति तथा छोटी–छोटी संस्थाएँ जिनका अग्रिम प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण है, अपने छोटे संघ बनाकर, वैश्विक संगठनों को चुनौती दे सकते हैं।

झ) वैश्वीकरण ने अपने वर्तमान प्रारूप में आर्थिक असमानताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। यह स्थानीय संस्कृतियों के लिए खतरा बन गया है।

ण) परंतु वैश्वीकरण से नए–नए अवसर भी आए हैं। इसने व्यक्तियों के सम्मुख उपलब्ध विकल्पों की संख्या को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इसने ऐसी भौगोलिक बाधाओं, जैसे– संसाधनों तथा सूचना के सम्बन्ध में नगर, देहात तथा महानगर आदि की सीमाओं को तोड़ दिया है। आज कोई व्यक्ति एक छोटे से स्थान पर रहते हुए अपने आपको वैश्विक सम्बन्ध से जोड़े रख सकता है।

ट) वास्तव में यह वैश्विक वित्तीय बाजार का संघटन है जो वैश्वीकरण का प्रमाणांक बन जाता है। इसके अंतर्गत संचार के नए रूपों से मदद लेकर बहुत सारे नए वित्तीय सौदे आते हैं। इससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अवश्य कमज़ोर हुई है, परंतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय बान्ड मार्केट, जैसे सीमापार सौंदों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ठ) इसमें वैश्विक बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करना और शक्ति का कुछ एक संगठनों में केन्द्रीकरण सम्मिलित है। बहु–राष्ट्रीय निगमों (Multinational Corporations - MNCs) का उदय और नई भूमिका जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF), विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation - WTO) निभाने लगे हैं, इसका एक साक्ष्य है।

ड) अब तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अमरीकीकरण का बहुत बड़ा हाथ रहा है जो कोका–कोला तथा मैकडोनाल्ड जैसे प्रतीकों से प्रकट होता है। इसका दुनिया के अन्य क्षेत्रों पर बहुत बड़ा प्रभाव है।

13.3.1 एक प्रवृत्ति के रूप में वैश्वीकरण से आशंकाएँ

शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रवृत्ति के रूप में वैश्वीकरण पूर्ण रूप से अपना रूप धारण नहीं कर पाया है। तथापि, ''विदेशी शिक्षा प्रदानकर्ता विधेयक'' (Foreign Education Providers - Bill) के भारतीय संसद द्वारा पारित होने के पश्चात् अब कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं। वे क्या हैं? आइए, इनमें से कुछ चर्चा करें :

- **स्थानीय आवश्यकताओं की अन्ददेखी :** शिक्षा मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और स्थानीय सरोकारों को संबोधित करने के लिए है। अतः इस बात की चिंता है कि यदि पाठ्यचर्या उन व्यक्तियों द्वारा बनाई जाएँगी जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होगा?

- **पाश्चात्य दुनिया से विकासशील विश्व के देशों की ओर एक तरफा गति :** ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वैश्वीकरण विकासशील देशों को औपनिवेशिकोत्तर साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर करेगा। इसका अर्थ है कि विकासशील देशों की शिक्षा का उपनिवेशन हो जाएगा। इसका कारण है कि विकसित देशों से शैक्षिक सेवाओं में आने वाले वर्षों में लगातार वृद्धि होगी, परंतु विकासशील देशों से विकसित देशों में

शैक्षिक सेवाओं का प्रवाह बहुत ही कम होगा और इस प्रकार यह शैक्षिक सेवाओं का आदान–प्रदान न होकर एक तरफा प्रवाह होगा। अतः गेट्स (GATTs) जैसी संधियाँ विकासशील देशों के हित में न हों, इसकी अधिक संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में सीमा से परे शिक्षा प्रदान कर रहे समूह अपने बेहतर संसाधनों, तथा आधारभूत ढ़ाँचे के कारण पश्चिमी जगत से हैं। डिजिटल रूप से बंटी दुनिया में विकासशील देशों में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने में भी वे अपने तकनीकीगत श्रेष्ठता के कारण बेहतर स्थान पर हैं।

- **सांस्कृतिक समांगीकरण** : वैश्वीकरण को कुछ व्यक्ति पाश्चात्यकरण का पर्याय मानते हैं। अतः पाश्चात्य विचारधारा और सांस्कृतिक अपनी शैक्षिक सेवाओं के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को डुबो देगी। इस प्रकार से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो जाएगा जिससे प्रापक देशों की आने वाली पीढ़ियों का पाश्चात्यीकरण हो जाएगा और वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से अनभिज्ञ हो जाएँगे। इस कारण यदि पश्चिम का सांस्कृतिक अधिपत्य न भी हो तो भी संस्कृतियों का समांगीकरण तो हो ही जाएगा जिससे स्थानीय सांस्कृतिक समृद्धि तथा भाषिक विविधता विलुप्त हो जाएँगे।

- **शिक्षा का व्यावसायिकीकरण** : ऐसा कहा जाता है कि कुछ विकसित देश विकासशील देशों को प्रेरित करते है कि वे अपने शिक्षा के क्षेत्र खुले रखें क्योंकि वहाँ पर उच्च शिक्षा के चाहने वाले बहुत संख्या में है। यह विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार होगा।

- **शिक्षा, एक सामग्री (Commodity) के रूप में** : शिक्षा को सदा से एक सेवा कार्य समझा जाता रहा है, जिससे अध्येता प्रेरित होते हैं तथा जो उनके मस्तिष्कों को एक आकार प्रदान करती है और इस प्रकार वे शिक्षित होते हैं। लेकिन जिस रूप में कुछ शिक्षा के ठेकेदार इसे दूर शिक्षा के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं। बिना सहायक सेवाओं और मानव हस्तक्षेप के, दी जाने वाली दूर शिक्षा उन पहले से ही पैक या बंडल की गई बेचने योग्य वस्तुओं के समान हो सकती हैं जिस घर पर या कहीं भी वितरित किया जा सकता हो। इससे विद्यार्थी उपभोक्ता तथा अध्यापक उन कर्मियों के समान समझे जाएँगे जो उत्पादन प्रक्रिया में लगे रहते हैं।

ज्ञान आयोग ने विदेशी शिक्षा प्रदाताओं (Foreign Education Providers - FEP) के प्रवेश की संस्तुति कर दी है। परंतु ऐसा महसूस किया जाता है कि शिक्षा के घरेलू तथा विदेशी प्रदाताओं के लिए एक ''समतल भवस्रस्थल'' होना चाहिए। इन सबको ऐसे विनियमों के अधीन रखा जाए कि वे गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकें और निम्न गुणवत्ता सेवाओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकें।

वैश्वीकरण के लाभ

वैश्वीकरण से सम्बन्धित कुछ आशंकाओं को इसके लाभों के रूप में भी समझा जा सकता है। आइए, इन पर चर्चा करें :

- **प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मसंपोष को दूर करना** : बहुत से क्षेत्रों में हमारे देश में शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया वहाँ आरंभ की जा सकती है जहाँ विदेशों से कड़ा मुकाबला हो। उदाहरणार्थ, टेलीकॉम क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार समाप्त हो गए हैं। आज टेलीफोन कनेक्शन लेना केवल एक–आधा दिन का कार्य है न कि वर्षों की प्रतीक्षा का, जैसे पहले होता था। जहाँ तक एकाधिकार और पाश्चात्य साम्राजयवाद का सम्बन्ध है, विरोधी तर्क यह हो

सकता है कि आज भारतीय कम्पनियाँ विदेशी कम्पनियों को खरीद रही हैं – यह एक तथ्य है। कुछ भारतीय शैक्षिक संस्थाएँ भी विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकती हैं और इस प्रकार शैक्षिक निर्यात की ओर अग्रसर हो सकती हैं। भारत के कुछ निजी संस्थान तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाएँ विदेशों में शैक्षिक सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

- **विकल्पों के व्यापक अवसर :** विद्यार्थी और अध्यापक वर्ग, देश में रहते हुए अपनी पसंद की शैक्षिक प्रणाली के भाग बन सकते हैं। इस प्रकार विश्व के सर्वश्रेष्ठ अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं।

- **सांस्कृतिक प्रभाव :** जब से भारत में विदेशों से समुद्री यात्री या पैदल अथवा घोड़ों पर बैठकर विद्वान लोग आए तब से ही बाह्य संस्कृति का प्रभाव हम प्राप्त करते रहे हैं। ऐसा सांस्कृतिक आदान–प्रदान स्थानीय संस्कृति की ओजस्विता तथा सहनशक्ति व स्थायित्व को बल देता है तथा उसे वर्धित करता है।

वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

आज भारत की शिक्षा प्रणाली चौराहे पर खड़ी है। इस का उदार व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा उसकी विषयवस्तु जिसे कई परिवर्तनों के बावजूद ध्यान से पोषित किया गया, आज उसमें एक मूलभूत परिवर्तन आ रहा है।

वैश्विक शिक्षा की वे प्रवृत्तियाँ जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, निम्नलिखित है :

- शिक्षा के उद्देश्यों का निम्नीकरण और सतहीकरण
- शिक्षा का विखण्डन तथा विभाजन
- सामाजिक लोकाचार से शिक्षा का अलगाव
- व्यापारीकरण, निजीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मकपरक से अभिगम्यता पर नियंत्रण
- विद्यालय प्रणाली का समांतरीकरण तथा श्रेणीबद्ध स्तरीकरण
- वर्धमान केन्द्रीकरण द्वारा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताओं का समांगीकरण

गरीब और सुविधावंचित वर्गों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की विद्यालयी शिक्षा से वंचित रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद सॉफ्टवेयर विकास तथा इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन (संचार) उद्योग, भारतीय उद्योग जगत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बहु–राष्ट्रीय निगमों में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होने के कारण शहरी और ग्रामीण विभाजन लगभग पूर्ण रूप से हो गया है।

13.3.2 उदारीकरण : अर्थ

वैश्वीकरण के संदर्भ में, उदारीकरण का अर्थ मुख्यतः अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रणों तथा विनियमों को हटाना ताकि बाजार बलों को अपना रास्ता तथा दिशा निर्धारित करने में सुगमता हो सके। आर्थिक मुद्दों पर यह प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार को और आर्थिक प्रबंधन या संचालन में राज्य की परिवर्तित भूमिका को प्राथमिकता देता है। एक व्यापक अर्थ में, इस शब्द का प्रयोग नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रचलन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण, कानून का शासन, सत्ता का उत्तरदायित्व, आवधिक चुनाव, बहुदल प्रणाली और एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए किया जाता है। इन अवस्थाओं का उद्देश्य

लोक अधिकारिकी को पारदर्शी व उत्तरदायी रूप में देखना है। अपने प्राथमिक तथा सुनिश्चित रूप में, उदारीकरण व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता घोषित करता है। एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, घरेलू अर्थव्यवस्था में संसाधनों के निर्धारण में सरकारी पाबंदियों का विलोपन, बाह्य व्यापार पर से पाबंदियों का क्रमिक रूप से विलोपन, बाह्य निवेश, ऋण, तथा तीव्र प्रौद्योगिकी विकास की भी घोषणा करता है।

इसके अतिरिक्त उदारीकरण एक संतुलित बजट, क्रमिक कराधान में कमी, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा आर्थिक प्रबंधन में राज्य की घटी हुई या कम भूमिका का समर्थन करता है। यह प्रशासकीय माध्यमों से अनुदान तथा राज्य संरक्षण संसाधन निर्धारण को नहीं चाहता। इसका मानना है कि अकुशलता, भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन अतिशय राज्य नियंत्रण में सन्निहित होते हैं।

राज्य से बाजार की ओर परिवर्तन

सन् 1970–80 के दशक में एक तर्क काफी प्रचलित हुआ था कि समाजों के सम्मुख आने वाली आर्थिक समस्याएँ, अव्यवस्थित रूप से फैलते हुए राजकीय क्षेत्र, नियमित नियोजन की नीतियाँ, कराधान की उच्च दरों, मुक्त सामाजिक कल्याण लाभ, तथा बढ़ते हुए सरकारी हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती हैं। इस से आगे कहा गया कि इन नीतियों के कारण अत्यधिक वेतन सम्बन्धी माँगों, बाजार में कठोरता से परजीवीकरण को प्रोत्साहन मिलता है जिससे बचत करने, कार्य करने, निवेश करने और जोखिम उठाने के उत्प्रेरक कुंठित हो जाते हैं।

सन् 1980 के दशक में एक मजबूत परिवर्तन देखने को मिला। यह था दुनिया के अधिकांश भागों में संसाधन निर्धारण में राज्य से बाजार की ओर गमन। इसके साथ–साथ सूचना व प्रसारण में क्रांति आई जिसने बाजार का समर्थन किया। इस परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था का व्यापक रूप से अनियमन किया गया तथा कराधान को कम करने और सरकारी खर्च घटाने के उपायों पर विचार किया जाने लगा।

बाजार को दी गई प्रमुखता जिसे उदारीकरण का समर्थन मिला, इसका वैश्विक पूँजी ने भी खुले दिल से स्वागत और समर्थन भी किया। अन्तर्वर्ती उद्यम और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने देशों पर दबाव डालना आरंभ किया कि वे उदारीकरण की नीति को अपनाएँ। 1989 में पूर्वी यूरोप में समाजवादी शासन की विफलता और 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति को बाजार की विजय के रूप में मनाया गया। इससे बाजार बलों को और अधिक प्रोत्साहन मिला।

उदारीकरण के पक्ष

उदारीकरण एक वैश्विक घटना है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गूँथी हुई है। वास्तव में अपने वर्तमान स्वरूप में उदारीकरण एक समर्थक अवस्था है जिससे किसी भी समाज में वैश्वीकरण अपनी जड़ या जगह बना ले। परंतु वे संदर्भ जिनमें इसे संचालित किया जाता है और इसके प्रारूप विभिन्न क्षेत्रों और देशों में भिन्न–भिन्न हैं।

यूरोप में, उदारीकरण से, सरकारी खर्चों में, सामाजिक सुरक्षा में, तथा कल्याण के कार्यक्रमों के खर्चों में कमी आई है जैसे आरोही कराधान में कमी, नियमित नियोजन नीतियों का परित्याग, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध, लचीला श्रम बाजार और सरकारी उद्यमों का निजीकरण। तथापि उदारीकरण ने उच्च रूप से संरक्षित कृषि उत्पादन को, अप्रवासन नीति को और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ श्रेणियों, विशेषतः वे जिससे उन्नत प्रौद्योगिकी सम्मिलित हो, प्रभावित नहीं किया।

विकासशील देशों में, अब तक, राज्य, नियमित आयात और निर्यात, विदेशी पूँजी निवेश प्रौद्योगिकी, श्रम बाजार, तथा सामूहिक सौदेबाजी का नियंत्रण करते रहे। राज्य, व्यापक रूप में औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी, बाजार तथा वित्तीय उद्यमों का प्रबंध करता है। 1970 के मध्य तक इनमें से अधिकांश देश गहन रूप से कर्जे में डूबे हुए थे। इनके लिए उदारीकरण का निहितार्थ था–राज्य निर्देशित आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी पूर्व नीतियों को उलटना। उदारीकरण की प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण करना था, जिसके लिए सरकारी खर्चों का नियंत्रण और कराधान में बढ़ोतरी करना था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति सुधार, मूल्य उदारीकरण, राज्य के खर्चे का नियंत्रण, मुद्रा अवमूल्यन, सरकारी आर्थिक सहायता की कमी और इसका क्रमिक उन्मूलन, तथा पूँजी और वित्तीय बाजार सुधार सम्मिलित थे। बाद में इन देशों ने सरकारी उद्यमों का निजीकरण, मुद्रा विनिमेयता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था का संघटन किया।

13.4 अंतर्राष्ट्रीयकरण

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कोई नई घटना नहीं है। भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक महान परंपरा रही है। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के शिक्षार्थियों को आकर्षित किया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में आधुनिक दुनिया का दृष्टिकोण कुछ अलग है।

यूनेस्को (2006) ने शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया है :

''यह ऐसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था है जो उन परिस्थितियों में होती है जहां शिक्षक, छात्र, कार्यक्रम, संस्थान या प्रदाता और पाठ्यक्रम सामग्री राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो जाती है। सीमा से परे की शिक्षा में सार्वजनिक या निजी और लाभहीन/लाभकारी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा शामिल हो सकती है। यह फेस.टू.फेस, (विदेश में यात्रा करने वाले छात्रों और विदेशों में परिसरों से छात्रों को विभिन्न रूपों को लेना) से लेकर दूरस्थ शिक्षा, (प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके और ई.लर्निंग सहित) के माध्यम से कई प्रकार के तौर.तरीकों को शामिल करता है।''

दुनिया तेजी से बदल रही है और भौगौलिक सीमाएं भी घट रही हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, दुनिया भर से शैक्षिक अवसर अब शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। इसने लंबे समय से विशेषाधिकार का आनंद प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए एक नई चुनौती पेश की है और नए संस्थानों को नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने का अवसर मिल रहा है। तीसरी दुनिया के देश न केवल विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए एक उभरते बाजार के रूप में आगे आ रहे हैं, बल्कि नए संस्थान भी उभर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रभुत्व इसके लिए एक प्रेरणा शक्ति है। ''ब्रेन.ड्रेन'' जैसी पारंपरिक अवधारणा को ''मस्तिष्क-परिसंचरण'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ने एकीकरण ने नए तरीकों, पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को विकसित करने का अवसर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित ज्ञान को लोगों और ऐसे देशों को प्रेषित किया जाता है, जहां इसे उत्पादित नहीं किया गया है। सीमा पार से छात्र प्रवाह का सबसे आम प्रचालन विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर होत है। विकसित देश और उनकी ज्ञान अर्थव्यवस्थाएँ विकाशील देशों से विकसित देशों में उच्च कुशल कर्मियों के प्रवास पर निर्भर करती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीयकरण 'संस्कृतियों में और उनके

बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है ताकि पाठ्यक्रमों की प्रकृति राष्ट्र से परे और अंतर-सांस्कृतिक हो जाए। (वर्गीज, 2020)

वैश्वीकरण के संदर्भ में उच्चशिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण GATS फ्रेमवर्क के तहत चार तरीकों से चलने वाली एक बाज़ार–मध्यित प्रक्रिया बन गई है :

- सेवा की ऐसी सीमापार आपूर्ति जहां उपभोक्ता सीमापार नहीं करते हैं। ई–लर्निंग–आधारित दूरस्थशिक्षा कार्यक्रम : ऑनलाइन विश्वविद्यालय और बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एम.ओ.ओ.सी.) व्यापार के इस तरीके के अच्छे उदाहरण हैं;
- विदेशों में खपत जहां उपभोक्ता (छात्र) सीमाओं को पार करते हैं। विदेश में अध्ययन कार्यक्रम इस व्यापार के तरीके का सबसे दृश्य रूप हैं;
- क्रॉस–कैम्पस विश्वविद्यालयों के बीच शाखा परिसरों या जुड़वांकरण और फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था के रूप में किसी अन्य देश में प्रदाता की व्यावसायिक उपस्थिति और भारतीय विश्वविद्यालयों को फिर से खोलना
- सेवाप्रदान करने के लिए दूसरे देश में व्यक्तियों की उपस्थिति। इस विधा का सबसे दृष्य रूप एक देश से दूसरे देश के प्रोफेसरों की गतिशीलता है।

यदपि सीमा–पारशिक्षा का सबसे दृश्यमान तरीका पारंपरिक रूप से छात्र गतिशीलता के माध्यम से रहा है, संस्थागत गतिशीलता ने इस सदी के पहले दशक में महत्व प्राप्त किया और कार्यक्रम गतिशीलता, विशेष रूप से MOOCs के माध्यम से, वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक में आम होगई। छात्र की गतिशीलता और संस्थागत गतिशीलता के माध्यम से व्यावसायिक रुचियों और लाभ की प्रेरणाओं को सबसे अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है। अक्सर, छात्र और संस्थान विभिन्न देशों से तीसरे देश के गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसाकि शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र (हब) में देखा जाता है।

स्रोतः वर्गीज, एन. वी. (2020) इंटरनेशनलायिजेशन ऑफ हायर एजुकेशन : ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीन्यूज, एआईयू

अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व

जब आप उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व के बारे में सोचते हैं, तो आपको दो तरीकों से सोचने की आवश्यकता है। OEC(2012), ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण निम्न स्वरुप में मायने रखता है :

अंतर्राष्ट्रीयकरण उच्च शिक्षा संस्थानों को सक्षम बनाता है :

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता में वृद्धि में;
- रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से संस्थागत शक्तियों का लाभ उठाने में;
- शैक्षणिक समुदाय को बड़ा करना, जिसके भीतर उनकी गतिविधियों को मानकीकृत किया जा सके;
- आंतरिक बौद्धिक संसाधनों को जुटाना;
- छात्र अनुभव के लिए महत्वपूर्णए समकालीन शिक्षण परिलब्धियों को जोड़ने में;
- मजबूत अनुसंधान समूहों का विकास करना।

जबकि सरकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण मायने रखता है क्योंकि यह सरकारों को सक्षम बनाता है :

- व्यापक, वैश्विक ढांचे के भीतर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रणाली विकसित करने के लिए;
- वैश्विक जागरूकता और बहु.सांस्कृतिक दक्षताओं के साथ एक कुशल कार्यबल का उत्पादन;
- वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उच्च शिक्षा निधि का उपयोग करें;
- शिक्षा सेवाओं में व्यापार से लाभ।

स्रोत : हेनेर्ड, डायमंड और रोजवैरे (2012), ओईसीडी प्रकाशन

13.4.3 शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीतिए 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने भी अपने अध्याय 12 में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ प्रतिवेदन दिए हैं, जैसे :

- विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ने में मदद मिलेगी, और भारत में उन छात्रों को अधिक गतिशीलता प्रदान करेंगे, जो विदेश में संस्थानों में अध्ययन करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने या शोध करने की इच्छा कर सकते हैं या इसके विपरीत आने की इच्छा कर सकते हैं।
- कुछ विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत की आयुष प्रणाली, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रमए सामाजिक अवसरों के लिए सार्थक अवसर वैश्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने, अधिक से अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने, और श्घर में अंतर्राष्ट्रीयकरणश् के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन, गुणवत्तायुक्त आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन, आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
- भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जो सस्ती कीमत पर श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे भारत को विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी।
- विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय, विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और सहायता से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए स्थापित किया जाएगा।
- उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और शिक्षक/छात्र आदान-प्रदान की सुविधा होगी, और विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में कैम्पस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह, विश्व के चयनित विश्वविद्यालयों. जैसे कि, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों, को भारत में काम करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ऐसी प्रविष्टि को सुविधा प्रदान वाला एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा, और इस तरह के विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ नियामक, शासन, और सामग्री मानदंडों के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी।
- इसके अलावा, भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान.प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

- विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट के स्थानांतरण अनुमति दी जाएगी, जो उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की आवश्यकताओं के उपयुक्त हो।

(स्रोत : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)

13.5 निजीकरण

संभवतः आपको ज्ञात होगा कि स्वामित्व दो प्रकार का होता है : निजी और सरकारी। यदि सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए तो पहले का अर्थ है कि स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह के पास है जबकि दूसरे का अर्थ है कि स्वामित्व सरकार के पास है। तथापि, आजकल एक तीसरी प्रकार का स्वामित्व भी प्रचलन में आ रहा है जिसे सरकारी–निजी स्वामित्व (PPP) कहते हैं। भारत में पहले शिक्षा अन्य सेवाओं की तरह मुख्यतः सरकार के नियंत्रण में होती थी परंतु, हाल में निजी स्वामित्व वाली संस्थाएँ बहुत अधिक संख्या में उभर कर आने लगी हैं। तथापि, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण अन्य क्षेत्र की निजी संस्थाओं से भिन्न है। जैसा आप जानते हैं बहुत सारे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों या व्यवसायों को अर्थव्यवस्थाके उदारीकरण के फलस्वरूप विनिवेश हो गया। और उनका स्वामित्व सरकार से निजीकरण को अन्तरित कर दिया। और इस प्रकार उनका निजीकरण हो गया। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रवृत्ति के रूप में निजीकरण विनिवेशन का प्रतिफल नहीं था। अपितु इस प्रवृत्ति की वृद्धि का श्रेय शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं विस्मयकारी वृद्धि को जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा देश की एक प्राथमिकता बन गई और समस्त जन समूह को शिक्षा देने के लिए सरकार ने कई पहलें की। जिन क्षेत्रों का सम्बन्ध जन समूहों से था, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, वे आज भी सरकार के नियंत्रण में हैं। निजी संस्थाओं के विषय में एक सामान्य धारणा यह है कि वे शिक्षा के गुणवत्ता पक्ष की देखभाल अधिक अच्छी प्रकार से करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य अभिजात या विशिष्ट वर्ग को शिक्षा देना है। परंतु अब विद्यालयी स्तर पर, निजी विद्यालयों की माँग सभी वर्गों में बढ़ रही है। इसका कारण है कि गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में सरकारी विद्यालयों की कमियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की निजी संस्थाएँ भी लोकप्रिय होती जा रही है, इसका भी वही कारण है कि सरकारी संस्थाएँ इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

13.5.1 शिक्षा में निजी क्षेत्र : स्वामित्व के प्रकार

शायद, आप इस बात से अवगत होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण अब कोई नई घटना नहीं है, और इस प्रकार की संस्थाओं के कई प्रकार होते हैं। इनमें से कुछ पर चर्चा नीचे की गई है :

- **व्यक्तिगत स्वामी और न्यास :** समाज के धनाड्य व्यक्तियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं का संरक्षण बनना एक सामान्य बात थी। आज भी ऐसी कुछ संस्थाएँ हैं जिनका संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक संस्थाएँ है। जिनका स्वामित्व व संचालन कुछ न्यासों (Trust) के हाथों में है और जिनका निर्माण कुछ व्यक्तियों का कार्पोरेट घरानों द्वारा शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया गया है।
- **गैर–सरकारी संगठन :** ये संगठन शिक्षा प्रदान करने के लिए काफी सक्रिय है। इन में से बहुत सारे समाज के सीमांतिक वर्गों जैसे महिलाएँ, अन्य प्रकार से समर्थ, आदिवासी इत्यादि को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं।

आजिम प्रेमजी प्रतिष्ठान, ''अक्षर'', ''प्रथम'' इत्यादि कुछ ऐसे गैर–सरकारी संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं।

- **धार्मिक संस्थाएँ :** प्राचीन समय से ही धार्मिक संस्थाएँ शिक्षा के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रहे हैं। बौद्ध मठ, मदरसे, विद्यापीठ ऐसे शिक्षा के केन्द्र रहे हैं जो अतीत में फले फूले। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लम्बे समय से इसाई मिशनरी कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त आजकल खालसा समूह, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा बहुत से अन्य ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए काफी कुछ योगदान दे रहे हैं।
- **कार्पोरेट घराने :** बहुत से कार्पोरेट घराने शिक्षा के उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। प्रसिद्ध उद्यागपति जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस समूह और बहुत से अन्य ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है।

इस प्रकार लोग व्यक्तिगत रूप में, तथा समूहों, संगठनों, संस्थाओं और समुदायों के रूप में शिक्षा के उद्देश्य को प्रोत्साहित करते आए हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की विद्यमानता कोई नई बात नहीं है। यह पूर्व में भी थी और आज भी है। परंतु पहले यह केवल विद्यालयी स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय थी। बाद में इसकी विद्यमानता, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुभव की जा सकने लगी। परंतु कुछ एक दशकों से शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बहुत अधिक तेजी आई है। विद्यालयों की संख्याओं, मान्य विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं, जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती हैं, में असाधारण वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से दक्षिण भारत ने अगुवाई की और बहुत थोड़े समय में व्यावसायिक शिक्षा की बहुत सारी संस्थाएँ खोली और यही प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर भी बोधगम्य है।

13.5.2 निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता

यह एक तथ्य है कि सरकार अपने आप जनसमूह को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा देना सरकार का दायित्व था जो वह अभी तक पूरा नहीं कर पाई। अतः अब यह अनुभव किया जाता है कि सरकार को निजी क्षेत्र को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को संचालित करने देना चाहिए। यह बात ब्रिटिश काल से भी उठाई जा रही है। सन् 1882 में हन्टर आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को चाहिए कि वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र से अपने आपको धीरे–धीरे दूर कर ले और इसे निजी उद्यमियों के हाथ में सौंप दे और सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दें (जेम्स और मेहिव, 1988)। सरकार को अपने प्रयास प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा गैर–औपचारिक शिक्षा आदि में लगाने चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली के मूल आधार निर्मित हो सकें।

उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी निजी संस्थाएँ हैं जो गुणवत्ता शिक्षा देती हैं। हाल ही में शल्य चिकित्सकों (Surgeon) के एक निकाय ने यह चिंता अभिव्यक्त की है कि निजी मेडिकल कॉलेज की तुलना में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सर्जिकल शिक्षा का स्तर काफी घट रहा है (फ्लकनाज़, 2005)। निजी व्यावसायिक संस्थाएँ जो अच्छा आधारिक ढाँचा प्रदान करने में सक्षम हैं, वे पाठ्यचर्या में नवचारों को बढ़ावा देती हैं, शोध सुविधाएँ प्रदान करती हैं जिनकी आवश्यकता अच्छी शिक्षा देने के लिए पड़ती है। बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने अपनी शैक्षिक संस्थाओं में अच्छा स्तर कायम रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग में एक बहुत मजबूत सम्बन्ध होता है।

विद्यालय स्तर पर यह स्वीकार किया जाता है कि निजी विद्यालय अधिक अच्छी प्रकार की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं।

13.5.3 निजी भागीदारी के विकास को प्रेरित करने वाले कारक

जैसा आप जानते हैं कि निजी संस्थाओं में एकदम से वृद्धि हुई है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

- **उदारीकरण** : पिछले कुछ दशकों में, उदारीकरण की नीतियों के लागू करने के फलस्वरूप, शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र एक बड़े पैमाने पर प्रवेश कर गया है। इन निजी क्षेत्रों की पहलों का समर्थन या सहायता करने के लिए बहुत सारी शैक्षिक संस्थाएँ जो निजी प्रबंधन समितियों के अंतर्गत खोली गई हैं, सरकार उन्हें सहायता देने लगी है। इस प्रकार शिक्षा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

- **बदलती सामाजिक आवश्यकताएँ** : हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को इस समय शिक्षित और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। सरकारी संस्थाओं से पढ़कर निकलने वालों की संख्या उस संख्या से बहुत कम है जिसकी देश को आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व की अर्थव्यवस्थाएँ परस्पर जुड़ती जा रही हैं। अतः व्यावसायिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता विदेशों में भी है। जनशक्ति की यह बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना मात्र सार्वजनिक क्षेत्र के बस की बात नहीं हैं। अतः निजी संस्थाओं की आवश्यकता बढ़ गई है।

- **शिक्षा का स्तर** : इस के बावजूद कि सरकारी तंत्र प्रारंभिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए संसाधनों को झौंक रही है, फिर भी यह भली–भाँति जाना हुआ तथ्य है कि शिक्षा का स्तर या इसका अवबोधन, जो सरकारी विद्यालयों में देखा जा रहा है, निजी विद्यालयों की तुलना में बहुत नीचे हैं। यही कारण है कि निजी विद्यालयों के प्रति सनक बढ़ती जा रही है और फलतः उनकी संख्या भी। यह एक व्यंगात्मक स्थिति है कि जहाँ सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में बहुत भारी प्रक्रिया निवेश किया जा रहा है, परंतु फिर भी माता–पिता अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना चाहते हैं क्योंकि इनका शैक्षिक स्तर सरकारी विद्यालयों से कहीं श्रेष्ठ है। बहुत से राज्यों में शहरी बच्चों की बहुत बड़ी संख्या निजी विद्यालयों में पढ़ती है। ''प्रथम'' के तथा अन्य स्रोतों के अनुसार निजी प्रारंभिक विद्यालय मूल कौशलों में अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करते हैं (पटनायक, 2006)।

- **उच्च प्रतिलाभ के लिए शिक्षा में निवेश** : वर्तमान समय में यह दिखाई देता है कि निजी संस्थाओं का आविर्भाव है। पहले शिक्षा केवल लोकोपकारी उद्देश्य से दी जाती थी, परंतु अब इसे लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ जोड़ दिया गया है। यह सर्वविदित है कि शिक्षा में किया गया निवेश उच्च प्रतिलाभ से पुरस्कृत होता है।

यह बात केवल भारत के संदर्भ में ही सत्य नहीं है अपितु समस्त विश्व के लिए भी यह सत्य है और शिक्षा के व्यापार में खरबों डॉलरों का निवेश होता है। उदाहरण के लिए यह सर्वविदित है कि निजी निवेशकों द्वारा बहुत बड़ी सुख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली जा रही हैं। आज देश भर में इनकी संख्या 10,000 से भी अधिक हो गई है। धनाड्य तथा संपन्न व्यक्तियों द्वारा निजी विद्यालय खोले जाते हैं ताकि उनकी आय बढ़ती रहे।

13.5.4 निजीकरण सम्बन्धी चिंताएँ

अब तक हमने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। तथापि, इन निजी संस्थाओं की तीव्रता से बढ़ती संख्या के प्रति कुछ चिंताएँ अनुभव की जा रही है, क्योंकि कुछ अवस्थाओं में, जैसा ऊपर कहा गया है कि इनकी वृद्धि कुकुरमत्तों की तरह हो रही है। आइए, इससे सम्बन्धित कुछ मुख्य मामलों पर चर्चा करे।

कमज़ोर वर्गों का कम प्रतिनिधित्व

शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार समग्र या सकल रूप से होना चाहिए जिसतें जन समूह के व्यापक भागों को स्थान मिल सके। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन लागतार बढ़ती हुई निजी शैक्षिक संस्थाओं में सभी वर्गों को स्थान नहीं मिलता। विशेषकर सीमान्त वर्ग के बच्चे इन संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी अब भी पचास प्रतिशत से नीचे है, विशेषकर उन व्यावसायिक संस्थाओं में जो निजी रूप से चलाई जा रही हैं। जब निजी संस्थाएँ मेधावी परंतु गरीब बच्चों को प्रवेश से वंचित कर देंगे तो शिक्षा संपन्न वर्ग का एक विशेषाधिकार बन कर रह जाएगी जो हमारे संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय की भावना के प्रतिकूल होगा।

शिक्षा का स्तर

यद्यपि, प्रायः शिक्षा में गुणवत्ता का श्रेय निजी क्षेत्र को दिया जाता है, परंतु जिस प्रकार कुछ क्षेत्रों में इनका विस्तार हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाओं में गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

शिक्षा का व्यावसायिकीकरण

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि आजकल धनाड्य किसान, व्यापारी, ठेकेदार तथा अन्य संपन्न व समृद्ध व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। इसका एक स्पष्ट कारण है कि इस से बहुत अधिक प्रतिलाभ मिल जाता है। इस प्रतिलाभ के लिए प्रबंधनकर्त्ता बहुत सारी ऐसी संस्थाओं में अध्यापकों को कम वेतन देते हैं, जब मर्जी हो उन्हें निकाल देते हैं और प्रायः उनकी भर्ती करते हैं जिनकी योग्यताएँ कम होती हैं और विद्यार्थियों से किसी न किसी बहाने पैसा ऐंठ लिया जाता है। इस तरह के अनाचार का शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। आजकल निजी संस्थाओं द्वारा कैपिटेशन शुल्क (प्रति शुल्क) लेने पर पाबंदी लगाई गई है और किसी प्रकार से लाभ कमाना अस्वीकार्य है।

फिर भी, बहुत सारी निजी संस्थाएँ शुल्क लेते हैं और विद्यार्थियों को उन द्वारा दिए गए धन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वह संस्थाएँ पूरी सुविधाएँ नहीं देते और न ही अध्यापकों को सही या उचित वेतन देते हैं।

आजकल कुछ क्षेत्रों में निजी संस्थाओं की संख्या सरकारी संस्थाओं से काफी अधिक हो गई है और उनका शिक्षा का स्तर गिरता भी जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और एक चुनौती भी कि किस प्रकार इन संस्थाओं को सही रास्ते पर लाया जाए।

13.5.5 सरकारी–निजी भागीदारी

शिक्षा का प्रतिरूप जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी–निजी भागीदारी (Public Private Partnership - PPP) पिछले कुछ दशकों से नई विकासात्मक कार्यनीतियों का एक नारा बन गया है। इसे एक नवाचारी विचारधारा के रूप में प्रक्षेपित किया गया है ताकि निजी

संसाधनों को काम में लाया जा सके और निजी क्षेत्र को राष्ट्र विकास के भागीदार होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका समर्थन उस अवस्था में अधिक किया जाता है जब सार्वजनिक संसाधन अपर्याप्त या कम होते हैं। सरकारी–निजी भागीदारी का योगदान सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों तक ही सीमित नहीं है अपितु इनका फैलाव मानव विकास क्षेत्र (जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य) तक भी किया जा रहा है।

शिक्षा के सन्दर्भ में सरकारी–निजी–भागीदारी को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्त्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में प्रस्तावित किया गया। दूसरी बातों के अतिरिक्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा में 6,000 नए मॉडल विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जो सभी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। इनमें से 2,500 विद्यालय सरकारी–निजी–भागीदारी योजना के अंतर्गत होंगे। भावना यह है कि ये सभी विद्यालय पिछड़े क्षेत्र और दूरदराज योजना के अंतर्गत होंगे। भावना यह है कि ये सभी विद्यालय पिछड़े क्षेत्र और दूरदराज क्षेत्रों में खेले जाने हैं जहाँ अच्छी विद्यालय सम्बन्धी सुविधाएँ विद्यमान नहीं हैं, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा अभिगम्य हो सके।

निजी क्षेत्र के परामर्श से योजना आयोग द्वारा निश्चित किए गए मॉडल के अनुसार, इन विद्यालय की स्थापना 2014 तक हो जाएगी जिनमें कुल 65 लाख विद्यार्थी वंचित वर्गों से होंगे। इन से केवल नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में लगभग 2,500 विद्यार्थी होंगे जिनमें 1,000 विद्यार्थी बंचति वर्गों के होंगे। इन 1,000 विद्यार्थियों मेंसे आधे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से होंगे। शेष बच्चे जो अन्य वंचित वर्गों से होंगे। वे परिवार जो आयकर सीमा में नहीं आते, उन्हें शुल्क के रूप में 50 रूपए प्रति मास देने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति आदि वाले समूह को केवल 25 रूपए प्रति मास देने हों। इन बच्चों का शेष शुल्क जिसका अनुमान लभग 1,000 से 1,200 रूपए प्रति मास प्रति बच्चा है, इन विद्यालयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि सरकार को सन् 2017 तक 10,500 करोड़ रूपए देने पड़ेंगे। यह राशि बढ़ती कीमतों के साथ तथा शिक्षा की वर्धमान लागत के साथ बढ़ भी सकती है।

इससे अतिरिक्त, विद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र से अन्य संगत निधि भी मिल सकती है। शेष बची 15,00 सीटों के लिए विद्यालय अपनी मर्जी से किसी को भी प्रवेश दे सकते है और जितना चाहे शुल्क ले सकते हैं।

कार्पोरेट कम्पनियाँ जिनके पास कम से कम 25 करोड़ रूपए इस कार्य के लिए होंगे, वे इस मॉडल के अंतर्गत विद्यालय स्थापित करने के लिए योग्य समझी जाएँगी। प्रत्येक कम्पनी को प्रथम विद्यालय स्थापित करने के लिए 50 लाख रूपए सरकार में जमा कराने होंगे, और इसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त विद्यालय के लिए 25 लाख रूपए देने होंगे। प्रत्येक कम्पनी अधिकतम 25 विद्यालय खोल सकती हैं। इन विद्यालयों को सर्वोत्तम आधारिक ढाँचा प्रदान करना पड़ेगा, ऐसा ढाँचा जो एक बहुत अच्छे निजी विद्यालय में उपलब्ध हैं।

कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं जो इस मॉडल में स्पष्ट हैं। प्रथम इसमें राजकोश से एक भारी धनराशि का अन्तरण निहित है जो इन निजी विद्यालयों को दिया जाएगा। दूसरे, इन विद्यालयों को अभिशासन के सभी पक्षों में असीमित स्वतंत्रता है, जिसमें वह फीस भी आती है जो ये शेष 1,500 बच्चों से लेंगे। इस प्रकार यह मॉडल तथाकथित अलाभकारी संस्थाओं को लाभ कमाने के लिए प्रेरित करता है। तीसरे, सरकार का इन विद्यालयों पर नियंत्रण नहीं होगा। सिवाय इसके कि सरकार उन्हें 1,000 विद्यार्थी वंचित वर्गों से दाखिल करने के लिए कहे और उनसे एक निश्चित मात्रा में फीस लें, सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।

परिणामस्वरूप, यह मॉडल जो यह दावा करता है कि यह निजीकरण के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य मुनाफा या लाभ कमाना नहीं है, वास्तव में, इसके विपरीत को प्रोत्साहित करता है अर्थात् निजीकरण और वस्तुतः उच्च श्रेणी का व्यावसायिककीकरण। यह एक विशिष्ट प्रकार का निजीकरण और व्यावसायिकीकरण है जिसमें सार्वजनिक निधि का उपयोग होता है और इससे भी महत्त्वपूर्ण है कि यह सरकारी–निजी–भागीदारी मॉडल शिक्षा को व्यावसायिक वस्तुओं और आधारित ढाँचे के निर्माण से अलग नहीं समझता और न ही इसकी आवश्यकता अनुभव करता है।

क्रियाकलाप 13.1

किसी ऐसे विद्यालय की पहचान करें जहाँ सरकारी–निजी–भागीदारी मॉडल कार्यान्वित हो रहा है। बताइए, आप इसकी प्रकार्यात्मकता का एक मुनाफा कमाने वाले विद्यालय और एक सरकारी विद्यालय से कैसे विभेद करेंगे?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.5.6 सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (द्वितीय प्रतिरूप)

हम शिक्षा में एक अन्य प्रकार के सरकारी–निजी–भागीदारी प्रकार के मॉडल से, जिसे वास्तव में सरकारी–निजी–भागीदारी की संज्ञा नहीं दी जाती से बहुत पहले से ही परिचित है और उस प्रकार के विद्यालय का बहुत बड़ा अनुभव भी है। यह है सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसे आजकल सरकार द्वारा बहुत महत्त्व नहीं दिया जाता है– जो एक न्यास भी हो सकता है तथा एक स्वैच्छिक संगठन और कभी–कभी तो एक व्यापारिक सत्ता भी हो सकती है जिसके पास इसके लिए अपनी निधि है और जो कुछ निश्चित समय से विद्यालय को अपने आप चला रही है जब तक यह आवर्ती खर्चों के लिए सरकारी सहायता के योग्य नहीं हो जाती। इस प्रकार के खर्चों में अनिवार्यतः वेतन सम्बन्धी खर्चे सम्मिलित होते हैं पर मात्र ये ही नहीं।

यह विद्यालय सरकार के नियम–विनियमों के आधीन कार्य करते हैं विशेषकर प्रवेश, शुल्क, छात्रवृत्ति, तथाअन्य प्रेरक तथा वित्तीय सहायता, स्टाफ की भर्ती, वेतन, इत्यादि के मामलों में। सारांश में, ये विद्यालय सरकारी विद्यालयों से बहुत अधिक अलग नहीं हैं, केवल इनकी प्रबंधकारिणी निजी क्षेत्र से सम्बन्धित है। इन विद्यालयों को सरकार द्वारा 95 प्रतिशत तक सरकारी सहायता मिलती है, और कई बार गैर–आवर्ती खर्चों का भी कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। कई विद्यालयों की प्रबंधकारिणी द्वारा अनाचार करने के कारण उन विद्यालयों को सरकार ने अपनी अधीन ले लिया। कई मामलों में स्टाफ या कर्मचारियों का वेतन उन्हें सीधे सरकार द्वारा दिया जाने लगा।

सहायता प्राप्त विद्यालय प्रणाली, जो आज भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य भाग है, और प्रस्तावित सरकारी–निजी–भागीदारी मॉडल में मुख्य अन्तर सरकारी नियंत्रण और निजी प्रबंधकारिणी में है। वर्तमान सरकारी–निजी–भागीदारी मॉडल, जिसकी कल्पना

नव–उदारवादी काल में हुई, में शिक्षा पर सरकारी या अन्य प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रावधान नहीं है। वास्तव में यह निजी क्षेत्र को असीमित शक्ति व अधिकार प्रदान करता है। पहले किए गए चिंतन के अनुसार ये विद्यालय ''प्रमाण'' विद्यालय बनने थे और दस वर्ष के पश्चात् जब सरकारी सहायता समाप्त हो जाती तो पूर्ण रूपेण निजी विद्यालयों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे, सहायता प्राप्त विद्यालय प्रणाली में मुनाफा कमाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, यद्यपि कुछ विद्यालयों ने अनुचित तरीकों से मुनाफा कमाया। इसके विपरीत सरकारी–निजी–भागीदारी मॉडल प्रत्यक्ष रूप में लाभ कमाने की अनुमति देता है, क्योंकि ये विद्यालय किसी भी स्तर तक फीस वसूल करने के लिए स्वतंत्र है और सरकार का न तो फीस दर निर्धारित करने में और न ही विद्यालय के खर्चों को निर्धारित या विनियमित करने सम्बन्धी कोई भूमिका है। कयोंकि कोई भी निजी कम्पनी यदि कोई विद्यालय क्यों खोलेगी यदि इसे इसमें कुछ उचित लाभ नहीं मिलता है।

निजी विद्यालयों का पहले प्रतिमान (सरकारी सहायता प्राप्त) का उद्देश्य लोकोपकार को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक योगदान देना था। परंतु यह वर्तमान प्रस्तावित प्रतिमान (सरकारी–निजी–भागीदारी) एकदम से भिन्न प्रतीत होता है। यह व्यावसायिक कम्पनियों को आमंत्रित करता है जिनका परोक्ष उद्देश्य, विद्यालय की स्थापना करने और किसके लिए (विद्यार्थियों) की दृष्टि से शैक्षिक उद्देश्यों के प्रतिकूल हो सकता है। इसके लिए शिक्षा और व्यावसायिक वस्तुओं के निर्माण में कोई अन्तर नहीं है जब तक यह आकर्शक लाभ सुनिश्चित करती हैं।

निजी क्षेत्र में लोकोपकार प्रोत्साहित करने और उनमें, सामाजिक दायित्व का भाव उत्पन्न की बजाए सरकार उन्हें शिक्षा में एक सामान्य व्यापार करने के लिए आमंत्रित कर रही है जिसमें भारी मात्रा में सरकारी वित्तीय सहायता निहित है, और संभवतः प्रारंभिक शिक्षा को भी इसमें सम्मिलित कर रही है जो वास्तव में ''शिक्षा के अधिकार'' अधिनियम के अंतर्गत आती है, जो निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का वचन देती है।

क्रियाकलाप 9.2

इस द्वितीय प्रकार के उन सरकारी–निजी–भागीदारी मॉडल विद्यालयों को सूचीबद्ध करें जो आपके क्षेत्र में चल रहे हैं। इन्हें किस–किस प्रकार की कठिनाइयों कासामना करना पड़ता है? आप किस मॉडल में सरकारी–निजी–भागीदारी विद्यालय को प्राथमिकता देंगे और क्यों?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्रोतः तिलक, जे.बी.जी. सार्वजनिक–निजी भागीदारी प्राथमिक एवं द्वितीय मॉडल, The Hindi Newspaper 25 May 2010, http://www.hindu.com/2010/05/21

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विद्यालयी शिक्षा में सरकारी–निजी–संयुक्त उद्यमों के क्या लाभ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) विद्यालयी शिक्षा में निजी क्षेत्र को सौंपने के क्या निहितार्थ होंगे?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.6 कुछ प्रचलित प्रतिरूप

i) सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय

इन विद्यालयों में निजी हिस्सेदार विद्यालय स्थापित करता है, भूमि, भवन और आधारभूत संरचना की कुल पूँजी लागत को वहन करता है, तथा अध्यापन तथा गैर–अध्यापन कर्मचाकरियों को नियोजित करता है। विद्यालय की प्रबंधकारिणी निजी हिस्सेदार के साथ होती है। जब यह निजी विद्यालय बिना सरकारी सहायता के कुछ वर्षों तक चला लिया गया होता है, तो सरकार कुछ स्वीकृत संख्या के लिए अनुदान देती है। अधिकांश राज्य सरकारें इस मॉडल में मासिक आधार पर 100 प्रतिशत वेतन देती हैं। कुछ राज्य सरकारें 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान करती हैं और 10 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए प्राप्त विद्यालय प्रबंधकारिणी पर छोड़ देती है। कुछ राज्य सरकारें आंशिक रूप में गैर–आवर्ती खर्चा भी देती हैं जो कुछ मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। सामान्यतः सरकारें पूँजी लागत, चाहे वह निर्माण सम्बन्धी हो अथवा मरम्मत सम्बन्धी, नहीं देती है। विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क सरकारी विद्यालयों में लिए जाने वाले शुल्क के समान होता है क्योंकि गैर–आवर्ती खर्चा सरकार द्वारा नहीं दिया जात, सामान्यतः विद्यालय एक अलग मासिक शुल्क किसी अन्य रूप में विद्यार्थियों से प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतः इन विद्यालयों का अनुदान उनके निष्पादन से जुड़ा नहीं होता है। एक बार विद्यालय को सहायता प्राप्त की स्थिति मिल जाए तो यह निरंतर रूप से चलती रहेगी। विद्यार्थियों की संख्या, उनकी उपस्थिति, अध्यापकों या विद्यालय के निष्पादन से इसका कोई सरोकार नहीं होता है।

ii) **आंध्र प्रदेश के आवासीय विद्यालय**

आंध्र प्रदेश ने एक नई योजना चलाई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, सामान्यतः ग्रामीण या अर्ध–शहरी क्षेत्रों में, गैर–सरकारी संगठनों जैसे निजी संगठनों, शैक्षिक न्यासों और कार्पोरेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों की साझेदारी में एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन्हें बिना किसी लागत के भूमि आवंटित करेगी जो दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर होगी। परंतु ये निजी हिस्सेदार विद्यालय भवन और अन्य सुविधाओं का कुल खर्चा स्वयं वहन करेंगे। इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाएँगी जिनकी आवर्ती लागत का भुगतान राज्य सरकार करेगी। शेष 25 प्रतिशत सीटें प्रबंधकारिणी कोटा के रूप में भरी जाएगी।

iii) **पंजाब में आदर्श विद्यालय**

पंजाब सरकार निजी भागीदारी के साथ मिलकर प्रत्येक खंड स्तर पर आदर्श विद्यालय खोलने की एक योजना को लागू कर रही हैं निजी हिस्सेदार को 99 वर्ष के पट्टे पर सरकार भूमि देगी। पूँजी लागत की 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकार वहन करेगी और विद्यालय की परिचालन लागत को राज्य सरकार और निजी हिस्सेदार के मध्य क्रमशः 70: 30 के अनुपात में बाँटा जाएगा। राज्य स्तर और विद्यालय स्तर पर 2 स्तरीय प्रबंध संरचना होगी। इस मॉडल में एक कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का तत्व है।

iv) **राजस्थान में सरकारी–निजी–भागीदारी विद्यालय**

राजस्थान सरकार अपने 33 ज़िलों में से प्रत्येक ज़िलों में सरकारी–निजी–भागीदारी योजना के अंतर्गत पाँच–पाँच विद्यालय स्थापित कर रही है। ये विद्यालय खंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएँगे। निजी हिस्सेदार कुछ पूँजी लागत को वहन करेगा। राज्य सरकार किश्तों में कुछ पूँजी धन प्रदान करेगी। राज्य सरकार वाउचरों के द्वारा प्रवर्तित विद्यार्थियों के आवर्ती खर्चों की आंशिक लागत का भुगतान करेगी। प्रत्येक विद्यालय में 50 प्रतिशत बच्चे राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित किए जाएँगे।

13.7 सारांश

इस इकाई में हमने विस्तार से शिक्षा मे ंचल रही कुछ मुख्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की है। निजीकरण के विषय में यह कहा जा सकता है कि :

- विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में निजी क्षेत्र शैक्षिक अवसरों को फैलाने में सहायता कर रहा है।
- यद्यपि निजी क्षेत्र की आवश्यकता है, परंतु यदि इसे बिना पर्यवेक्षण के स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो गुणवत्ता में गंभीर त्रुटियाँ रह जाने की संभावना है।
- सरकार और इसकी एजेंसियाँ जैसे व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न परिषदें जो विद्यालयी और उच्च शिक्षा का विनियमन करती हैं, निजी क्षेत्र की प्रकार्यात्मकता के विषय में सतर्क रहना पड़ेगा और अन्धाधुंध निजीकरण पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा।

वैश्वीकरण एक अन्य मुख्य प्रवृत्ति है जिस पर इस इकाई में चर्चा की गई है। वैश्वीकरण के सम्बन्ध में कुछ आशंकाएँ हैं। उदाहरण के लिए, इससे समाज में विषमताएँ बढ़ने का खतरा है। दूसरे पाश्चात्य दुनिया अपने प्रौद्योगिकीय दंभ के कारण विकासशील देशों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर सकता है। तीसरे इस से शिक्षा को एक व्यापारीकृत वस्तु समझे जाने का खतरा है जिससे हमारी आवश्यकताओं और वाणिजय को क्षति पहुँच सकती है और अन्त में इससे हमारी सांस्कृतिक विविधता का विनाश हो सकता है।

13.8 अभ्यास प्रश्न

1) भारत में उच्च शिक्षा पर उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

2) शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसाओं कका आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

3) उच्च शिक्षा निजी सरकारी भागीदारी प्रतिमान (PPP-Model) के क्या लाभ हैं? चर्चा कीजिए।

13.9 संदर्भ ग्रंथ और अन्य उपयोगी पठनीय सामग्री

आनंद, सी.एल. (1997). कमर्शियलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इन, पाण्डा, बी.एन. एवं तिवारी, ए.डी. (संपा.), टीचर एजुकेशन, नई दिल्लीः ए.प.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन।

इग्नू (2011). सोसाइटिकल कंटेस्ट ऑफ एजूकेशन (एम.ई.एस. 014). इमर्जिंग कर्न्सन्स इन इंडियन एजुकेशन (खंड 5), नई दिल्ली

तिलक, जे.बी.जी. (2010). पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विद्यालय, ऑनलाइन एडीशन ऑफ ''दी हिन्दू'' 25 मई 2010, नई दिल्ली

वर्मा, जी.सी. (1984), माडर्न एजुकेशन इट्स ग्रोथ एंड डेवलेपमेंट इन राजस्थान (1818–1983), इंडोररू पब्लिकेशन स्कीम।

वेबसाइट

http://wwwf.icci.sedf.orgf/sedf/privateinitiative.htm
http://portal.unesco.org/education/en/ev-php
http://www.agastya.Agastaya-ICTArticle.pdf
http://www.education.nic.in/htmlweb/iamr2.htm#top;MHRD,All India enrolment inEngineering/Technology/Architecture by Levels and Sex)
http://www.ukhap.nic.in/ap%medium/20strategy.docAchieving
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496
http://wwwf.icci.sedf.orgf/sedf/privateinitiative.htm

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) निजी सहभागिता से समानता की ओर जाया जा सकता है जबकि सार्वजनिक सहभागिता से निधि और अन्य संसाधन सुगमता से उपलब्ध हो सकते हैं।

2) Write the answer based on your perception and understanding.

इकाई 14 गुणवत्ता सुनिश्चयन और प्रबंधन

इकाई संरचना

14.1 परिचय

14.2 उद्देश्य

14.3 शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चयन की विधियाँ

14.4 शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

14.5 शिक्षा के लिए शाश्वत विकास का लक्ष्य

14.6 गुणवत्ता के संकेतक

14.7 गुणवत्ता सुनिश्चयन की संस्थाएँ

14.8 सारांश

14.9 अभ्यास कार्य

14.10 संदर्भ सामग्री सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

14.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.1 परिचय

ऑक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार, गुणवत्ता का अर्थ है किसी एक प्रकार की वस्तु या मानक के सापेक्ष उसी प्रकार की अन्य वस्तु के गुण का मापन और उसमें में श्रेष्ठता के अंश का निर्धारण यह परिभाषा आगे बताती है कि गुणवत्ता का आशय वस्तु में निहित श्रेष्ठता है। इस परिभाषा का निहितार्थ है कि गुणवत्ता श्रेष्ठता का पैमाना या स्तर है। जब हम किसी पैमाने या स्तर पर पहुंच जाते हैं या उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे सामने यह चुनौती रहती है कि हम उस गुणवत्ता के स्तर को कैसे बनाए रखें। उदाहरण के लिए, हम बाजार में देख सकते हैं कि कई प्रतियोगी ब्रांड होते हैं जो बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। उनके लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है जिससे उपभोक्ता उनके उत्पाद से संतुष्ट रहे और किसी अन्य ब्रांड को ना अपनाएं।

जब किसी उत्पाद या वस्तु की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो हम इस स्थिति की जांच करते हैं। यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि उत्पाद में क्या कमी है और उत्पाद में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? जिससे उसकी गुणवत्ता का स्तर कायम रहे। अतः गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसका गुणवत्ता सुनिश्चयन एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरकर सामने आता है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की प्रभावशीलता और सुधार की संभावना को बनाए रखना होता है। यह व्यवहारिक या प्रायोगिक पक्ष है। यह समस्याओं को लक्ष्य करता है और गुणवत्ता में निरंतरता बनाए रखने व तीव्र सुधार के लिए विशिष्ट कार्य करने हेतु समूह और दल बनाता है। गुणवत्ता सुनिश्चयन का अर्थ है कि ''सुनिश्चित गुणों वाले दोषमुक्त उत्पाद को निर्मित करना, इसके द्वारा उत्पाद के लिए निर्धारित विशेषताएं निरंतर प्राप्त की जाती हैं।''

14.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- गुणवत्ता सुनिश्चयन की अवधारणा की व्याख्या कर पाएंगे;

- शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़े अभ्यासों का परीक्षण कर पाएंगे;
- शिक्षा क्षेत्र में शश्क्त विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा जगत की महत्ता को समझ पाएंगे;
- शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों पर विचार करने में समर्थ होंगे;
- शिक्षा क्षेत्र के लिए गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे।

14.3 शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चयन की विधियाँ

जब हम गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विषय में सोचते हैं तब हमारे मन में बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और उत्पादों की छवियों प्रकट होती हैं। हम सोचते हैं कि ये उत्पाद अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने में कैसे सफल या असफल होते हैं। जैसा कि आम धारणा है गुणवत्ता की अवधारणा बाजार से पैदा हुयी होगी उसके विपरीत गुणवत्ता आकलन का पहला प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में ही हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1837 में विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा 4 वर्ष पूर्व गरीबों की प्राथमिक शिक्षा के लिए दी गई अनुदान राशि के उपयोग के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना था। इन निरीक्षकों को 'हर मजेस्टी इंस्पेक्टरेट (HMI)' के नाम से जाना जाता था। यह आवश्यक है कि विचार किया जाए इस तरह के पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्पष्ट है कि सरकार ने सोचा कि इस कार्य में निवेश बहुत अधिक है। अतः इसे संज्ञान में लेना आवश्यक है। सरकार ने यह अनुमान लगाया कि उसके द्वारा दी गई धनराशि का सुनियोजित व सुव्यवस्थित उपयोग नहीं हो रहा है (सासवर, 2012)।

बाद में शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए इन निरीक्षकों के कार्य का विस्तार किया गया और इनके लिए व्यवहार संहिता को भी बनाया गया। इन सबके परिणाम स्वरूप ऑफ्स्टेड (द ऑफिस फॉर स्टैंडर्स इन एजुकेशन, चिल्ड्रेन्स सर्विसेज एंड स्किल्स)की 1990 में स्थापना हुई। यह संस्था आज भी है और सीधे संसद को रिपोर्ट करती है। ऑफ्स्टेड की भूमिका है कि वह सुनिश्चित करें जो संस्थाएं बच्चों और विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और देखभाल संबंधित सेवाएं इंग्लैंड में दे रही हैं वे उच्च स्तर के अनुरूप कार्य करें। हर सप्ताह ऑफ्स्टेड सैकड़ों निरीक्षण करती है, नियमन के लिए भ्रमण करती है और उनकी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करती है। आप देख सकते हैं कि ऑफ्स्टेड के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। यह प्रयत्न पक्षपात रहित है। उनके बारे में सीधे संसद को रिपोर्ट किया जाता है।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चयन कोई नया अभ्यास नहीं है। सरकार हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में रुचि लेती है क्योंकि शिक्षा को एक देश के विकास का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार योजनाओं और नीतियों में पर्याप्त निवेश करती है जिससे विभिन्न संस्थानों के माध्यम से शिक्षण और अधिगम के उच्च स्तर को बनाया जा सके। इसके लिए अनेक ऐसे कारक हैं जिनका निरीक्षण आवश्यक है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि नियुक्त अध्यापक न्यूनतम अर्हता वाले हो और प्रशिक्षित हों, संसाधनों का वितरण और उपयोग हो, अध्यापकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध संसाधनों के बारे में जागरूक किया जाए और विद्यार्थी सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं और सुविधाओं से परिचित हों।

जैसा कि आपने देखा कि यूके की सरकार ने पूरे देश में कुछ नियम और कानून बनाए। इनके क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए दलों को नियुक्त किया। इन दलों ने आंकड़े

इकट्ठा किए और प्रयोग किए। इसके आधार पर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता और असफलता के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। पता लगाया कि वे योजनाएं सफल या असफल थीं। इस प्रकार के प्रयासों के आधार पर संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या करना है या क्या नहीं करना है कि सूची बना सकते हैं। यह भी सुझा सकते हैं कि कौन से संस्थान नियमों के पालन में सफल रहे और किन्होंने पालन नहीं किया। यह भी पता लगा सकते हैं कि कुछ संस्थाओं में नई आधारभूत संरचना और निर्देशों के प्रति प्रतिरोध क्यों था? इन दलों को अलग–अलग स्तरों पर व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक केंद्रीय समिति और उसकी क्षेत्रीय स्तर पर उप समितियां हो। यहां तक की स्थानीय स्तर पर कार्य करने के लिए लघु इकाइयां हो जिससे संपूर्ण व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

सैलिस ने बताया है कि शिक्षा को कैसे एक उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है।

इस तरह से शिक्षा एक सेवा बन गयी जिसका उच्च स्तर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) गुणवत्ता सुनिश्चयन का क्या अर्थ होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ऑफस्टेड (OFSTED) की क्या भूमिका है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.4 शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

सैलिस ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को परिभाषित करते हुए बताया है कि ''संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संस्थान के संचालन के लिए प्रयोजनमूलक किंतु युक्ति परक उपागम है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखता है।'' यह एक विधि अथवा उपागम है जो अपनी प्रकृति में व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है और इसका लक्ष्य उच्च मानकों को प्राप्त करना होता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को थोपा नहीं जा सकता है। इसे संस्थान द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है जिससे वह अपनी प्रगति की समीक्षा कर सके। यह समीक्षा

अस्थाई नहीं होती और न ही तुरंत परिणाम देती है। यह सतत, क्रमबद्ध और क्रमिक होती है। यदि हम शिक्षा को एक सेवा मानते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक सेवा–उद्योग के रूप में हम भी अपने विद्यार्थी रूपी ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के अधिगम अनुभव प्रदान कर सकें। उच्च मानकों को बनाए रखना किसी भी संस्थान का मुख्य दायित्व होता है। यह केवल विषय वस्तु से संबंधित नहीं है बल्कि हमें सीखने के तरीके विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के समावेशन को भी ध्यान में रखना होता है। संस्थाओं को अनेक विकल्पों को उपलब्ध कराना होता है। संस्थान को सीखने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अपने विद्यार्थियों को पर्याप्त विकल्प, स्वतंत्रता और लोचशीलता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू का संदर्भ देखिए। इग्नू के द्वारा विद्यार्थियों को सुविधा अनुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। वे अपनी सुविधा से प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा दे सकते हैं या उन्हें एकत्रित करते हुए एक समयसीमा के भीतर भी परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।

14.4.1 विद्यालयी शिक्षा

विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना होता है। यह शिक्षा व्यवसायिक, नैतिक या तथ्यात्मक हो सकती है। विद्यालय के लक्ष्य पूर्ण हो, इसके लिए मानकीकृत परीक्षण लिए जाते हैं। इन परीक्षणों को दीर्घकालीन शोध के आधार पर सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय अलग–अलग स्तरों पर कार्य करता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन को संकाय सदस्यों के साथ समन्वय करना होता है। एक प्रभावशाली विद्यालय की विशेषताएं हैं–नेतृत्व, आधार दर्शन, विद्यालय प्रबंध, कर्मियों का स्थायित्व, केंद्रीयता, उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम, नियोजन, विद्यालय स्तर पर अकादमिक उपलब्धियों की पहचान, अभिभावकों की भागीदारी, समूह भावना, विद्यालय की समुदाय के साथ संबद्धता, कक्षा प्रबंधन के उत्तम अभ्यास, उच्च अकादमिक संलग्नता और विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी आदि। इन आयामों के अतिरिक्त विद्यालय की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के दौरान संसाधनों का उपयोग, प्रशासन की सरलता, विद्यार्थियों की संतुष्टि, आधारभूत व्यवसायिक प्रशिक्षण और अवसरों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है।

अतः विद्यालय द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किए जाने वाले प्रयास संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में शिक्षा का नेतृत्वकर्ता, उदाहरण के लिए प्रधानाचार्य, सुनिश्चित करता है कि विद्यालय के कर्मी प्रशिक्षित हों जिससे वे अपेक्षित कार्य को सरलता और प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें। विद्यार्थी, जो इस संदर्भ में ग्राहक हैं, वे जिस विद्यालय में नामांकित होते हैं उसके प्रति लगाव महसूस करते हों। गुणवत्ता प्रबंधन के लिए लागत की प्रभावशीलता, कर्मियों के लिए एक अच्छा कार्य स्थल और विद्यार्थियों के लिए अच्छे अधिगम अनुभव को सुनिश्चित किया जाता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की तरह विद्यालय में सतत सुधार की संभावना होती है जिसका कभी अंत नहीं होता है।

14.4.2 उच्च शिक्षा

हैरीस ने यूके में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तीन उपागमों की चर्चा की है। इन तीन उपागमों का सार्वभौमिक उपयोग हो सकता है। पहला उपागम ग्राहक केंद्रित है। शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थी ग्राहक हैं। इस उपागम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थियों को प्रभावी, प्रासंगिक और लोचीली शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा उपागम कर्मियों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कर्मियों के प्रदर्शन की सराहना और उनमें सुधार करना है जिसके परिणाम स्वरुप संस्था का क्रियाकरण प्रभावी होता है। यह उपागम कर्मियों को प्रोत्साहित करता है कि वे बेहतर नीतियों और प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकें जिससे वे सक्षम बनें। वे

सतत सशक्तिकरण के लिए नीतियों और प्रारूपों का निर्धारण कर सकें। इसके अंतर्गत संस्थान के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का भी ध्यान रखा जाता है। तीसरे उपागम का संबंध नियम कानूनों से है। यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान के नियमों का सुगम क्रियान्वयन हो। इसका उदाहरण है कि अध्यापकों द्वारा उपस्थिति लेना, ग्रेड और विद्यार्थी के प्रदर्शन का निर्धारण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के समय का निर्धारण, दृश्य श्रव्य और अन्य पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन विद्यालयी शिक्षा की भांति ही सतत सुधार और सतत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधोसंरचना से संबंधित है। उच्च शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की एक अन्य प्रवृत्ति नवाचार का प्रयोग करना और बाजार की मांगों को संबोधित करना है। इसके साथ–साथ प्रशासनिक और अकादमी कर्मियों की दक्षता की भी जांच की जाती है। शिक्षा के प्रचलित प्रवृत्तियों को भी समझा जाता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की कसौटियों को मापना एक कठिन कार्य है क्योंकि ये कसौटियां वस्तुनिष्ठ होने की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। हम जिन कसौटियों को लक्षित करते हैं वे समय के साथ बदल भी सकती हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की विधियों उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मापन करने की विधियों और कसौटियों को विकसित करने के लिए सरकार निजी संस्थानों और व्यक्तियों को पर्याप्त ऊर्जा और धन का निवेश करना पड़ता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) प्रभावशाली विद्यालय की चार विशेषताएं बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अनुप्रयोग के तीन उपागम क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

14.5 शिक्षा के लिए शाश्वत विकास के लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का विकास किया गया। इसी प्रयत्न का परिणाम शाश्वत विकास लक्ष्य हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत पूर्ण रूप से गरीबी समाप्त करने का उद्देश्य था। इसके साथ साथ भुखमरी की समाप्ति, जीवन नाशक बीमारियों को दूर करना और शिक्षा के विस्तार के लक्ष्य भी थे। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि विद्यालय के बाहर रहने वाले विद्यार्थियों की

संख्या लगभग आधी हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की शाश्वत विकास पर आधारित संगोष्ठी जिसका आयोजन रियो डी जनेरियो में वर्ष 2012 में हुआ था उसमें इन लक्ष्यों को संशोधित करके शाश्वत विकास लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया। शाश्वत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह वैश्विक लक्ष्यों के समान हैं जिनका उद्देश्य वर्तमान दुनिया के सामने उपस्थित पर्यावरणीय राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना है।

शाश्वत विकास के उद्देश्यों को वैश्विक लक्ष्यों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह वैश्विक चुनौतियों के प्रति सभी देशों की साझा चिंता है जिसके लिए वे सहयोग करना चाहते हैं और अपेक्षित कदम भी उठाना चाहते हैं। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं जिसमें गरीबी दूर करना, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है।इस सूची में शिक्षा को चौथे स्थान पर रखा गया है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के समय से ही यह कहा गया कि विद्यालय के बाहर रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या को आधा किया जाएगा और उनके नामांकन दर को 2015 तक 91 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा। शाश्वत विकास लक्ष्यों को विकसित करते हुए अलग–अलग देशों में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को संज्ञान में लिया गया है। शाश्वत विकास के लक्ष्यों के केन्द्र में गरीबी निवारण है लेकिन यह संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक समझे जाने वाली प्रत्येक चुनौती को समाहित किए हुए हैं। गरीबी, हिंसा, प्रशिक्षण के अभाव जैसे कारक शैक्षिक अवसरों के सृजन और उनकी प्राप्ति में बाधक होते हैं। ये किसी देश में शैक्षिक अवसरों के सृजन और उनकी प्राप्ति में को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से शाश्वत विकास के लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के लक्ष्य को अकेले नहीं लिया जा सकता यह अन्य लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। शाश्वत विकास के लक्ष्य सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक लड़का और लड़की पूर्णतया निःशुल्क, समान और गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करें। इसके द्वारा वे प्रभावी और महत्वपूर्ण अधिगम भी करें। शिक्षा के लक्ष्य केवल प्राथमिक और आगे की शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें पूर्व प्राथमिक और बाल्यावस्था देखभाल व विकास को भी सम्मिलित किया गया है। यह माध्यमिक शिक्षा के अवसर से भी आगे बढ़ता है और वहन कर सकने योग्य गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की भी उल्लेख करता है। इसके द्वारा शाश्वत विकास के लक्ष्य के अंतर्गतएक बेहतर रोजगार बाजार के लिए दक्ष कार्यशक्ति को तैयार करते हैं।

शिक्षा तक पहुंच बिना किसी विभेद के होनी चाहिए। संपोषणीय विकास के लक्ष्य समावेशी शैक्षिक अभ्यास के लिए हैं जो दिव्यांग विद्यार्थियों, देशज विद्यार्थियों और खतरनाक परिस्थितियों में रह रहे विद्यार्थियों का समावेशन करते हैं। इसके अंतर्गत ` अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा शैक्षिक और अधोसंरचना संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराना, अकादमिक विद्वता एवं अन्य अन्य सहयोगों के द्वारा उच्च नामांकन दर को बनाए रखना प्राथमिकता है। शिक्षा से संबंधित शाश्वत विकास के लक्ष्य कम विकसित देशों, छोटे द्वीपीय देशों और विकासशील देशों को प्राथमिकता सूची में रखते हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और शाश्वत विकास लक्ष्य क्या है? ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

14.6 गुणवत्ता संकेतक

शैक्षिक गुणवत्ता और अधिगम अधिगम निष्पत्तियों में सुधार के लिए योजना बनाने वालों को संबंधित संस्था की वर्तमान स्थिति, समय के साथ हुए बदलाव, उस संस्था की मजबूतियों और कमजोरियों आदि के प्रमाण आधारित आकलन की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण संकेत को संज्ञान में लेता है और इससे संबंधित प्रमाण उपलब्ध करा सकता है। शिक्षा के किसी क्षेत्र के अंतर्गत बनाई गई युक्तियों और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करने में ये संकेतक मदद कर सकते हैं।

गुणवत्ता संकेतकों के लाभ

- ये शिक्षण, पाठ्यचर्या और विद्यार्थियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता पर ध्यान रखने में सहायता प्रदान करते हैं।
- ये शैक्षिक तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं।
- ये शिक्षा के उप तंत्रों में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- ये समानता के संकेतकों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।

14.6.1 शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के संकेतक

संदर्भ संबंधी संकेतक : ये संदर्भ से जुड़े कारकों पर आधारित होते हैं जो विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे– विद्यार्थियों की विशेषताएं, सामाजिक– आर्थिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक आयाम, शिक्षण व्यवस्था की स्थिति, स्थानीय समुदाय के मुद्दे, आदि। इनसे संबंधित आंकड़ों के संग्रह हेतु सर्वेक्षण, कक्षा अवलोकन, निगरानी रिपोर्ट और स्व मूल्यांकन आदि का प्रयोग किया जाता है।

आगत संकेतक : ये सीखने को सुगम करने के लिए प्रयुक्त किए गए संसाधनों का मापन करते हैं। ये बताते हैं कि किसी भी तंत्र में प्रत्येक स्तर पर योजना अनुरूप वित्तीय भौतिक और मानवीय संसाधनों का वितरण किया गया या नहीं।

प्रक्रिया संकेतक : ये गुणवत्ता के मानकों के आधार पर बताते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों और क्रियाकलापों को किस तरीके से संचालित किया गया। कैसे किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया, इससे जुड़े घटक इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए–मानकों का क्रियान्वयन, शिक्षण गुणवत्ता, कार्य पर दिया समय, विद्यालय का वातावरण और शैक्षिक नेतृत्व। इसमें आंकड़ों का संकलन वैसे ही किया जाता है जैसे संदर्भ संकेतकों का किया जाता है।

निर्गत संकेतक : इसमें यह मापन किया जाता है कि क्या कार्यक्रम के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं। ये बताते हैं कि कोई भी शैक्षिक तंत्र विषय ज्ञान दक्षताओं, प्रगति, पूर्णता दर और कर्मचारी की संतुष्टि के पैमानों पर कैसा कार्य कर रहा है। इन संकेतकों को राष्ट्रीय परीक्षाओं अंतरराष्ट्रीय आकलन सर्वेक्षणों और क्रमबद्ध मैदानी अवलोकनों के आधार पर

जाना जा सकता है। निर्गत संकेतकों के अंतर्गत अधिगम निष्पत्तियों का मापन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है।

14.6.2 माध्यमिक विद्यालय के लिए गुणवत्ता संकेतक

माध्यमिक विद्यालयों में संपूर्ण गुणवत्ता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे–पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम संसाधन, शिक्षण षास्त्र आदि से जुड़े संकेतक निम्नलिखित हैं:

वृहद गुणवत्ता संकेतक

पाठ्यचर्या–शिक्षार्थी केंद्रित व समावेशी पाठ्यचर्या

- पाठ्यक्रम दैनंदिन जीवन से संबंधित हो,
- इसमें सभी विषय क्षेत्रों जैसे–विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, कला स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा आदि की उपलब्धता हो। इनके द्वारा विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रायोगिक कौशल, पूर्व व्यवसायि कौशल के विकास के पूर्ण अवसर हों।
- पाठ्यक्रम में कला और सौंदर्य, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण, शांति कार्यानुभव आदि अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो

कक्षा प्रक्रियाएं

- विद्यार्थी अनुभव करें कि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार हैं।
- उन्हें पाठ्य सामग्री अपने संदर्भ से परे की ना लगे।
- पाठ्यचर्या में संस्कृति और भाषा का उचित प्रतिनिधित्व हो।
- विज्ञान में प्रायोगिक कार्य और गतिविधियों का समावेश हो।
- विद्यार्थियों को विज्ञान किट और प्रयोगशाला के उपकरण उपलब्ध हो।
- सामाजिक विषयों पर मुक्त चर्चा हो।

अध्यापक और शिक्षण शास्त्र

- अध्यापक योग्य हों और अपने विषय को जानते हों।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक के संदर्भ को समझते हो।
- विभिन्न विषय क्षेत्रों की चुनौतियों के प्रति सजग हो।
- पाठ्यचर्या में अंतर अनुशासनात्मकता के महत्व से परिचित हो
- नियमित हो और विद्यालय प्रबंधन के साथ सहयोग करने वाले हो।
- किशोर मनोविज्ञान से के प्रति जागरूक हो और किशोरों से समनुभूति पूर्ण तरीके से संबंध विकसित कर सकें।
- अपने व्यवसायिक विकास के प्रति सचेत हो।
- शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में शोध के महत्व को समझते हो।
- उपलब्धियों, अभिक्षमताओं मूल्यों आदि के आकलन समर्थ हो।
- विद्यार्थियों की प्रगति का विवरण बनाने में दक्ष हो।
- पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक हो।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में समर्थ हो।

- पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त अन्य संसाधनों के बारे में अद्यतन जानकारी रखते हो।
- अन्य साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हो।

अधिगमकर्ता

- संबंधित अवधारणाओं से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हो।
- पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सामग्री पढ़ें।
- प्रायोगिक कार्य करने के लिए तत्पर हों।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति रूचि दिखाएं।
- प्रगति के विविध आयामों–रुचि, रचनात्मकता मूल्यों आदि में भी प्रगति करें।
- नियमित और समय के पाबंद हो।
- अध्यापकों के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहयोग करें।

विद्यालय के प्रधानाचार्य

- विद्यालय प्रशासन को समर्थ नेतृत्व देने में सक्षम हो।
- स्पष्ट दृष्टिकोण हो।
- पाठ्यचर्या संबंधित अद्यतन प्रवृत्तियों की जानकारी रखते हो।
- भाषा और संप्रेषण में दक्ष हो।
- विद्यार्थियों और कर्मियों के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनका सहयोग करें।
- नवाचार के प्रति सकारात्मक रहें।
- अकादमिक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें।
- ना तो बहुत अधिक कठोर हो और ना ही लोचशील हो।
- अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराएं।
- अध्यापकों को व्यवसायिक विकास के लिए भी प्रेरित करें
- अध्यापकों को पाठ्यचर्या और शिक्षण षास्त्र मे नवाचार के लिए स्वायत्तता प्रदान करे।
- संबंधित कर्मियों की सराहना करें उन्हें सकारात्मक प्रतिपुष्टि दें।

सतत और व्यापक मूल्यांकन

- विद्यालय सतत और मूल्यांकन प्रणाली का पालन करता हो।
- इस योजना की अंतर्निहित विशेषता जवाबदेही और पारदर्शिता है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न स्तरों पर जांच और प्रमाणीकरण होता है, उदाहरण के लिए– विद्यार्थियों का स्व मूल्यांकन विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो, सहपाठी मूल्यांकन संबंधित अध्यापक द्वारा आकलन और विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यादृच्छिक तरीके से आकलन अभिभावकों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि।
- विभिन्न घटकों पर अधिगमकर्ता की प्रगति की निगरानी करना।

विशिष्ट गुणवत्ता संकेतक

आधारभूत संरचनाएं और अन्य संसाधन

- कक्षाओं की उपयुक्त संख्या

- सभी तरह की प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कंप्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय, स्वच्छ पानी, विद्युत, खेल का मैदान और सामग्री, आदि
- अलग–अलग विषयों के प्रशिक्षित अध्यापक और प्रधानाचार्य
- प्रयोगशाला कर्मी, कंप्यूटर प्रयोगशाला सहायक, क्लर्क और अन्य सहयोगी कर्मचारी
- अध्यापक विद्यार्थी अनुपात
- शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:35 हो।
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा
- विद्यालय की योजनाओं का प्रबंधन
- विद्यालय के वार्षिक समय योजना और समय सारणी की उपलब्धता
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार 200 दिन कार्य दिवस
- अनुदेशन के लिए 6 घंटों का आवंटन
- प्रत्येक पाठ्यचर्या क्षेत्र को समान समय वितरण
- प्रायोगिक कार्यों के लिए समय आवंटन
- प्रातः कालीन सभा का संचालन
- खेल दिवस, स्वास्थ्य जांच, मूल्यांकन के लिए विद्यालय गतिविधियों का आयोजन
- मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता
- अभिभावक–अध्यापकों की नियमित बैठक
- अध्यापक और प्रधानाचार्य की नियमित बैठक
- विद्यार्थियों अध्यापकों की नियमित उपस्थिति

शिक्षण अधिगम संसाधन

- पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों और अध्यापकों के लिए मार्गदर्शक पुस्तिका की उपलब्धता
- पाठ्य सामग्री, शब्दकोष, विश्वकोश, अखबार, मैगजीन व अन्य पाठ्य सामग्रियों की उपलब्धता
- वैज्ञानिक प्रयोगशाला किट और गणित किट की उपलब्धता

पाठ्यचर्या क्रियान्वयन

- अध्यापक पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हों। योजनाबद्ध गतिविधियों का (करके सीखना), विद्यार्थियों चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाएं जिससे उनमें समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो, समूह चर्चा का प्रयोग हो।
- विज्ञान और गणित की कक्षाओं में किट नियमित प्रयोग
- प्रदर्शनी एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन
- विद्यार्थियों का प्रत्येक क्षेत्र में विकास
- प्रत्येक विषय क्षेत्र में अपरिहार्य और न्यूनतम स्तर के सीखने को सुनिश्चित करना
- विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा परियोजना करना
- विद्यार्थियों द्वारा खेल प्रदर्शनी एवं अन्य साहित्यिक गतिविधियों में भागीदारी करना
- शिक्षकों का पेशेवर विकास

- अध्यापकों द्वारा संगोष्ठी और कार्यशाला में भागीदारी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी
- नवनियुक्त अध्यापकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम
- विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में विद्यालय प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

6) शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के दो संकेतकों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7) अध्यापक और विद्यार्थियों के दो गुण बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.7 गुणवत्ता सुनिश्चयन की संस्थाएं

गुणवत्ता सुनिश्चयन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई एक उत्पाद अपनी विशेषताओं और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को किस सीमा तक पूर्ण करता है। यह एक प्रक्रिया आधारित उपागम है जो उत्पादन के लक्ष्य, डिजाइन, विकास आदि को सुगम एवं परिभाषित करता है (विकीपीडिया)। नैक के निदेशक प्रो. एच. ए. रंगनाथ द्वारा बेंगलुरु में दी गई प्रस्तुति के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटवर्ती परिवेश के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करें और वे जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसे समाज के साथ साझा करें। वे आगे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से जागरूक और अर्थपूर्ण इकाई बनना चाहिए। आइए अगले खंड में गुणवत्ता सुनिश्चयन की कुछ संस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं।

14.7.1 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद : यूजीसी के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना यूजीसी एक्ट एक्ट 1994 के अनुरूप में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य देशभर में फैली उच्च शिक्षा की संस्थाओं का प्रत्यायन करना है। इसके अतिरिक्त नैक के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- संस्थानों को वित्तीय दर्षष्टि से सहायता प्रदान करना
- संस्थानों को संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित करने में मदद करना
- विभिन्न हित धारकों को उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास की युक्तियों पर चर्चा करने का मंच उपलब्ध कराना

नैक द्वारा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के गुणवत्ता आकलन के लिए विभिन्न मानकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख मानक हैं–

क्र.सं.	कसौटी	विश्वविद्यालय	स्वायत्तशासी महाविद्यालय	संबद्ध / घटक महाविद्यालय
1	पाठ्यचर्या संबंधित	150	150	100
2	शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन	200	300	350
3	शोध सलाह और विस्तार	250	150	150
4	आधारभूत संरचना और अधिगम संसाधन	100	100	100
5	विद्यार्थियों द्वारा दिया गया फीडबैक और क्रमिक प्रगति	100	100	100
6	गवर्नेंस, नेतृत्व और प्रबंधन	100	100	100
7	नवाचार आधारित उत्तम अभ्यास	100	100	100
	कुल	**1000**	**1000**	**1000**

उपर्युक्त घटकों के आधार पर कुल 216 आकलन के संकेतक हैं जिनकी मदद से किसी भी संस्था की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। आकलन के उपरांत संस्था की ग्रेडिंग की जाती है।

संस्थाओं को उनके समेकित ग्रेड प्वाइंट औसत के आधार पर ए, बी, सी, डी ग्रेड प्रदान किया जाता है। ग्रेडिंग का प्रारूप निम्नवत है–

समेकित ग्रेड प्वाइंट औसत के	अक्षर ग्रेड	स्तर
3.51–4.00	A++	प्रत्यायित
3.26–3.50	A+	प्रत्यायित
3.01–3.25	A	प्रत्यायित
2.76–3.00	B++	प्रत्यायित
2.51–2.75	B+	प्रत्यायित
2.01–2.50	B	प्रत्यायित
1.51–2.00	C	प्रत्यायन किया गया
1.50 के बराबर या इससे कम	D	प्रत्यायन नहीं

जब शिक्षा से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को आरंभ किया जाता है तब उनकी गुणवत्ता संबंधित चुनौतियां प्रकट होती हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) और इसकी क्रियान्वयन योजना

(1992) में राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के विकास से संबंधित विस्तृत सुझाव दिए गए थे। इसी क्रम में नैक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। नैक महासभा और कार्य परिषद के माध्यम से कार्य करती है। इन दोनों में शिक्षा से जुड़े प्रशासक, नीति निर्माता, उच्च शिक्षा के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ विद्वतजन होते हैं। यूजीसी का अध्यक्ष ही नैक की महासभा का भी अध्यक्ष होता है। नैक का निदेशक अकादमिक और प्रशासनिक मुखिया होता है। वही आम सभा और कार्य परिषद का सदस्य सचिव भी होता है। इसके अतिरिक्त सहयोग करने वाला कर्मचारी दल और सलाहकार परिषद होती है।

नैक उच्च शिक्षा की संस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन इन संस्थाओं के विविध क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर करती है। यह विविध क्षेत्र शिक्षण प्रक्रिया, निष्पत्ति पाठ्यचर्या विस्तार, संकाय सदस्य, शोध, अधोसंरचना, अधिगम संसाधन, संगठन गवर्नेंस, वित्तीय स्थिति और विद्यार्थी सेवाएं हैं।

नैक का मूल्य प्रारूप

- राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य
- विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर सक्षम बनाना
- विद्यार्थियों को वैश्विक मानव मानकों के अनुरूप सक्षम बनाना
- विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग सुगम करना
- श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न करना

नैक का लक्ष्य

- उच्च शिक्षा की संस्थाओं अथवा इनकी इकाइयों अथवा किसी विशेष कार्यक्रम अथवा पूर्व परियोजना का समय–समय पर आकलन और प्रत्यायन की व्यवस्था करना।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षण अधिगम और शोध परिवेश के विकास हेतु माहौल तैयार करना
- उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आत्म मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना
- गुणवत्ता के जुड़े शोध, सलाहकार सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराना
- उच्च शिक्षा के अन्य भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए गुणवत्ता पूर्ण मूल्यांकन और उसे पोषित करने के लिए उच्च शिक्षा के अन्य भागीदारों के साथ सहयोग करना

नैक के लाभ

- संस्थाओं को उनकी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
- यह वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को लक्ष्य और आंकड़ें उपलब्ध कराती है।
- यह संस्थाओं को नवाचार आधारित और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को आरंभ करने के लिए अभिप्रेरित करती है।
- संस्था की पहचान को एक नई दिशा देता है।
- संस्था द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में समाज को बताता है।
- संस्थाओं के बीच में अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है।

14.7.2 भारतीय गुणता परिषद

भारतीय गुणता परिषद की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से 1997 में की गई थी। वर्ष 1992 से एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो प्रत्यायन अथवा मान्यता प्रदान करने का कार्य करें जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने वाली प्रक्रिया के आधार पर आकलन प्रस्तुत किए जाएं। इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया जिसमें संबंधित मंत्रालयों और उद्योग क्षेत्र के भागीदारों को सम्मिलित किया गया। इनसे अपेक्षा की गई कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुझाव दें। इस कार्य का समन्वयन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया और समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया। समिति के सुझाव को स्वीकृत करते हुए कैबिनेट समिति ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना का निर्णय लिया। इसे एक लाभ न कमाने वाली स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21–1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका देश के भीतर उद्देश्य गुणवत्ता प्रसार के अभियान में मदद करते हुए प्रत्यायन की संरचना का विकास करना था।

गुणता परिषद के उद्देश्य

- लोगों के बीच में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करना
- विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादकों को गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना
- गुणवत्ता उन्नयन के सतत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रम को विकसित और क्रियान्वित करना
- उन गतिविधियों को आयोजित करना, जिनके द्वारा जीवन की गुणवत्ता और भारतीय नागरिकों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित किया जा सके
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा, गवर्नेंस, आधारभूत संरचना विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रत्यानयन कार्यक्रमों का विकास और क्रियान्वयन करना
- तृतीय दल आकलन प्रतिमान का विकास करना और इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना
- सरकार, नियामक संगठनों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उद्यमों के बीच में गुणवत्ता के आधार पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देना
- मानक और गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय सूचना और खोज सेवाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुगम करना
- ऐसी शिकायतों को जिन्हें संबोधित नहीं किया जा सकता है के निपटान के लिए क्रिया विधि का विकास करना

मुख्य परियोजनाएं

स्वच्छता सर्वेक्षण– स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को मापने के लिए सर्वेक्षण करना
योग योजना– वर्ष 2016 में भारतीय गुणता परिषद ने स्वतः से आगे आकर योग में प्रमाण पत्र लेने की पद्धति आरंभ की जिसका उद्देश्य मानक योगाभ्यासों को विश्व स्तर पर प्रमाण प्रमाणित करना था। भारतीय गुणता परिषद योग प्रशिक्षण शालाओं के लिए भी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एक कार्यक्रम चलाता है।

जेड के अंतर्गत एमएसएमई पंजीयन– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शून्य हीनता प्रतिमान का आरंभ वर्ष 2016 में किया था। यह मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक था इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग प्रदान करना था।

ई–क्वेस्ट– वर्ष 2017 में डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादकों के प्रत्यायन उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यूसीआई ने ई–क्वेस्ट अधिगम प्रमाण पत्र अभियान का आरंभ किया। यह अभियान उद्यमियों को उत्पादन और गुणवत्ता अभ्यास के कार्यात्मक क्षेत्र में प्रमाण पत्र अर्जित करने में मदद करता है।

प्रत्यायन बोर्ड

भारतीय गुणता परिषद 38 सदस्यों की परिषद है। यह संपूर्ण तंत्र में पारदर्शिता और वैधता को सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत 5 प्रत्यायन बोर्ड हैं :

- नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, एनबीक्यूपी
- नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर्म सर्टिफिकेशन बॉडीज, एनएबीसीबी
- नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनएबीटी
- नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, एनएबीएच
- नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड टेस्टिंग एंड कैलिब्रेषन लैबोरेट्रीज, एनएबीसी

14.7.3 राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना 1994 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की धारा 10, यू के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य आवर्ती रूप से तकनीकी संस्थाओं और कार्यक्रमों का अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन करना था। 7 जनवरी 2010 से यह एक स्वायत्त निकाय बन गया जिसका उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षा की महत्ता को स्थापित करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाली संस्था है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अपने फैसले और वित्तीय मसलों के बारे में एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह सरकार या तकनीकी और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली किसी अन्य नियामक संस्थान से कोई भी अनुदान नहीं प्राप्त करती है। शिक्षा की दो प्रमुख प्रत्यायन संस्थाएं हैं– राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (नैक) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)।

क्रियाकरण

- राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का प्रबंधन व प्रशासन इसके कार्य परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होता है जिसे महासभा द्वारा औपचारिक संपुष्टि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड तकनीकी शिक्षा से जुड़े अध्ययन कार्यक्रमों जैसे– अभियांत्रिकी और प्रबंधन का प्रत्यायन करता है जबकि नैक द्वारा सामान्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वाशिंगटन एवकॉं का संपूर्ण सदस्य है।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है संस्थाओं का नहीं। इसमें अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, अनुप्रयोगात्मक कला और शिल्प, कंप्यूटर अनुप्रयोग होटेल प्रबंधन और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों का प्रत्यायन किया जाता है।

- जब 2017 में प्रत्यायन ऐच्छिक था तब भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने घोषणा कि वह किसी भी ऐसी संस्था को मान्यता नहीं प्रदान करेगी जिसके आधे से अधिक कार्यक्रम प्रत्यायन में असफल हुए हों।
- विद्यार्थियों को आश्वस्त किया जा सकता है कि वे ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसमें उच्च अकादमी गुणवत्ता है और उसकी पेशेवर महत्ता भी है। उस अध्ययन कार्यक्रम के क्रियाकलाप और गतिविधियों में कारपोरेट जगत की आवश्यकताओं को भी सम्मिलित किया गया है।

14.7.5 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संस्थान शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। इसे माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2015 को आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय रैंकिंग प्रारूप में एक विधि का उल्लेख है जिसके आधार पर देश के सभी संस्थानों को श्रेणी/रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसके लिए अनेक आयामों को ध्यान में रखा जाता है–

शिक्षण, अधिगम और संसाधन भारांश

- विद्यार्थियों का पंजीयन
- संकाय सदस्य–विद्यार्थी अनुपात
- कुल बजट और उसका अनुप्रयोग

शोध और पेशेवर अभ्यास का भारांश

- प्रकाशनों की गुणवत्ता का आकलन
- पेटेंट
- परियोजना की भूमिका
- पेशेवर अभ्यास

स्नातक उपलब्धियाँ

- नियोजन का संयुक्त प्रतिशत
- उच्च शिक्षा और उद्यमिता
- विश्वविद्यालय परीक्षाओं परिमाण
- मध्यान्ह वेतन
- अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश का परिमाण
- शोध की उपाधि के साथ निर्गत स्नातकों का परिमाण

विस्तार और समावेशन

- अन्य राज्यों और देशों के विद्यार्थियों का प्रतिशत
- महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत
- आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं

प्रत्यक्षण

- साथी प्रत्यक्षण– कर्मियों के लिए

- साथी प्रत्यक्षण– अकादमिक साथियों के लिए
- लोक प्रत्यक्षण
- प्रतियोगिता

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य बताइए नैक, एनबीए

9) भारतीय गुणता परिषद के दो उद्देश्यों को लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10) एनआईआरएफ क्या ह? इसके कार्यों को बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

14.8 सारांश

गुणवत्ता श्रेष्ठता का एक पैमाना होता है। किसी भी शिक्षा संस्थान में सुधार के लिए घटकों की पहचान और उनके सुधार के लिए समाधान गुणवत्ता सुनिश्चयन से संबंधित होते हैं। जब भी हम गुणवत्ता नियंत्रण या सुनिश्चयन पर विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बाजार में उपलब्ध विभिन्न सामानों के ब्रांडों की सफलता या असफलता का संदर्भ आता है। गुणवत्ता आकलन सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में आरंभ किया गया था। शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन कोई नया अभ्यास नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार हमेशा गुणवत्ता के आकलन पर बल देती है क्योंकि शिक्षा किसी भी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा की महत्ता को देखते हुए इसके अनेक पक्षों के निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

शिक्षा एक ऐसी सेवा है बन चुकी है जिसे बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक होता है। शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करना संस्थानों का प्रमुख दायित्व होता है। शिक्षा को एक लक्ष्य सहित अनुदेशन जैसे आयाम भी गुणवत्ता से संबंधित होते हैं। शिक्षा के द्वारा प्रयास किया जाता है कि लड़के और लड़कियों को पूर्णतया मुफ्त, समान गुणवत्तापूर्ण वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए प्रभावशाली और महत्वपूर्ण अधिगम की आवश्यकता होती है। नैक भारत सरकार द्वारा यूजीसी के घटक रूप

में स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो देश भर की शिक्षा संस्थाओं का आकलन कर उन्हें श्रेणी/क्रम/ग्रेड प्रदान करती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा की संस्थाओं को संगोष्ठी के आयोजन में भी वित्तीय रूप से मदद करती है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जो सुधार के विभिन्न संकेतों से संबंधित प्रमाण उपलब्ध कराते है। यह संकेतक शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन के अनेक संकेतक शामिल हैं– संदर्भ आधारित संकेतक, आगत संकेतक, प्रक्रिया संकेतक निर्गत संकेतक, आदि। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1997 में भारत सरकार द्वारा अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ स्वतंत्र रूप से की गई थी। यह लोगों में विविध क्षेत्रों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का कार्य करती है। इसकी मुख्य परियोजनाएं स्वच्छता सर्वेक्षण, योग संबंधी योजना, लघु और मझोले उद्योग के पंजीयन संबंधी योजना और ई–क्वेस्ट हैं। यह पांच प्रत्यानयन बोर्डों के सहयोग से कार्य करती है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को आरंभ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया गया था जिससे आवर्ती रूप से तकनीकी संस्थाओं का मूल्यांकन हो सके। यह 7 जनवरी 2010 से स्वायत्तशासी निकाय बन गया जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना था। उच्च शिक्षा तंत्र में प्रत्यायन के दो प्रमुख संस्थाएं हैं नैक और एनबीए। एनआईआरएफ को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्राप्त है और इसका आरंभ शिक्षा मंत्री द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। एनआईआरएफ के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं की रैंक/श्रेणी प्रदान करने की विधि का प्रतिपादन किया गया है।

14.9 अभ्यास प्रश्न

- अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में अपनाए गए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन विधियों परीक्षण कीजिए और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए।
- यूनेस्को द्वारा सुझाए गए शाश्वत विकास लक्ष्य पर मनन कीजिए और बताइए कि इसमें आप क्या योगदान कर सकते हैं।

14.10 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted/about
- क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, मेहमेट सावसर द्वारा संपादित, क्रोटिया 2012
- सैलिस, ई. (2002). टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, तृतीय संस्करण. लंदनः कोगन पेज https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/10099/De_Bruyn_PP_Chapter_2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
  https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html#targets
- Naac.gov.in
  http://www.yourarticlelibrary.com/education/role-of-national-assessment-and-accreditation-council-naac-and-its-benefits/45185
- http://www.nbaind.org
- https://www.nirfindia.org/About
- https://www.nirfindia.org/Docs/Ranking_Methodology_And_Metrics_2017.pdf

- http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dse/deptt/activities/pdfs/Chapter_9.pdf
- https://pdfs.semanticscholar.org/ccd0/bcc357248bb301149d6e8aa79e88475d535a.pdf
- आर. डब्ल्यू हैरिस(1994) ''एलियन आर ऐली. क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन, वोल्यूम, 2 नं. 3 पृष्ठ– 33.39

14.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) गुणवत्ता सुनिश्चयन किसी सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता के अपेक्षित स्तर को बनाए रखना है। यह केवल अंतिम उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है बल्कि प्रत्येक स्तर और प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। यह गुणवत्ता प्रबंधन पर केंद्रित है और यह विश्वास दिलाता है कि गुणवत्ता की अपेक्षाएं पूर्ण होंगी

2) ऑफ्स्टेड की भूमिका है कि वह सुनिश्चित करें वे संगठन जो बच्चों और विद्यार्थियों की शिक्षा प्रशिक्षण और देखभाल से संबंधित सेवाएं इंग्लैंड में उपलब्ध करा रहे हैं उच्च मानक/स्तर की सेवा उपलब्ध कराएं। इसके द्वारा सैकड़ों निरीक्षण किए जाते हैं। पूरे इंग्लैंड में अनेकानेक भ्रमण किए जाते हैं और इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। संक्षेप में, यह उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है और इसे सदन में प्रस्तुत करती है।

3) किसी भी प्रभावशाली विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं–नेतृत्व, आधार दर्शन, विद्यालय प्रबंध, कर्मियों का स्थायित्व, केंद्रित लक्ष्य, नियोजित कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर अकादमिक सफलता की पहचान, अभिभावकों की भागीदारी, दलगत भावना, समूह में कार्य करने की भावना, विद्यालय में समुदाय का भाव होना उत्तम कक्षा प्रबंधन युक्तियां, उच्च अकादमिक संलग्नता और विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी।

4) पहला उपागम ग्राहक केंद्रित होना है जो इस संदर्भ में विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रासंगिक लोचशील शिक्षा मिले। द्वितीय उपागम कर्मियों पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य संस्था के क्रियाकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए कर्मियों के प्रदर्शन की सराहना करना और उन्हें संवर्धित करना है। इसके अंतर्गत कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बेहतर नीति बनाएं और सतत विकास के लिए प्राथमिकताओं को तय करें। तृतीय उपागम का संबंध नियमों और विनियमों से है जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था का क्रियाकरण सरलता से हो। इसका उदाहरण विद्यालय में अध्यापकों द्वारा उपस्थिति को दर्ज करना, विद्यार्थियों कक्षा प्रदर्शन और ग्रेड का निर्धारण, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी के समय का निर्धारण करना, ऑडियो दृष्य श्रव्य और अन्य अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता है।

5) शाश्वत विकास के लक्ष्य वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का परिणाम हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में गरीबी को समाप्त करने का उद्देश्य था। इसके लिए चरम भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने, जीवननाशक बीमारियों के खतरे को मिटाने और शिक्षा के प्रसार के लक्ष्य भी थे। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रियोडिजेनेरियो सम्मेलन में इन्हें संशोधित करते हुए संपोषणीय विकास लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया। विश्व के सामने उपस्थित पर्यावरणीय, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों का सामने करने के वैश्विक लक्ष्य को संपोषणीय विकास लक्ष्य कार्यक्रमों का उद्देश्य बताया गया। इन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता

है। इनके बारे में विश्व के समस्त देशों की चिंता है और इनके समाधान के लिए सभी सहयोग करना चाहते हैं। इसके कुल 17 लक्ष्य हैं जिसमें सम्मिलित हैं– शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, अच्छा स्वास्थ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस सूची में शिक्षा 17 वें स्थान पर है।

6) संदर्भ संकेतक और प्रक्रिया संकेतक

7) एक अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता होता है और वह अपने विषय से संबंधित अद्यतन ज्ञान रखता है। वह पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के बीच संबंधों को समझता है। अधिगमकर्ता अवधारणाओं से जुड़े प्रश्न पूछता है और पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों को पढ़ता है।

8) नैक का मुख्य कार्य देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करना है। इसके अतिरिक्त यह उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करता है। इन संस्थाओं को संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन करने में मदद करता है और विभिन्न हितचिंतकों को उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार की युक्तियों का पता लगाने और चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का मुख्य कार्य तकनीकी संस्थाओं और कार्यक्रमों का आवर्ती मूल्यांकन करना है। इसके लिए यह भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को कसौटी के रूप में प्रयोग करता है। 2010 से इसका उद्देश्य गुणवत्ता और शिक्षा की की महत्ता को सुनिश्चित करना है।

9) दो उद्देश्य हैं–गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों द्वारा गुणवत्ता की मांग करने संबंधी जागरूकता को पैदा करना और उत्पादकों को प्रोत्साहित करना कि वे गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन करें।

10) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है और शिक्षा मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2015 को इसका आरंभ किया गया। यह देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक विधि का प्रतिपादन करती है। इसके लिए शिक्षा इसके लिए शिक्षण, अधिगम और संसाधन, शोध और वृत्तिक अभ्यास, स्नातक निश्पत्ति, विस्तार और समावेशन हेतु किए गए प्रयास और अलग–अलग हित धारकों के प्रत्यक्षण से संबंधित भारांश लिए जाते हैं।

इकाई 15 संस्थागत उत्तरदायित्व और स्वायत्तता

संरचना

15.1 परिचय

15.2 उद्देश्य

15.3 संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चयन का अर्थ और उसके प्रावधान

- 15.3.1 संस्थागत उत्तरदायित्व का अर्थ
- 15.3.2 संस्थागत उत्तरदायित्व के प्रकार
- 15.3.3 संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चयन के प्रावधान

15.4 संस्थान के स्वायत्तता की आवश्यकता एवं और स्वायत्तता की प्रकृति एवं प्रकार

- 15.4.1 स्वायत्तता की अवधारणा एवं प्रकृति
- 15.4.2 संस्थागत स्वायत्तता की आवश्यकता
- 15.4.3 स्वायत्तता के प्रकार

15.5 सारांश

15.6 अभ्यास प्रश्न

15.7 संदर्भ ग्रंथ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

15.1 प्रस्तावना

भारत में शिक्षा प्रणाली ने स्वतंत्रता के बाद से कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। यह शिक्षा प्रणाली तेजी से वृद्धि और विकास की गवाह रही है। यह शिक्षा प्रणाली आभिजात वर्ग से आम जन के लिए सुलभ हुई है। हालाँकि शिक्षा के इस मात्रात्मक विस्तार के बावजूद सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता को बिना किसी उत्तरदायित्व एक मिथक के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इस अंतरनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति–1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) ने शिक्षकों और उच्च शिक्षा संस्थानों सहित राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों और इसके अधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व के मानदंडों के विकास की सिफारिश की। इसने गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन के उपाय के रूप में अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति के दस्तावेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपायों के रूप में उत्तरदायित्व और स्वायत्तता पर ज़ोर दिया गया है। इस इकाई में शिक्षक और शिक्षार्थियों की स्वायत्तता और संस्थागत उत्तरदायित्व के साथ इसके संबंध पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

15.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात, आप :

- संस्थागत उत्तरदायित्व की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- संस्थागत उत्तरदायित्व के उद्देश्य पर चिंतन कर सकेंगे;
- एक शैक्षिक संस्थान में स्वायत्तता के महत्व की सराहना कर सकेंगे;

- शैक्षिक स्वायत्तता की प्रकृति, प्रकारों और उसकी आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे।
- स्वायत्तता के विभिन्न पक्षों और उसकी बाधाओं को समझ सकेंगे।

15.3 संस्थागत उत्तरदायित्व का अर्थ और उसके सुनिश्चयन के लिए प्रावधान

संस्थागत उत्तरदायित्व शिक्षा प्रणाली में चिंता का विषय बनी हुई है। जब कोई अभिभावक अपने पाल्य को किसी संस्था में प्रवेश दिलाता है तो उसके मन में कुछ लक्ष्य/उद्देश्य/अपेक्षाएँ होती हैं। संस्थाएँ न केवल वांछनीय व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए बल्कि शिक्षार्थी को आवश्यक ज्ञान और कौशल से युक्त करने का भी वादा करती हैं। लेकिन क्या इन संस्थानों को उनके वादों के प्रति उत्तरदायी बनाने का कोई प्रावधान है? एक और उदाहरण उन हजारों शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का है जो बिना किसी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम या शैक्षणिक सूचना के डिग्री दे रहे हैं। जस्टिस वर्मा समिति (2012) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने इस प्रकार के गलत अभ्यासों के बारे में संकेत किया है। लेकिन क्या ऐसी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने की कोई व्यवस्था है?

यदि आप अपने चारों ओर देखें तो आपको ऐसे संस्थानों के कई उदाहरण उदाहरण मिल जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि संस्थागत उत्तरदायित्व की बहुत आवश्यकता है और शैक्षणिक संस्थानों का जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र पर काम किया जाना चाहिए।

15.3.1 संस्थागत उत्तरदायित्व का अर्थ

उत्तरदायित्व का अंग्रेजी शब्द (Accountability) शब्द लैटिन शब्द accomptare (to account) से उद्धृत है। 13 वीं शताब्दी के उत्तरदायित्व शब्द नॉर्मन इंग्लैंड में उपयोग होने तक किसी भी अंग्रेजी पाठ में दिखाई नहीं देता है। सरल शब्दों में उत्तरदायित्व के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के सापेक्ष प्रदर्शन का मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता होती है। उत्तरदायित्व का अर्थ शिक्षार्थी के कार्यों और शिक्षा संस्थानों में ज्ञान की उपलब्धियों को 'जिम्मेदारी और दायित्व' के रूप आवंटित किया जाना प्रदर्शित होता है। यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि लोकतंत्र में 'स्वायत्तता और उत्तरदायित्व' साथ–साथ होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्वायत्तता की शक्ति है तो उसके पास स्वतंत्रता की उत्तम क्षमता है, इसलिए वह खुद को खुश और समृद्ध बनाने के उन सभी संभव चीजों को करने का प्रयास करेगा। इसलिए हर किसी के लिए अपने काम में उत्तरदायित्व लाना महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में जो भी विचार करता है उसे अपनी गतिविधि के द्वारा उचित ठहराने का प्रयास करता है।

हीम (1995) ने उत्तरदायित्व को इस तरह से परिभाषित किया है कि 'उत्तरदायित्व वह जिम्मेदारी है जो कुछ करने के लिए अधिकार के साथ आती है।' जिम्मेदारी सिर्फ उचित और विश्वसनीय रूप से अधिकार का उपयोग करना है। उन्होंने उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी, अधिकार, मूल्यांकन और नियंत्रण से जुड़ी एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार इसके लिए कम से कम दो समूहों और उनके बीच पारस्परिक संबंध की आवश्यकता होती है। एक समूह कार्रवाई करने के लिए प्रतिनिधि को अधिकार सौंपती है तो दूसरा समूह विश्वसनीयता के प्रदर्शन को दिखाता है। अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है जिसे भरोसेमंद प्रदर्शन के प्रदर्शन के आधार पर जारी रखा जा सकता है या रोक दिया जा सकता है।

15.3.2 उत्तरदायित्व के प्रकार

उत्तरदायित्व एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसकी विविध व्याख्याएँ हैं। इसमें अंतर करने के लिए जो मानदंड हैं वह संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों और उनके निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना के प्रकारों के बीच संबंधों पर आधारित है। इन मानदंडों के आधार पर उत्तरदायित्व के प्रकार निम्नलिखित हैं :

संगठनात्मक उत्तरदायित्व : संगठनात्मक उत्तरदायित्व वरिष्ठ/अधीनस्थ संबंधों (जैसे प्राचार्य कुलपति और शिक्षकों) के माध्यम से काम करती है और नेतृत्वकर्ता के अधिकार और जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। यह कुछ स्पष्ट नियम या मानक के अनुपालन को सुरक्षित करती है और यहां तक कि जब नेतृत्वकर्ता के आचरण में काफी स्वायत्तता होती है, तब भी वे संगठनात्मक उत्तरदायित्व के दबाव को महसूस करते हैं।

राजनीतिक उत्तरदायित्व : राजनीतिक जवाबदेही का प्रयोग मुख्य रूप से चुने गए राजनेताओं द्वारा की जाती है और लोकतांत्रिक नियंत्रण हासिल करने के लिए की जाती है। इसे तीन आयामों के अंतर्गत लागू किया जाता है : (1) राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का चुनाव (2) मंत्री के स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से उन मंत्रियों के माध्यम से लागू किया जाता है, उनसे संबंधित मंत्रालय में हर मामले के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाता है, (3) संवैधानिक या अन्य समतुल्य दस्तावेजों में व्यक्त कानून।

कानूनी उत्तरदायित्व : कानूनी उत्तरदायित्व में न्यायालयों और अन्य न्यायिक संस्थानों की उत्तरदायित्व प्रणालियाँ अधिकारों की रक्षा और गलतियों का निवारण करके केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह अधिकतर संगठनात्मक और व्यक्तिगत व्यवहार की ईमानदारी की जाँच के बारे में है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व : शिक्षक, वकील, डॉक्टर, आदि जैसे पेशेवर, पेशेवर संघों द्वारा निर्धारित कुछ आचार संहिता और पद्धतियों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। पेशेवर उत्तरदायित्व इन मानकों और व्यावसायिक व्यवहार के लिए आचार संहिता के अनुरूप है क्योंकि ये मानदंड सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं और सभी पेशेवरों को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता है।

नैतिक या नीतिपरक उत्तरदायित्व : नैतिक या नीतिपरक उत्तरदायित्व का पेशेवर के आचरण में केंद्रीय स्थान होता है। यह उन आंतरिक मूल्यों पर निर्भर करता है जिनका पेशेवर स्वेच्छा से पालन करते हैं। नीतिपरक या नैतिक और पेशेवर उत्तरदायित्व के बीच का अंतर वह डिग्री है, जिसे आधिकारिक मानकों में शामिल किया गया है। पेशेवर उत्तरदायित्व पेशेवर संघों के सदस्यों के लिए बाध्यकारी है, जबकि नैतिक या नीतिपरक उत्तरदायित्व पेशेवरों द्वारा अनौपचारिक आचार संहिता पर निर्भर करती है। शिक्षकों की बच्चों, उनके माता–पिता और अन्य हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता है और वे विद्यार्थियों के सर्वोत्तम हित के लिए प्रभावी शिक्षण और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करते हैं।

शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में जो एनी एंडरसन (2005) ने उत्तरदायित्व की प्रणालियों के तीन प्रकारों की पहचान की है :

नियमों का अनुपालन

पेशेवर मानदंडों का अनुपालन

परिणामों से संचालित

किसी भी शैक्षिक प्रणाली में विभिन्न अधिकारी कुछ नियमों और विनियमों, आचार संहिता या पेशेवर नैतिकता द्वारा शासित होते हैं। और वे मानदंडों से किसी भी विचलन के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इसी तरह शिक्षकों को भी अक्सर विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। हालांकि विद्यार्थियों के सीखने के लिए शिक्षकों पर जवाबदेही तय करना एक बहस का मुद्दा रहा है। क्योंकि यह कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है जो शिक्षकों के नियंत्रण में नहीं होता हैं।

15.3.3 संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चयन के प्रावधान

उत्तरदायित्व को या तो प्रक्रिया (कैसे कुछ भी किया जाता है) या परिणामों (क्या परिणाम प्राप्त किया जाता है) की ओर निर्देशित किया जा सकता है? शिक्षकों के मामले में जब इसे प्रक्रिया की ओर निर्देशित किया जाता है तो शिक्षक को प्रचलित अपेक्षाओं के अनुसार गतिविधि का संचालन करने की जिम्मेदारी के साथ गतिविधि में संलग्न होने का अधिकार दिया जाता है। जब इसमें परिणामों को शामिल करके आगे बढ़ाया जाता है तब शिक्षक अपने कार्यों के प्रभावों या परिणामों के लिए जो चाहे सकारात्मक या नकारात्मक हो के लिए जिम्मेदार हो जाता है। उत्तरदायित्व के सामान्य कार्यों को निम्नलिखित के रूप में समझा जा सकता है:

लोकतांत्रिक नियंत्रण : उत्तरदायित्व के लिए नागरिक समाज के लोकतांत्रिक नियंत्रण को प्रतिनिधियों (शिक्षकों) पर नियंत्रण करने और उन्हें जनता की सेवा करने में उनकी प्रभावशीलता और दक्षता के लिए न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रतिनिधियों (यहाँ के शिक्षकों) पर नागरिक समाज के लोकतांत्रिक नियंत्रण को लागू करने में उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तरदायित्व प्रतिनिधियों को जनता की सेवा करने में उनकी प्रभावशीलता और दक्षता के लिए न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सार्वजनिक प्रशासन की ईमानदारी को बढ़ाना : उत्तरदायित्व व्यवस्था ईमानदारी और उचित आचरण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ाकर सार्वजनिक प्रशासन की ईमानदारी को मजबूत करती है और इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है।

प्रदर्शन सुधार में सहायक : उत्तरदायित्व प्रदर्शन सुधार का समर्थन करता है जो संगठनात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है और यह अनपेक्षित परिणामों से बचाती है।

सार्वजनिक प्रशासन की वैधता को बनाए रखना और बढ़ाना : उत्तरदायित्व एक ऐसे उपकरण के रूप में काम करता है, जो कर्ताओं (शिक्षकों) और हितधारकों (माता–पिता, विद्यार्थियों और समाज) के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है और इन दोनों के बीच सेतु का भी कार्य करती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि जनता की आवाज सुनी जाए और व्यक्तिगत संस्थानों को जनता के लिए उत्तरदायित्व बनाने में सक्षम बनाया जाए।

विरेचन के लिए पद्धति : अंत मे उत्तरदायित्व गंभीर कदाचार और सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन के मामलों में शुद्धिकरण के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। एक विस्तृत जांच जो सभी कारकों की पड़ताल करती है जिसके कारण अस्वीकृत नतीजे सामने आए। यह समझने का अवसर प्रदान करती है कि क्या गलत हुआ और क्यों। इस प्रकार यह त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकती है और नियमों और विनियमों के बेहतर अनुपालन में सहायता करती है।

15.4 संस्थान के स्वायत्तता की आवश्यकता एवं स्वायत्तता की प्रकृति एवं प्रकार

15.4.1 स्वायत्तता की अवधारणा एवं प्रकृति

प्राचीन काल से ही स्वायत्तता की अवधारणा विद्वानों की प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। यह अवधारणा पहले प्राचीन ग्रीस में चर्चा में आई थी और बाद में इसे ग्रीक शब्दों 'ऑटो' (सेल्फ) और 'नोमोस' (नियम या कानून) से लिया गया था। इसका अर्थ है कि जो स्वयं के द्वारा बनाए कानून को देता है। स्वायत्तता को अपने लिए सोचने और स्वतंत्र समाज में रहने के दौरान अपनी इच्छाओं पर काम करने के द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, जिसके कानून आपको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वशासन, अपना नियम और संप्रभुता जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वायत्तता के पर्याय के रूप में किया जाता है। प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग उन राज्यों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था जो स्व–शासित थे। लेकिन बाद में व्यापक रूप से यह व्यक्तियों की विशेषताओं के रूप में समझा जाने लगा। आज स्वायत्तता की अवधारणा का उपयोग दोनों इंद्रियों में किया जाता है हालांकि दार्शनिक मुख्य रूप से व्यक्ति के एक गुण के रूप में स्वायत्तता की व्याख्या करते हैं। शिक्षा के परिदृश्य में, ''स्वायत्तता'' की अवधारणा के बारे में सबसे आम समझ यह है कि यह पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए संस्थानों को व्यावसायिक स्वतंत्रता की डिग्री को संदर्भित करता है।

शिक्षा के संदर्भ में स्वायत्तता की अवधारणा के बारे में सबसे आम समझ यह है कि यह पाठ्यचर्या, शिक्षणविधि, पाठ्यक्रम की प्रकृति और कार्यक्रमों, आदि के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए संस्थानों को व्यावसायिक स्वतंत्रता की दर को प्रस्तुत करती है। यदि आप हमारे प्राचीन साहित्य को देखें तो आप पाएंगे कि प्राचीन भारतीय आश्रम का गुरु हमेशा स्वायत्त था। वह अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तय करता था, विद्यार्थियों में विकसित किए जाने वाले विभिन्न कौशल की पहचान करता था, आश्रम विद्यार्थियों के रहने की अवधि का निर्धारण करता था और विद्यार्थियों का मूल्यांकन, आदि करता था।

स्वायत्तता शब्द ग्रीक शब्द ऑटोनोमस से लिया गया है 'जिसका अपना कानून है' (ऑक्सफोर्ड डिक्सनरी, 2015)। लेकिन हमारे पास राजनीतिक, दार्शनिक और शैक्षिक व्यवस्था में इस शब्द के अलग–अलग अर्थ हैं। शैक्षिक व्यवस्था में इसे मुख्य रूप से संस्थागत स्वायत्तता और शिक्षक स्वायत्तता के संदर्भ में समझा जाता है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) में कहा गया है कि :

"शिक्षकों को समुदाय की चिंताओं क्षमताओं से संबंधित संचार और गतिविधियों के उचित तरीकों को विकसित करने के लिए नवाचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक शिक्षक के वेतन और सेवा की शर्तों को उनकी सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ और पेशे को आकर्षित करने की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि "शिक्षकों को शिक्षणशास्त्र के पहलुओं को चुनने में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, ताकि वे अपने कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की स्वायत्तता की सिफारिश की है और इसमें श्रेणीकृत स्वायत्तता की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया है।

स्वायत्तता की कुछ परिभाषाएँ

कोन्नली (2009) के अनुसार "स्वायत्तता व्यक्तियों को स्वतंत्रता और विचारों में खुलापन, सीखने और कार्यों की अनुमति देती है जो उन्हें दूसरों से रचनात्मकता, सोच या विचारों की खोज करने के तरीके से अलग बनाती हैं।"

ऑलराइट (1990) के अनुसार "स्वायत्तता को लगातार बदलती हुई लेकिन किसी भी समय अधिकतम आत्म–विकास और मानव–निर्भरता के बीच संतुलन की एक इष्टतम स्थिति है।" यह परिभाषा आत्म–विकास की प्रमुख अवधारणाओं के साथ–साथ परिवर्तन पर ज़ोर देती है। यह प्रक्रिया में हमारे अपने प्रयासों और मानवीय निर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन व्यक्तिवादी व्यवहार के रूप में पहले की स्वायत्तता की अवधारणा को खारिज करती है।

15.4.2 संस्थागत के स्वायत्तता की आवश्यकता

स्वायत्तता एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणा है। इसका उद्देश्य बाहरी नियंत्रण के बिना क्रियात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके संगठनों के निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना है। शैक्षिक संगठनों के संदर्भ में यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सक्षम वातावरण बनाती है। वास्तव में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी व्यक्ति या शिक्षक को तब तक उत्तरदायित्व नहीं कह सकते जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि उसे कार्य करने की स्वायत्तता दी गई है। संस्थानों की स्वायत्तता को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जा सकता है :

v) शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता

ब) अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के माध्यम से संस्थान को संचालित करने और प्रबंधित करने की स्वतंत्रता

इस तरह की स्वायत्तता अब एक मिथक बन गई है, जिसमें

1) राज्य की राजनीतिक शक्तियों के साथ बहुत अधिक जुड़ाव हो,

2) संस्थानों द्वारा वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े।

कई राज्य विभिन्न तरीकों से शैक्षणिक संस्थानों के स्वायत्त कामकाज पर नियंत्रण लागू करने के लिए आगे आए हैं। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के हाथों में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन गई है ताकि शैक्षणिक संस्थान की स्वायत्तता को कम किया जा सके।

15.4.3 स्वायत्तता के प्रकार

शिक्षा के संदर्भ और अकादमिक प्रणाली में हम दो प्रकार की स्वायत्तता के बारे में बात करते हैं : शिक्षक स्वायत्तता और शिक्षार्थी स्वायत्तता

i) शिक्षक स्वायत्तता

अब प्रश्न उठता है कि शिक्षक की स्वायत्तता क्या है? और इसकी आवश्यकता क्यों है? इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक कमीज़ सिलवाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक दर्जी को ढूढ़ेंगे और उसे अपनी अपेक्षाओं और परिणामों के बारे में बताएंगे लेकिन आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि यह कैसे करना है? आप उसे एक विशेषज्ञ के रूप में सम्मान देंगे और परिणामों के लिए उसके उत्तरदायित्व को उसके ऊपर

छोड़ देंगे। आप उसे यह निर्धारित करने में पूर्ण स्वायत्तता देते हैं कि उसे यह कैसे करना है। यदि दर्जी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप परिवर्तनों पर बातचीत कर सकते हैं लेकिन किसी भी तरह से उनकी स्वायत्तता और विशेषज्ञता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन शिक्षकों के मामले में ऐसा ही नहीं है। शिक्षार्थियों के परिणामों के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाता है जबकि उनकी स्वायत्तता सीमित होती है।

यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि शिक्षक की स्वायत्तता कोई नई अवधारणा नहीं है। इस अवधारणा के बारे में दशकों से कई नीतियों में कहा गया है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) के नौवें अध्याय में शिक्षक के बारे में कहा गया है कि :

समाज में शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक–सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है। यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता है। सरकार और समाज को इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए जो शिक्षकों को रचनात्मक और सृजनात्मक स्तर पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने में मदद करे। शिक्षकों को नवप्रवर्तन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि समुदाय की जरूरतों और क्षमताओं से संबंधित संचार और समुचित तरीकों को विकसित किया जा सके।

इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 के द्वारा भी समर्थन प्राप्त है जिसमें कहा गया है कि बेहतर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की स्वायत्तता आवश्यक है जो बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित भी करती है। शिक्षार्थी को जितना स्थान, स्वतंत्रता, लचीलापन और सम्मान चाहिए, उतना ही शिक्षक को भी आवश्यक होता है। एक अवधारणा है कि 'एक स्वायत्त शिक्षक के रूप में स्वायत्त शिक्षार्थी, पेशेवर रूप से विकसित होने की क्षमता के साथ'। यह अवधारणा शिक्षकों को अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन करके स्व–निर्देशित पेशेवर विकास की क्षमता पर केंद्रित है। स्वायत्तता की यह अवधारणा शिक्षकों की इस जिम्मेदारी पर केंद्रित है कि वे अपनी नौकरी करने के लिए हमेशा तैयार रहें और पेशेवर रूप से अपने को तैयार करें क्योंकि वे खुद जानते हैं कि क्यों, कब, कहां और कैसे शैक्षणिक कौशल हासिल किया जा सकता है।

शिक्षक की स्वायत्तता क्या है?

शिक्षकों की स्वायत्तता की कुछ मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। रामोस (2006) ने शिक्षकों के एक समूह द्वारा ऑनलाइन सहयोगी चर्चा के आधार पर शिक्षक स्वायत्तता शब्द की कुछ विशेषताओं को रेखांकित किया है। ये इस प्रकार हैं :

शिक्षक स्वायत्तता में शिक्षकों की बातचीत कौशल, उनकी खुद की शिक्षण प्रक्रिया पर मनन करने की क्षमता, आजीवन सीखने में संलग्न होने की तत्परता और शिक्षार्थी स्वायत्तता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता शामिल है। शिक्षक स्वायत्तता एक मननशील शिक्षक और एक शोधकर्ता की धारणा के बहुत निकट से संबंधित है। इसका अर्थ है कि शिक्षक अपने स्वयं के शिक्षण पर मनन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को बेहतर सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में संलग्न होते हैं।

स्वायत्त शिक्षकों को सामाजिक रूप से उपयुक्त तरीकों से संस्थागत बाधाओं से निपटने और बदलाव के अवसरों में बाधाओं को मोड़ने के लिए संस्था का अच्छा ज्ञान होता है। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि न तो शिक्षक और न ही विद्यार्थी स्वायत्तता का मतलब सभी सीमाओं से मुक्त होना होता है।

शिक्षक स्वायत्तता को अवलोकन, मनन, विचार, समझ, अनुभव और विकल्पों के मूल्यांकन के माध्यम से विकसित किया जाता है। अधिकार के अभाव में स्वायत्तता संभव नहीं होती है।

शिक्षक स्वायत्तता की अनेक विशेषताएं हैं, ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं, जिनमें शिक्षक, शिक्षण और मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास, विद्यालयी कामकाज और व्यावसायिक विकास सहित अपने नियंत्रण का उपयोग करते हैं। आगे ज़ोर दिया गया है कि शिक्षक स्वायत्तता व्यक्तिगत शिक्षकों की सर्वव्यापी विशेषता नहीं है यह हर शिक्षक में अलग तरह से प्रकट होती है। एक ही समय में प्रत्येक शिक्षक अलग–अलग क्षेत्र में अपने पेशेवर स्वायत्तता को अलग–अलग तरीकों से मानता है और अभ्यास करता है।

शिक्षक स्वायत्तता क्या नहीं है?

विल्चेस (2007) ने शिक्षक स्वायत्तता क्या नहीं है के क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला, कि :

1) शिक्षक स्वायत्तता स्वतंत्रता या अलगाव नहीं है बल्कि शिक्षकों की स्वायत्तता में परस्परनिर्भरता, जिम्मेदारी, आपसी सहयोग, पेशेवर विवेक और शैक्षिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।

2) शिक्षक स्वायत्तता केवल उन्हें अपनी नौकरी के लिए अधिक उत्तरदायित्व रखने का एक तरीका नहीं है इसलिए विद्यालय के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को कम करता है। शिक्षक की स्वायत्तता से तात्पर्य है कि शिक्षकों की पहल को विद्यालय और हितधारकों की जरूरतों के अनुसार आवश्यक पेशेवर क्रियाकलाप करने का अधिकार प्राप्त होता है।

3) शिक्षक स्वायत्तता एक निश्चित सत्ता नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो संदर्भ, व्यक्ति और वाह्य दबावों के तहत बदलती है।

4) शिक्षक की स्वायत्तता किसी भी तरह के दबावों से मुक्ति की पूर्ण स्थिति को प्रस्तुत नहीं करती है इसके बजाय इसमें विद्यालय हितधारकों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार जिम्मेदारी से विवेक का उपयोग करना शामिल होता है।

शिक्षा में स्वायत्तता की आवश्यकता शैक्षणिक विस्तार, उत्कृष्टता और नवाचार के आधार पर पैदा होती है। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में नियामक प्रणालियों की बहुलता और उनके हस्तक्षेप से स्वायत्तता के लिए बहुत कम जगह बची है।

शिक्षक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कारक

अपने दिन–प्रतिदिन के अनुभवों से आपने देखा होगा कि शिक्षकों की स्वायत्तता की भावना क्यों बदलती है? शिक्षकों की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न कारणों पर चर्चा की है जो शिक्षक स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। इन कारकों का सारांश निम्नलिखित बिन्दुओं में वर्णित है :

व्यावसायिक क्षमता और समर्थन : शिक्षक स्वायत्तता के बारे में उच्च स्तर की रिपोर्ट करते हैं यदि संस्थान जहां वे काम करते हैं वे उन्हें निर्णय लेने और जोखिम लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। वे स्वायत्तता की एक उच्च भावना की भी प्रस्तुत करते हैं जब नई शैक्षिक मांगों को उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि एवं अभिनव सिद्धांतों और अभ्यासों के बारे में जागरूकता के साथ पूरा किया जाता है।

शिक्षक की व्यक्तिगत मान्यता प्रणाली : "ज्ञान की प्रकृति के बारे में शिक्षकों की व्यक्तिगत मान्यताएं, स्वयं की धारणाएं और आत्म–मूल्य की भावनाएं (आत्म–अवधारणा, आत्म–सम्मान), आत्मविश्वास (आत्म–प्रभावकारिता), विशिष्ट विषयों या विषयों के बारे में

पूर्व धारणाएं शिक्षकों की स्वायत्तता की भावना को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती है।" (पजारे, 1992)।

शिक्षक की आंतरिक और वाह्य अभिप्रेरणा : आंतरिक कारकों में नौकरी की संतुष्टि, शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने की इच्छा, समाज में एक परिवर्तन की इच्छा और उपलब्धि की भावना शामिल होती है जबकि वाह्य कारकों में वेतन, गैर मौद्रिक सीमांत लाभ और प्रदर्शन की मान्यता शामिल होती है। यह पाया गया है कि आंतरिक पुरस्कार, विशेष रूप से नौकरी से संतुष्टि, शिक्षकों को प्रेरित करने की तुलना में अधिक प्रेरक पुरस्कार होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा शिक्षक की स्वायत्तता को विकसित करने में मदद करती है, जबकि तनाव, दबाव या शिक्षक की अक्रियाशीलता से शिक्षक स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक कारक : शिक्षक परिवर्तन के भय से, नियंत्रण पर पकड़ न होने के डर से, और कक्षा में शक्ति संतुलन के अभ्यास के माध्यम से, विद्यार्थियों के सशक्तीकरण के डर से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक कारक हैं, जो शिक्षकों को स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं।

ii) शिक्षार्थी स्वायत्तता

शिक्षार्थी की स्वायत्तता को व्यक्ति के मनन, निर्णय लेने, कार्य करने की इच्छा और अपने दम पर प्रयोग करने की क्षमता के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है। इसे सीखने की व्यक्तिगत या स्व–नियमित जिम्मेदारी लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लिटिल (1991) के अनुसार शिक्षार्थी स्वायत्तता मुख्य रूप से सीखने की सामग्री के संबंध में शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक संबंध और सीखने की प्रक्रिया – अलगाव, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेने और स्वतंत्र क्रिया के लिए क्षमता है। जब एक शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अधिक जानने और सीखने का वह हर अवसर प्राप्त करता है उसमें एक स्वायत्त शिक्षार्थी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। शिक्षार्थी के आस–पास के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे उन बाधाओं को दूर करें जो शिक्षार्थी को हतोत्साहित करती हैं। कभी–कभी निष्क्रिय समर्थन शिक्षार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे स्वतंत्र पथ पर रखता है।

शिक्षार्थी की स्वायत्तता सीखने वाले को विभिन्न स्रोतों से कुछ पहलुओं में सीखने का संकेत दे सकती है। शिक्षार्थी की स्वायत्तता शब्द का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाने लगा है। बेन्सन और वोलर (1997) के अनुसार, शिक्षार्थी स्वायत्तता का तब प्रयोग किया जाता है जब :

- ऐसी परिस्थितियाँ हों, जिनमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं;
- कौशल का समूह जिसका उपयोग स्व–निर्देशित होकर सीखने में या सीखने के बाद किया जा सकता है;
- एक जन्मजात क्षमता, जो संस्थागत शिक्षा द्वारा दबा दी जाती है;
- स्वयं के सीखने के लिए शिक्षार्थियों की जिम्मेदारी का अभ्यास; एवं
- शिक्षार्थियों के अपने स्वयं के सीखने की दिशा निर्धारित करने का अधिकार हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपने काम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल रहता है। इससे शिक्षार्थियों को वे जो कुछ सीखना चाहते हैं (विषय–सामग्री), वे कैसे सीखेंगे (कार्यप्रणाली), और जब वे सीखना चाहते हैं (समय), को कुछ नियंत्रित कर इसे सीख सकते हैं।

शिक्षार्थी स्वायत्तता क्या नहीं है?

स्वायत्तता आवश्यक रूप से आत्म–निर्देश से संदर्भित नहीं होती है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक की ओर से हस्तक्षेप या पहल निषिद्ध है।

यह शिक्षक के लिए कुछ नहीं है जो वह शिक्षार्थी के लिए करते हैं।

यह एक एकल पहचान योग्य व्यवहार नहीं है।

यह सभी शिक्षार्थियों द्वारा एक बार और सभी के लिए प्राप्त एक तैयार अवस्था नहीं है।

क्या स्वायत्तता और उत्तरदायित्व एक साथ हो सकते हैं?

अध्ययनों से पता चलता है कि पाठ्यचर्या, आकलन और संसाधन आवंटन से संबंधित निर्णयों में स्वायत्तता प्रमुख रूप से विद्यार्थी के प्रदर्शन से संबंधित होती है। यह तब होता है जब विद्यालय मुख्य रूप से उत्तरदायित्व की संस्कृति के भीतर काम करते हैं। यह पाया गया है कि विद्यार्थी उन देशों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जहां शिक्षार्थी को क्या सिखाया जाता है? और कैसे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है? पर शिक्षण संस्थानों में अधिक स्वायत्तता होती है। उसी तरह संसाधन आवंटन में अधिक स्वायत्तता का वाले शैक्षणिक संस्थान कम स्वायत्तता वाले शैक्षणिक संस्थान की तुलना में अधिक स्वायत्तता का वाले शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि यह काफी दिलचस्प है कि उन देशों में जहां इस तरह के उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं है और संसाधन आवंटन में अधिक स्वायत्तता वाले विद्यालय खराब प्रदर्शन करते हैं। सामान्य मानकों के लिए उत्तरदायित्व आवश्यक है क्योंकि आज के विद्यार्थी कल के माता–पिता, वयस्क नागरिक और उत्पादक श्रमिक होंगे। समाज को यह सुनिश्चित करने में रुचि लेना चाहिए कि वे रचनात्मक भूमिकाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और वे एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज द्वारा आवश्यक गुणों और रीति–रिवाजों की समझ साझा करते हैं। इस प्रकार स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों ही आवश्यक व्यवस्था हैं। स्वायत्त विद्यालयों को प्रभावी होने के लिए उत्तरदायित्व ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। स्वायत्तता उत्तरदायित्व के साथ हो सकती है और स्वायत्तता के बिना कोई अर्थ नहीं है। स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं और एक दूसरे को अर्थ देते हैं।

15.5 सारांश

हमने सीखा कि स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों शिक्षकों के साथ–साथ विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की स्वायत्तता के बारे में कई विचार हैं जिनमें शिक्षक की क्षमता और शिक्षार्थियों की मदद करने की इच्छा शामिल है। शिक्षक की स्वायत्तता विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है जिसमें पेशेवर क्षमता और सहयोग, शिक्षकों की व्यक्तिगत विश्वास प्रणाली, शिक्षकों की आंतरिक और वाह्य अभिप्रेरणा, और मनोवैज्ञानिक कारक शामिल हैं। शिक्षकों को इन सीमाओं के भीतर स्वायत्तता विकसित करने की आवश्यकता होती है। चूंकि स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए शिक्षकों के लिए शिक्षक के विकास के विभिन्न तरीकों का पता लगाना और उनकी शैलियों में सबसे योग्य होने के दृष्टिकोण का पता लगाना महत्वपूर्ण है। वर्तमान अध्याय में शिक्षकों की स्वायत्तता को विकसित करने के लिए कई दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है, जिसमें बदलावों को लागू करने की क्षमता और इच्छाशक्ति, पेशेवर शिक्षक विकास के लिए एक सामाजिक नेटवर्क बनाना, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता विकसित करना, सहकर्मी सहयोग के लिए अवसरों में वृद्धि करना, और निर्णय प्रक्रिया में शिक्षक की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। एक स्वायत्त शिक्षक सुगमकर्ता और सलाहकार होता है। सीखने की स्थितियों

में उसकी जिम्मेदारी है कि उसे एक सीखने का माहौल बनाना है जो विद्यार्थियों को विषय–सामग्री, उपकरण, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। जिसके लिए शिक्षक को अपने अध्ययन की योजना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। स्वायत्त अधिगम के लिए शिक्षक की ओर से अधिक, बुद्धिमान और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह शिक्षक–रहित शिक्षा नहीं है। शिक्षार्थी धीरे–धीरे स्वायत्त होते जाते हैं और बेहतर और उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे और आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी को अधिक समय लग सकता है और उसे दूसरों की तुलना में अधिक अनुनय की आवश्यकता होती है। तैयार और जिज्ञासु शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करते हुए प्रतिबद्ध और सक्षम प्रदर्शन करने वाले शिक्षक स्वायत्त रूप से सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इस स्वायत्तता के फलस्वरूप शिक्षकों को विद्यार्थी की प्रगति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। शिक्षक को वास्तविक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि उसने वास्तव में कक्षा को पढ़ाने की कितनी कोशिश की है और उसने प्रत्येक छात्र को बेहतर बनाने में कितनी मदद की है। उत्तरदायित्व ऐसी प्रकार की जिम्मेदारी है जो कुछ सार्थक करने के लिए अधिकार के साथ होती है। जिम्मेदारी अधिकार का विश्वसनीय ढंग से उपयोग करती है। स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों महत्वपूर्ण व्यवस्था हैं और दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को अर्थ देते हैं।

15.6 अभ्यास प्रश्न

1) शिक्षा में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्यों आवश्यक है। अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ एक चर्चा का आयोजन करें और एक चिंतनशील रिपोर्ट तैयार करें।

2) अपने पाठ्यक्रम से किसी भी विषय का चयन करें। शिक्षार्थियों के बीच स्वायत्तता विकसित करने के लिए उस विषय को हस्तांतरित करने में शिक्षक और शिक्षार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

3) क्या स्वायत्तता और उत्तरदायित्व एक साथ हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

15.7 संदर्भ ग्रंथ और आगामी अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री

- अल्ब्रोंज, ओ. (1991). ऑटोनामी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन. प्रोसपेक्ट्स, 21(2) 204–213.
- आलराइट, डी. (1990). ऑटोनामी इन लैंगवेज पेडागाजी. इन सीआरआईएलई वर्किंग पेपर्स 6. सेंटर फॉर रिसर्च इन एजुकेशन. लैंकास्टरः यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर.
- एंडरसन, जो एन्ने (2005). अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन. पेरिस : यूनेस्को.
- बखुर्स्ट, डी. (2011). द फार्मेषन ऑफ रीजन. ऑक्सफोर्ड : विली–ब्लैकवेल.
- बेन्सन, पी. एंड वोल्लर, पी. (एडिटेड) (1997). ऑटोनामी एंड इंडीपेंडेंस इन लैंगवेज लर्निंग. लंदन : लॉन्गमैन
- कोन्नली, जी. (2009, मार्च–अप्रैल). बैलेंसिंग अकाउंटेबिलिटी विथ ऑटोनामी एंड अथॉरिटी. अलेक्जेंड्रिया : नेशनल असोसियेशन ऑफ एलीमेंट्री विद्यालय प्रिंसिपल्स. पेज 64–66.

- गिब्स, बी (1979). ऑटोनामी एंड अथॉरिटी इन एजुकेशन. जर्नल ऑफ फिलॉसफि ऑफ एजुकेशन. 13(1). 119–132.
- हीम, एम. (1996). अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन : ए प्राइमर ऑफ विद्यालय एजुकेशन. वाशिंगटन, डीसी : ऑफिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट (ईडी).
- लिटिल, डी. (1991). लर्नर ऑटोनामी 1 : डिफीनिशन्स इस्सूज एंड प्रोब्लम्स. डबलिनः औथेंटिक.
- एनसीईआरटी (2005). नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. न्यू दिल्ली : एनसीईआरटी.
- नायलोर, सी. (2011). द राइट्स एंस रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ टीचर प्रेफेशनल ऑटोनामी. ब्रिटिश कोलम्बिया टीचर्स फेडरेशन (बीसीटीएफ रिसर्च रिपोर्ट) (पेज 1–24 रेप. न. 2011– ईआई–03) वानकुअर, बीसी : ब्रिटिश कोलम्बिया टीचर्स फेडरेशन.
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (1986). नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. न्यू दिल्लीः एमएचआरडी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 16 शैक्षणिक प्रबंधन के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT)

संरचना

16.1 परिचय

16.2 उद्देश्य

16.3 शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन की परिभाषा

16.4 शैक्षणिक प्रबंधन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का महत्व

16.5 शैक्षणिक प्रबंधन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग (E-गवर्नेन्स)

- 16.5.1 विद्यालय प्रबंधन उपकरण
- 16.5.2 अध्यापकों अभिभावकों, विद्यार्थियो और कर्मिकों के लिए ERP का उपयोग करते हुए डाटाबेस प्रबंधन
- 16.5.3 अभिलेख रखरखाव (चिकित्सा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, विद्यार्थी परिणाम)
- 16.5.4 कागजमुक्त प्रशासन
- 16.5.5 अध्यापकों और कार्मिकों के मध्य कर्त्तव्यों का निर्धारण
- 16.5.6 विद्यार्थी पोर्टफोलियो
- 16.5.7 आकलन और मूल्यांकन का प्रबंधन

16.6 वित्तीय प्रबंधन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग

- 16.6.1 विद्यार्थियों के शुल्क अभिलेख का प्रबंधन
- 16.6.2 विद्यालय बजट का प्रबंधन
- 16.6.3 लेखाप्रणाली
- 16.6.4 संसाधन योजना और साझा करने हेतु सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

16.7 प्रभावी प्रबंधन के लिए अभिभावकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के ऑनलाइन समुदाय की रचना

16.8 सारांश

16.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

16.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.1 परिचय

आज के दौर में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) विद्यालयी संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे– अधिगम, शिक्षण और प्रबंधन में परिवर्तन के लिए कई अवसर उपलब्ध कराती है। विद्यालय के विभिन्न कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु अध्यापकों और प्रशासकीय कार्मिकों के लिए आवश्यक कौशलों को बेहतर करने तथा में बृहत रूप से परिवर्तन लाने हेतु विद्यालय को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी विद्यालयी तंत्र के समस्याओं के समाधान हेतु उपकरण उपलब्ध कराती है।

निःसंदेह रूप से कहा जा सकता है किसूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) विद्यालय यंत्र के कार्यो को समग्र रूप प्रभावकारी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) संसाधित विद्यालय को आज के दौर में 'स्मार्ट विद्यालय' के नाम से जाना जाता है।

इस इकाई में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) और इसके उपकरण, अध्यापकों और प्रशासकों को उनके प्रबंधक तंत्र और उनके विविध कार्यो को सुचारू और बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है।

16.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- शैक्षणिक प्रबंधन की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे,
- विद्याालय प्रशासन और प्रबंधन के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की महत्ता के बारे में एक दृष्टिकोण उपलब्ध करा पायेंगे;
- शिक्षा में उपक्रम संसाधन योजना (ERP) की उपयोगिता की व्याख्या कर पायेगे;
- विद्यालय अभिलेखन और उसके रखरखाव में ICT की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- अभिलेखन और सूची निर्माण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे;
- विद्यालय प्रबंधन तंत्र (MIS) भी कार्यप्रणाली और भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे;
- अर्थिक प्रबंधन के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेंगे;
- अभिभावकों से संवाद स्थापित करने के लिए तकनीकों का प्रभावी ढ़ग से उपयोग कर पायेंगे; तथा
- शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सरकार के विभिन्न पहल का वर्णन कर पायेंगे।

16.3 शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन : परिभाषा

आइये, प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ समझने का प्रयास करते है। सरल रूप में प्रबंधन में पाँच आधारभूत क्रियाओं का समावेश होता है, नियोजन, संगठन, समन्वयन, निर्देशन और नियंत्रण। इनका अनुप्रयोग कई और क्षेत्रों में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि नियोजन बनाने का अर्थ है भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करना और क्रियान्वयीकरण के लिए योजना बनाना। **संगठित** करने का तात्पर्य है– मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता **सुनिश्चित करना**। **समन्यवन**, संस्था या संगठन के निर्धरित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने से संबंधित है। **निर्देशन** संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता या कर्मचारियों को कार्य सोचने और उनको समुचित दिशा–निर्देश देने सें संबंध रखता है, तथा **नियंत्रण,** योजना तैयार करने के दौरान निर्धरित योजना के संदर्भ में क्रियान्वयीकरण के प्रगति की जाँच करने से संबंध रखता है।

प्रशासन और प्रबंधन को कभी–कभी एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखा जाता है, परन्तु दोनों के मध्य अन्तर को ओलिवर शेल्डन (1923)ने रेखांकित किया। उन्होंने प्रशासन को निर्णायक मंडल और प्रबंधन को कार्यकारिणी के रूप में वर्गीकृत किया। यह विरोधाभासी दृष्टिकोण, मुख्यतः तीन विचारों की ओर इंगित करता है :

i) प्रशासन एक निर्धारक प्रकार्य तथा प्रबंधन एक कार्यकारी प्रकार्य है।

ii) प्रशासन, प्रबंधन का हिस्सा है अर्थात प्रबंधन एक मूल शब्द है, जिसमें प्रशासन का समावेश होता है।

iii) प्रबंधन और प्रशासन के मध्य कोई भेद नही है।

(संदर्भः इकाई 1, एम.ई.एस–041: शैक्षणिक प्रबंधन का विकास और वृद्धि)

प्रबंधन व्यापक हैं तथा समाज के सभी क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता है। शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञानः कौशल, मूल्य, अभिवृत्ति इत्यादि का अधिगम अनुभव प्रदान करने का एक निर्धारित स्थल है तथा उसका अंतिम ध्येय विद्यार्थियों को समाज का उत्पादक सदस्य बनाना है। अतः शैक्षणिक संस्थानों के व्यवस्थापन में नियोजन, संगठित करना, निर्देशन करना तथा नियंत्रण का समावेश होता है। शैक्षणिक प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य भौतिक तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करना है।

शैक्षणिक प्रबंधन हेतु बहुकौशल से युक्त प्रबंधकों की आवश्कता होती है। इनमें मानव–कौशल के अतिरिक्त, प्रबंधकीय, अर्थिक, लेखा और बजट निर्धारण, व्यावसायिक, तकनीकी और सुरक्षा कौशल का समावेश होता है।

चार प्रकार के महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कौशलों को नीचे परिभाषित किया गया है :

1) **तकनीकी कौशलः** यह कौशल एक व्यक्ति के एक विषिष्ठ कार्य को संपादित करने की योग्यता से संबंध रखता है। प्रबंधकीय निरीक्षण के लिए विधि, प्रक्रम और प्रक्रिया का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है।

2) **मानव कौशलः** यह कौशल एक व्यक्ति के समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ सौहर्द्र पूर्वक कार्य करने की योग्यता से संबंधित है। समूह में नेतृत्व करने, प्रेरित करने, तथा निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त के लिए एक समुचित वातावारण का निर्माण करने की योग्यता होना आवश्यक है।

3) **संकल्पनात्मक कौशलः** यह कौशल एक व्यक्ति के शैक्षणिक उद्देश्यों और क्रियाकलापों को समग्र रूप से समझने और समन्वित करने हेतु अमूर्त परिस्थितियों की संकल्पना करने की योग्यता से संबंधित है।

4) **प्रशासनिक कौशलः** यह योजना बनाने, संगठित करने, प्रेरित करने, निर्देशित करने नियंत्रित करने तथा समन्वित करने के कौशलों से संबंधित है।

(संदर्भः इकाई एम.ई.एस-041 शैक्षणिक प्रबंधन का विकास और वृद्धि)

शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन को सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार प्रभावित किया है अब हम जानने का प्रयास करेंगे।

16.4 शैक्षणिक प्रबंधन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का महत्व

गत वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास और वृद्धि हुई है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी शैक्षणिक क्षेत्र में प्रशासन और प्रबंधन एक पेचीदा कार्य बन गया है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी और उसे विभिन्न उपकरणों ने प्रशासनिक प्रणाली के प्रभावशीलता और सहजता को वृद्धि करने हेतु परिवर्तन करने का प्रयास किया है। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने शैक्षणिक प्रणाली में प्रशासन और प्रबंधन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है? तथा, किस प्रकार शैक्षणिक संस्थान ई–गवर्नेन्स और स्वचालित विद्यालय प्रबंधन कार्यक्रम को अपना रहे हैं? इसके क्रियान्वीकरण के लिए हितधारकों को क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है।

16.5 शैक्षणिक प्रबंधन (ई-गवर्नेन्स) में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

शैक्षणिक प्रबंधन में कई प्रकार की गतिविधियों जैसे प्रवेश, अभिलेख संचयन, संसाधन प्रबंधन इत्यादि का समावेश होता है तथा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी इन सभी गतिविधियों के क्रियान्वीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रभावकारी ढंग से निभाता है। इसका उपयोग एक शिक्षण संस्थान मे विद्यार्थी प्रबन्धन से लेकर विभिन्न संसाधन प्रशासन के लिए किया जा सकता है।

शैक्षिक प्रबंधन के तीन प्रमुख क्षेत्रों में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है :

1) **विद्यार्थी–संबंधी:** इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवेश, पंजीकरण/नामांकन, समय सारणी/कक्षा प्रबंध, विद्यार्थियो की उपस्थिति, प्रगति पत्र, आवास आवागमन व्यवस्था, इत्यादि

2) **अध्यापक–संबंधी:** शिक्षण–अधिगम गतिविधियों के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में, जैसे– अभिलेख रखरखाव में, सेवा नियम, सी.के.एस.ई. तथा एन.सी.ई.आर.टी. से प्राप्त नवीनतम निर्णय आदि।

3) **विद्यालय क्रियान्वयन :** भर्ती और कार्य वितरण, उपस्थिति और अवकाश प्रबंधन, कार्य निष्पादन प्रतिवेदन, ई–मेल के द्वारा संप्रेषण, कार्यालय संबंधी ई–विज्ञप्ति, परीक्षा हेतु स्थान उपलब्ध कराना, आवेदन विद्यार्थियों के परिणाम का प्रदर्शन, आनलाइन शुल्क जमा करना इत्यादि।

16.5.1 विद्यालय प्रबंधन उपकरण

विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से सभी हितधारकों, जैसे– विद्यालय प्रबंधन समिति, अध्यापक, कार्मिक, पूर्व विद्यार्थियों, समुदाय के सदस्य तथा अन्य लोगों के मध्य अन्तः क्रिया और संप्रेषण से संबंध रखता हे। विद्यालय प्रबंधन का एक व्यापक शब्द है, जिसमें विद्यालय प्रवेश, विषय चयन, पाठ्यक्रम चयन, कक्षा तथा अध्यापक वितरण, व्यवस्थित अभिलेख रखना, अभिभावकों से संवाद स्थापित करना, विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र तैयार करना तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ो का विश्लेषण करना, इत्यादि का समावेश है। विद्यालय प्रबंधन सभी हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। विद्यालय प्रबंधन नीति निर्धारण करने तथा उनके क्रियान्वीकरण और विद्यार्थियों के लिए अधिगम वातावारण का सृजन करने तथा उनके कौशल और योग्यता को पोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

विद्यालय प्रबंधन में कई प्रक्रियाओं का समावेश होता है जैसे नियोजना, बजट, लेखा, विद्यालय संबंधी प्रक्रियायें जैसे– समयसारणी, शुल्क एकत्रीकरण, कार्मिक प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, अभिभावकों और समुदाय के साथ संवाद स्थापित करना। इन सबके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधक को सी.बी.एस.ई., एन.सी.ई.आर.टी. तथा भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विद्यालय शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश, सुझाव तथा शिक्षा के संबंध में हुए परिवर्तनों और विकास के संदर्भ में जानकारी रखनी चाहिए। समय के साथ विकास करने के लिए तथा इन सब कार्यो को सुचारू ढंग से निवर्हन करने के लिए **विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर** प्रशासनिक और प्रबंधकीय दोनो उद्देश्य से अत्यधिक सहायक होगा।

यह वर्तमान में भारत में चलाये जा रहे प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन अभियान के अनुरूप होगा तथा इससे कार्यो को प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। कई प्रकार के

सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी में तथा मुक्त स्रोत दोनों वर्ग में उपलब्ध हैं। यह विद्यालय प्रबंधन निर्णय करेगा कि उनके लिए सबसे उपयोगी कौन सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम कुछ विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि निःशुल्क उपलब्ध है।

Fekara: Fekara, आपके विद्यालय को जैसा आप चाहते है वैसा ही प्रबंध करेगा। प्रवेश से लेकर उपस्थिति तथा परीक्षा से परिणाम पपत्र तक के कार्यो का प्रबंधन करेगा। इसके दो प्रारूप है, निःशुल्क प्रारूप और शुल्क सहित प्रारूप। आप अपने आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सकते है। यह शैक्षणिक संस्थानों के लिए आवश्यक आधुनिक प्रशासन और प्रबंधन विशेषताओं से युक्त है। इसके माध्यम से अधिगम, प्रशासन और प्रबंधन गतिविधियों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। यह परीक्षा, दत्तकार्य, बजट और आंतरिक संदेशों को सुव्यस्थित ढंग से संपादित करता है। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क नहीं है। इसके दो प्रारूप है : निःशुल्क और शुल्क सहित प्रारूप। निःशुल्क प्रारूप छोटे विद्यालयों के लिए है। शुल्क अदा करके अतिरिक्त आँकड़े एकत्रीकरण क्षमता तथा अन्य विशेषताओं को बढ़ाया जा सकता है।

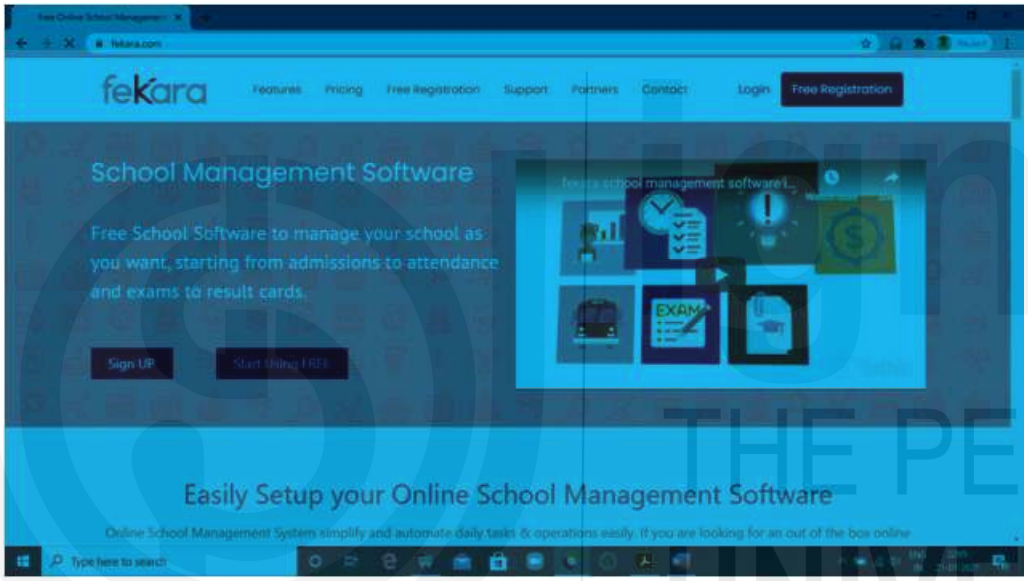

चित्र 16.1: होमपेज Fekara

- TS School:- TS School, Time Software School का लघु रूप है। यह एक विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सभी प्रकार के विद्यालय कर सकते है। प्रबंधन के लिए इसमें विविध प्रकार के माड्यूल उपलब्ध है। Fekara की तरह TS School का एक बेसिक प्रारूप विशेषताओं के साथ उपलब्ध है परन्तु संपूर्ण क्रियाकलापों को संपादित तथा सहायता करने वाला प्रारूप शुल्क के साथ उपलब्ध है (वेबसाइट:http://www.ts-school.com/)

चित्र 16.2: होमपेज TS School

- **Fedena:-** Fedena एक ऐसा विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क और मुक्त स्रोत पर उपलब्ध है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों; विषयों और प्रणाली तथा प्रक्रिया को प्रभावकारी ढंग से संचालित किया जा सकता है। यह "Ruby on Rails" पर आधारित है जिसे Foradian Technologies के एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रोजेक्ट को मुक्त स्रोत के रूप में Foradian द्वारा प्रस्तुत किया गया और वर्तमान में मुक्त स्रोत समुदाय द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है (वेबसाइटःhttp://www.projectfedena.org/)

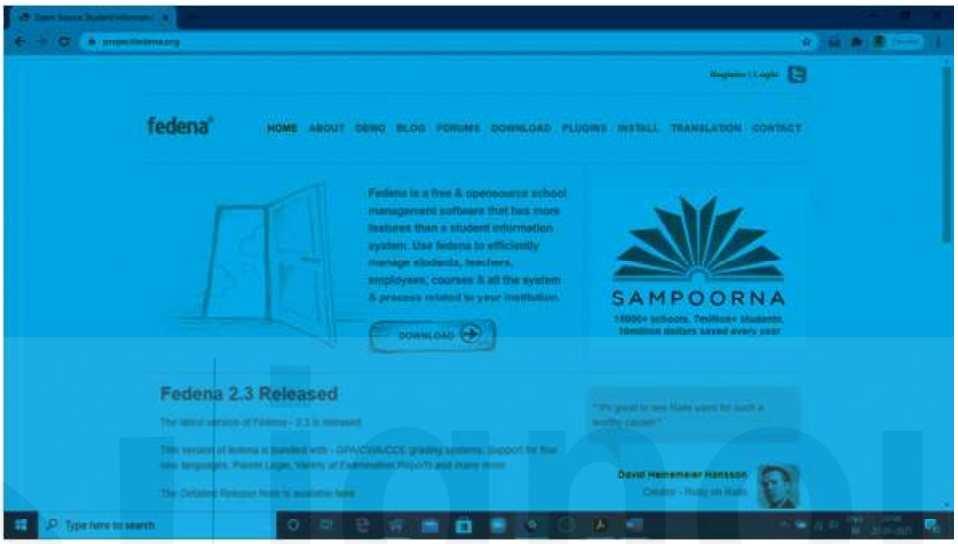

चित्र 16.3: Fedena का होमपेज

School Tool: स्कूल टूल निःशुल्क, मुक्त स्रोत, वेब आधारित विद्यार्थी सूचना प्रणाली है। इस टूल में कई विशेषताएँ हैं, जैसे– इच्छित विद्यार्थी एवं अध्यापक तथा अन्य व्यक्तिगत आँकड़े, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों के लिए संपर्क प्रबंधन, अध्यापक ग्रेड पुस्तिका, कौशल और परिणाम आधारित आकलन, विद्यालय स्तर पर आकलन आँकड़ा एकत्रीकरण तथा प्रगति निर्माण, कक्षा उपस्थिति और दैनिक भागीदारी ग्रेड, विद्यालय,समूह, व्यक्तिगत समय सारणी तथा संसाधन आरक्षण, विद्यार्थी की पहचान करना और प्रबंधन करना। इस टूल को नियमित अद्यतन के साथ Python की सहायता से बनाया गया है तथा

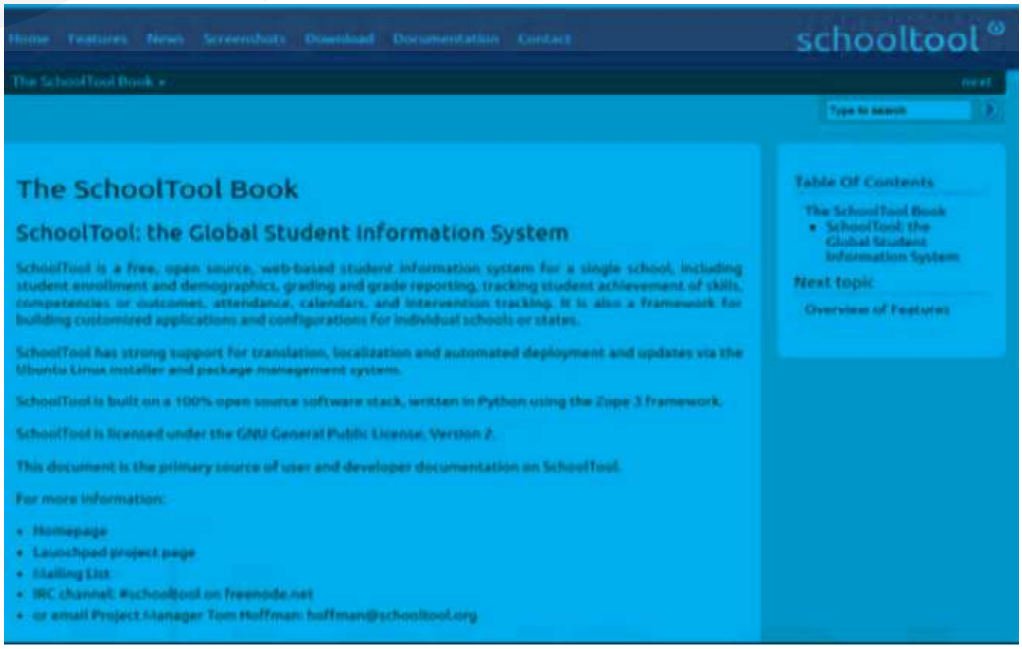

चित्र 16.4: विद्यालय टूल का होमपेज

Linux Ubuntu पर संचालित किया जाता है। इसका अपना वेब सर्वर और डाटाबेस है। इसकी केवल एक ही कमी है कि प्रशासनिक कार्यों जैसे शुल्क और लेखा विशेषताओं की तुलना में, यह शिक्षण–अधिगम केन्द्रित है तथा अध्यापक सहायतार्थ विशेषताओं से युक्त है। (वेबसाइट:http://schooltool.org/)

- Open Admin for Schools:- Open Admin for Schools एक मुक्त रूप से मिलने वाला निःशुल्क सॉफ्टवेयर पैकेज है तथा GNU (General Public License) के अर्न्तगत अधिकृत है। Open Admin for School विविध विशेषताएँ उपलब्ध कराता है, जैसे– उपस्थिति, अभिलेखाकिरण, प्रबंधन प्रणाली, आदि।

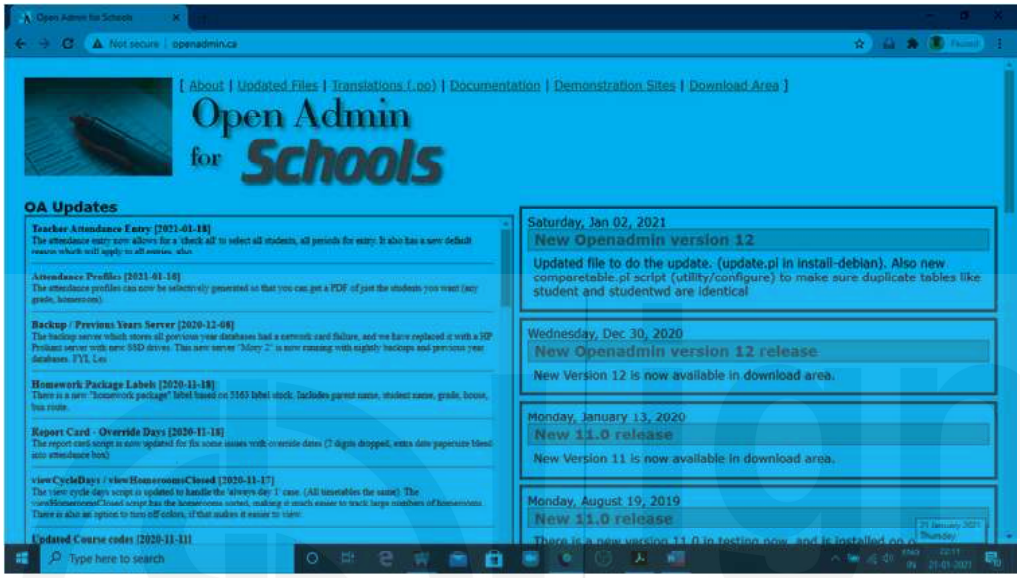

चित्र 16.5 : open Admin for School होमपेज

http://www.openadmin.ca/docs/userdoc-9.00.pdf

Open Admin for School निःशुल्क तथा मुक्त स्रोत से प्राप्त होने वाला सबसे व्यापक विद्यालय प्रशासन सॉफ्टवेयर है। सर्वर रिसोर्स रिक्वायरमेंट तथा कम्यूनिकेशन बैंडविथ दोनों में यह पूर्णतः वेब आधारित टूल है।

वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर निम्नांकित विशेषताओं से युक्त है–

- **आंकड़े** : यह विद्यार्थियो और परिवार से सूचना को संग्रहण करता है, जिसे कई तरह से देखा जा सकता है और प्रिंट भी किया जा सकता है।
- **उपस्थिति** : उपसिति केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है।
- **अनुशासन** : यह अनुशासन संबंधी मुददों का विवरण भी एकत्रित करता है।
- **प्रगति पत्र प्रणालीः** प्रगति पत्र (रिपोर्ट कार्ड) प्रणाली को विद्यार्थी के प्रगति संबंधी विवरण रिकार्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रति विषय 20 पहलुओं का विवरण संग्रहण कर सकता है तथा विषयों की संख्या असीमित हो सकती है। उसे उपस्थिति अभिलेख के साथ जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड को आवश्यकता अनुसार PDF रिपोर्ट के रूप में इच्छित रूप में प्रिन्ट किया जा सकता है।
- **आनलाइन ग्रेडबुक** : यह अध्यापक को घर या विद्यालय से प्राप्तांक तथा आकलन संबंधी विवरण अंकित करने में सहायता करता है।
- **अभिभावक/विद्यार्थी अभिलेख दृश्यता** : यह अभिभावकों को उपस्थिति और रिपोर्ट कार्ड को देखने में सहायता करता है।

- **शुल्क प्रणालीः–** यह विद्यार्थियो से प्राप्त होने वाले शुल्क का विवरण दर्ज करता है तथा बिल, भुगतान प्रिन्ट करता है। इसके अतिरिक्त बाह्य लेखा कार्यक्रम को लेन देन के विवरण का सारांश प्रेषित करता है।
- **आयात/निर्यात माड्यूलः–** यह विद्यार्थी को प्रक्षेत्र (डिविजन) के भीतर बिना सूचना को पुनः अंकित किये हुए आसानी से विद्यालय स्थानान्तरित करने मे सहायता करता है। आँकड़ो का अन्य प्रोग्राम में स्थानान्तरण एक स्वचालित XML आधारित स्थानान्तरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
- **आनलाइन दैनिन्दनीः–** यह अध्यापकों को पाठ योजना तथा दैनिक कार्य योजना बनाने तथा निरीक्षण करने में सहायता करता है।

ये सभी सॉफ्टवेयर विद्यालय प्रबंधन प्रशासन से संबंधित है जो निःशुल्क और मुक्त स्रोत पर उपलब्ध है। विद्यालय अपनी आवश्यकता तथा सुविधानुसार इनमें से उचित सॉफ्टवेयर का चयन कर सकते है। भारत सरकार ने उस दिशा में "**शाला दर्पण**" नामक कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत एक विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है।

"शाला दर्पण" विद्यार्थियों, अभिभावकों और समुदायों को सेवा उपलब्ध कराने हेतु तैयार की गई विद्यालय प्रबंधन प्रणाली है। विद्यालय सूचना प्रणाली में विद्यालय प्रोफाईल प्रबंधन, विद्यार्थी प्रोफाईल प्रबंधन, कर्मचारी सूचना, विद्यार्थी उपस्थिति, अवकाश प्रबंधन, प्रगति पत्रक (रिपोर्ट कार्ड), पाठ्यचर्या, विद्यार्थियो/अध्यापक की उपस्थिति के संबंध में अभिभावक/प्रशासक के लिए SMS अलर्ट का समावेश है।

चित्र 16.6: केन्द्रीय विद्यालय संगठन का "शाला दर्पण"

स्रोतः darpan.kvs.gov.in/shaladarpan/

प्रथम चरण में 'शाला दर्पण', जिसे जून 2015 में प्रारम्भ किया गया, 1099 केन्द्रीय विद्यालयों में नेशनल इनफार्मेटिक्स सेन्टर सर्विस (NICSI) द्वारा संचालित किया गया। गुजरात और राजस्थान में भी इसकी शुरूआत कर चुके हैं। अन्य राज्यों ने भी राजकीय विद्यालयों में इस प्रणाली को लागू करने की इच्छा प्रदर्शित की है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) सत्य या असत्य लिखिये :

i) शाला दर्पण सोशल नेटवर्किंग साइट है। .....

ii) प्रबंधन में पाँच आधारभूत क्रियाओं योजना, संगठन, समन्वयन, दिशा–निर्देशन, तथा नियंत्रण का समावेश है। .....

iii) Open Admin for Schools एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली है। .....

iv) Fedana और विद्यालय टूल विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। .....

16.5.2 अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और कार्मिकों के लिए ERP का उपयोग करते हुए डाटाबेस प्रबंधन

डाटाबेस प्रबंधन शैक्षणिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम है क्योकि यह भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है तथा नीति निर्धारण करने में प्रभावी सिद्ध होता है। इसको Enterpirse Resource Planning (ERP) का उपयोग करके चलाया जा रहा है, जो किं एक Enterprise-wide सूचना प्रणाली है, जिसे सभी संसाधनों, सूचनाओं और संगठन के सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में आवश्यक गतिविधियों से समन्वय करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एक ERP प्रणाली एक डाटाबेस और एक माड्यूलर सॉफ्वेयर डिजाइन आधारित है। डाटाबेस एक संस्था के सभी विभागों के सूचनाओं का सतत रूप से संग्रहण करता है। माड्यूलर सोफ्टवेयर डिजाइन का अर्थ है संस्था अपनी आवश्यकातानुसार, प्रणाली में अनावश्यक माड्यूल को लोड किये बिना, उपयुक्त माड्यूल का चयन कर सकते है।

वस्तुतः ERP का उपयोग सभी प्रकार के संस्थानों में किया जाता है, चाहे वह शैक्षणिक हो या व्यावसायिक, छोटा हो या बड़ा। संस्थान कई माड्यूल जैसे वित्त, संसाधन इत्यादि का उपयोग प्रभावी प्रबंधन के लिए ERP में करते है परन्तु प्रणाली को ERP कहने के लिए कम से कम दो या अधिक माड्यूल को एक डाटाबेस के रूप में संयुक्त करने की आवश्यकता होती है। ERP किसी भी प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में उपयोगी साबित होती है, यह शैक्षणिक संस्थानों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है तथा जो कई श्रेणियों में विभक्त होती है, जैसे– विद्यार्थी, अध्यापक,आफिस कर्मचारी, प्रयोगशाला कर्मचारी इत्यादि। इन सभी की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों तथा कार्य–निष्पादन का प्रबंधन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना एक वृहद कार्य है, जिसे शैक्षणिक ERP द्वारा प्रभावकारी ढंग से सम्भाला जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों में ERP के कई लाभ है। आइये इनमें से कुछ पर चर्चा करते है :

- **किफायतीः–** यह समय और मुद्रा के उपयोग में अपव्यय को रोकता है। ऐसी प्रक्रियाएँ जैसे– शुल्क एकत्रीकरण, जमा करना, अभिलेखों को रखरखाव तथा सूचना प्राप्त करना अदि, जिनमें अधिक समय व्यय करना पड़ता है, को ERP द्वारा संचालित प्रणाली के माध्यम से आसानी से संपादित किया जा सकता है।

- **आँकड़ो का बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना** : चूँकि ERP के केन्द्र में डाटा प्रबंधन है यह संस्थानों के आँकड़ों को ऐसे रूप में व्यवस्थितः, पुनः व्यवस्थित करता है जहाँ हम अपनी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार सूचना प्राप्त कर सकते है।

- **आँकड़ो की सुरक्षा** : इसकी सुरक्षा को Firewall और अन्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ERP में आँकड़ों का बैकअप भी आँकड़ों को सुरक्षित रखता है।

- **मूलभूत प्रशासनीय प्रक्रियाओं का स्वचालन** : यह संभव है क्योंकि ERP प्रक्रियाओं को संयुक्त रखता है। आँकड़ों का प्रसंस्करण और सूचना निष्कर्षित करना आसान होता है। इस प्रकार प्रयास, और कार्याविधि को कम करता है।

- **प्रबंधन सरलता** : शिक्षा के लिए ERP सॉफ्वेयर अधिक स्वचालित है, यह आँकड़ो को प्रसंस्करण में बहुत कम समय लेता है। यह आँकड़ो के विश्लेषण में सहायता करता है जो अंततः उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। इस प्रकार का निर्णय वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है न कि अनुमान आधरित।

- **शैक्षणिक सहयोग** : जैसा कि यह समय की बचत करता है, अध्यापक उपस्थिति तथा अन्य आँकड़ो को सम्भालने में कम समय लगाते है और इस प्रकार शैक्षणिक अधिगम विधियों को समृद्ध करने में अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते है। इसका उपयोग कक्षाकक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

एक वास्तविकता जो ERP के लाभों को फीका कर देता है, वह है– छोटे शैक्षणिक संस्थानों के लिए इसकी अत्यंत महँगी कीमत। यह लम्बी अवधि में फायदेमंद साबित हो सकता है, परन्तु छोटे उद्यमों के लिए योजना और विशिष्ट रूप में काम करना किफायती नही होगा।

एक और अन्य कमी है, इसकी तकनीकी पहलू जो नये उपभोक्ता के लिए पेचीदा और कठिन हो सकता है। इस प्रकार अधिकांश ERP. प्रायोगिक रूप मे सीखना और इस्तेमाल करना आसान नहीं है। इस प्रकार ERP का समुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता को सतत रूप से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता हो सकती है।

संक्षिप्त में हम कह सकते है कि समस्त दृष्टिकोण से होने वाले लाभ के सामने कीमत और कौशल विकास का मुद्दा अधिक मायने नहीं रखता है।

16.5.3 अभिलेख रखरखाव (चिकित्सा, शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि, विद्यार्थी परिणाम)

किसी भी संगठन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अभिलेख रखना अत्यन्त आवश्यक है। ये अभिलेख बीते हुए समय में हुये विकासात्मक प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। विद्यालयों में अभिलेख को बहुत सावधानी पूर्वक रखा जाता है क्योंकि ये अभिलेख एक निश्चित समयावधि में बच्चों के विकास का प्रमाण होता है। विद्यालय अभिलेख शैक्षणिक। यह शैक्षणिक (स्कालास्टिक, को–स्कालॉस्टिक) प्रशासकीय (नान–स्कालॉस्टिक) तथा विद्यालय संबंधी अन्य क्रियाकलापों की सूचना होती है जो विद्यालय के वृद्धि और विकास की ओर निर्देशित होती है।

विद्यालय अभिलेख को दस्तावेज, फाईल, पुस्तकों, CD-Rom, हार्डडिस्क और अब क्लाउड के रूप में रखा जाता है। विद्यालय अभिलेख एक कार्य या विद्यालय में होने वाले

गतिविधियों को प्रमाणिक दस्तावेज होता हैं जिसे विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन बीते वर्षो के लिए महत्वपूर्ण समझते है।

इन प्रतिवेदन में विद्यालय संबंधी कार्यालय की गतिविधियों की सूची और आँकड़ो को समावेश होता है तथा विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। वास्तव में, ये कार्यालयी अभिलेख होते है जिसे विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे विद्यालय के विकास और वृद्धि हेतु आयोजित क्रियाकलापों का आसानी से वैधता सिद्ध करने के लिए अपने अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखें।

विद्यालय अभिलेख का महत्व

विद्यालय अभिलेख का एक विद्यालय के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि समाज के लिए इतिहास महत्व रखता है। विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास बताता है तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए उपयोगी ऐतिहासिक स्रोत है। इस प्रकार अभिलेख एक समयावधि में प्रशासन में हुए परिवर्तन को सततता प्रदान करता है। विद्यालय अभिलेख सर्विस उपलब्ध कराता है क्योंकि उन अभिलेखों में विद्यार्थियों के समग्र विकास और वृद्धि संबंधी विविरण अंकित होता है। अतः अभिलेख के माध्यम से शैक्षणिक,व्यक्तिगत तथा कैरियर कॉउन्सलिंग प्रभावी ढंग से उपलब्ध करायी जा सकती है। अभिलेख न केवल परामर्शदाता को निर्देशन हेतु सूचना उपलब्ध कराता है वरना यह अभिभावकों और माता पिता को उनके बच्चों के समग्र विकास में भागीदार बनने के लिए महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है। बच्चे के संतुलित विकास हेतु घर और विद्यालय में सत्त रूप से अधिगम वातावरण का होना महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों का भी अभिलेख सुरक्षित रखता है जिसकी माँग नौकरी देने वाली संस्था या उच्च शिक्षा हेतु या संबंधित संस्थान प्रवेश या नियुक्ति हेतु कर सकते है।

विद्यालय अभिलेख प्रबंधन को विद्यालय के समुचित विकास हेतु योजना में सहायता करता है। विद्यालय अभिलेख शिक्षा विभाग और मंत्रालय में नीति निर्माण और निर्णय लेने में सहायक होता है। यह विद्यालय निरीक्षक और पर्यवेक्षक को विविध आँकड़े उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर वे विद्यालय के शिक्षण–अधिगम के स्तर तथा विद्यालय संबंधी अन्य क्रियाकलापों का वस्तुनिष्ठ ढंग से आँकलन करने में सहायता करती है।

विद्यालय के कुछ महत्त्वपूर्ण अभिलेख

प्रवेश पंजीका : यह एक महत्त्वपूर्ण और स्थायी अभिलेख पंजिका है, जिसमें विद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों से संबंधित विवरण अंकित होता है, अतः इस अभिलेख पंजिका का सावधानी पूर्वक रखरखाव करना चाहिए तथा सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए।

प्रवेश पंजिका में विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएँ, जैसे– जन्मतिथि जन्म सर्टिफिकेट पिछले कक्षा का ग्रेडकार्ड/प्राप्तांक कार्ड स्थानांतरण सर्टिफिकेट, इत्यादि एकत्रित किया जाता है। इन सभी दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है तथा प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाता है। अंकित करने के पश्चात् दस्तावेजों को स्टोररूम में सुरक्षित रख दिया जाता है। चूँकि यह एक महत्त्वपूर्ण पंजिका होती है जिसे बार–बार अधिकारियों द्वारा, चाहे वह विद्यालय के भीतर हो या बाहर हो, निरीक्षण किया जाता है अतः इस पंजिका में आँकड़ों को सावधानी पूर्वक अंकित किया जाना चाहिए। वस्तुतः इसको न्यायालय में जन्मतिथि जैसे मुद्दों के प्रमाणीकरण के लिए भी मँगाया जाता है।

प्रवेश पंजिका में विद्यार्थियों के निष्क्रमण का भी रिकार्ड रखा जाता है, यदि किसी कारण से विद्यार्थी विद्यालय छोड़ना चाहता है। इस प्रकार यह पंजिका विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के प्रगति और शिक्षा का विवरण प्रदर्शित करता है। प्रवेश पंजिका में निम्नांकित बिन्दुओं से संबंधित विवरण अंकित होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रशासन के आवश्यकतानुसार अन्य बिन्दुओं का समावेश किया जा सकता है : क्रमांक तथा विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, व्यवसाय तथा घर का पता, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई.डी., जन्मतिथि, प्रवेशतिथि, कक्षा जिसमें विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया, स्थानांनतरण सर्टिफिकेट, (यदि प्रवेश प्रथम कक्षा के बजाय उच्च कक्षाओं में हुआ हो), विद्यालय से निष्क्रमणतिथि।

उपस्थिति पंजिका : उपस्थिति पंजिका एक महत्त्वपूर्ण अभिलेख पजिका है जिसमें दैनिक आधार पर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा व वर्ग में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंग से प्रत्येक विद्यालय को रखना चाहिए।

इस पंजिका की कक्षाअध्यापक का व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने व सम्भालने का उत्तरदायित्व होता है। उपस्थिति विद्यालय प्रारम्भ होने के समय अंकित की जाती है। कक्षा में प्रवेश लिए हुए विद्यार्थियों के नाम इस पंजिका में क्रमवार दर्ज की जाती है तथा उपस्थिति या अनुपस्थिति स्याही से प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के आगे लाल स्याही से चिन्हित की जाती है। यह एक प्रचलन है कि अनुपस्थित विद्यार्थी के नाम के आगे चिन्हित की जाती है। अवकाश दिवस को भी लाल स्याही से चिन्हित किया जाता है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए अन्यथा इसका दुरूपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय का अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अपना एक विशिष्ट नियम होता है। यदि विद्यार्थी एक निश्चि समयावधिसे अधिक समय तक विद्यालय से बिना अवकाश पत्र दिये हुए अनुपस्थित रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त या उपस्थितिपंजिका से उसका नाम हटाया जा सकता है। वस्तुतः इस पंजिका का मुख्य कार्य विद्यालय के प्रत्येक कक्षा व वर्ग में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को प्रदर्शित करना है। यह पंजिका नियमित उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी तथा उनके अधिगम स्तर के आँकलन में सहायता करता है। इस पंजिका के माध्यम में प्रतिदिन औसत उपस्थिति की गणना की जा सकती है।

कार्य पंजिका (लॉगबुक) : कार्य पंजिका (लाग बुक) में विद्यालय मे होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का विवरण अंकित किया जाता है। इसमें विवरण सत्रानुसार दर्ज की जाती है ताकि विद्यालय के क्रियाकलापों पर गत वर्षों में विद्यालय में घटित गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए, सत्र प्रारम्भ होने के समय अभिभावकों/माता–पिता के लिए संगोष्ठी का आयोजन करना, विशेषज्ञ द्वारा दौरा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, इत्यादि का विवरण लॉगबुक में अंकित की जा सकती है। इस लॉगबुक को सम्भालने और सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रमुख के ऊपर होना चाहिए या विद्यालय प्रमुख द्वारा किसी वरिष्ठ व्यक्ति को दिया जाना चाहिए तथा विद्यालय प्रमुख के देख रेख में लॉगबुक में विवरण अंकित करना चाहिए। प्रायः राज्य के विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय के दौरा करने के समय लाग बुक का निरीक्षण किया जाता है ताकि वे विद्यालय के गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।

आगन्तुक पंजिका : जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह अभिलेख विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विद्यालय में किये गये दौरे से संबंधित विवरण प्रदर्शित करता है। ये विशिष्ट व्यक्ति शिक्षा विभाग और मंत्रालय से दौरा करने वाले अधिकारी या अन्य सरकारी एजेन्सी के अधिकारी या विद्यालय से संबंधित अन्य व्यक्ति हो सकते है। वस्तुतः जब विद्यालय के पुराने विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा आमंत्रित किया जाता है तो उससे भी आगन्तुक पंजिका में

टिप्पणी दर्ज करने के लिए अनुरोध किया जाता है। उनके सुझाव और राय विद्यालय को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

कार्मिकों तथा विद्यार्थियों का व्यक्तिगत फाइल : यह आवश्यक है कि विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक के संबंध में जहाँ तक संभव हो, उनके अधिकारों का हनन किये बिना, जानकारी एकत्रित करें।

संचयी अभिलेख कार्ड : विद्यार्थी संचयी कार्ड में जब तक विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययनरत है तब तक के उसके विकासात्मक संबंधी सभी सूचनाओं का अभिलेख रखा जाता है। इसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक वृद्धि और विकास का संचित रूप में अभिलेख रखा जाता है।

यह एक विद्यार्थी का वृद्धि और विकास का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह विशेष रूप से निर्देशन और परामर्श हेतु अत्यन्त उपयोगी साबित होता है। चूँकि यह एक संचयी अभिलेख है, इसे वर्ष–दर–वर्ष विकसित किया जाता है तथा विद्यार्थी यदि एक विद्यालय छोड़कर किसी अन्य विद्यालय मे प्रवेश लेता है तो विद्यार्थी के नये विद्यालय में इस अभिलेख को स्थानांतारित कर दिया जाता है।

विद्यार्थी का प्रगति पत्रक : प्रगति पत्रक में विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रगति से संबंधित सूचनाएँ दर्ज की जाती है। इसे नियमित रूप से तथा एक निश्चित समयान्तराल में अभिभावकों के पास सूचनार्थ भेजी जाती है। इसमें विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विद्यालयी क्रियाकलापों में भागीदारी, विद्यालय में उसकी सामान्य व्यवहार, उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शैक्षणिक तथा सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ दर्ज की जाती है।

कार्मिक प्रचालन पंजिका और समय पंजिका : इस पंजिका में विद्यालय के कर्मचारी कब विद्यालय आते है तथा कब विद्यालय या कार्यातय से जाते है, की जानकारी दर्ज की जाती है। इससे कार्मियों में नियमित उपस्थिति और समयबद्ध होने की भावना को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। इससे कार्मियों में अनुशासनहीनता तथा अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने की आदम में कमी लाने में सहायता मिलती है। आजकल, सभी कर्मचारियों के लिए उपस्थिति तथा विद्यालय से जाने के समय को दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रानिक मशीन का उपयोग किया जाता है।

पुस्तकालय अभिलेख : पुस्तकालय का अभिलेख, पुस्तकालय प्रभारी द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें स्टॉक रजिस्टर, पुस्तकें जारी करने तथा वापस प्राप्त करने हेतु रजिस्टर का रखरखाव पुस्तकालय प्रभारी करता है। वस्तुतः आजकल पुस्तकालय से संबंधित दैनिक गतिविधियों को लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाती है। CDS तथा ISIS जिसका पूरा नाम Computerized Documentation Service तथा Integzated Set of Information Systems है तथा Koha ये सॉफ्टवेयर निःशुल्क है तथा लाइब्रेरी स्वचालन पैकेज है। इसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। इसके विकास में उपभोक्ताओं का एक वर्ग दूसरे से सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हुए इसके तकनीकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। Koha एक पूर्ण रूप से ILS विशेषताओं से युक्त है जिसका उपयोग विश्वभर में छोटे–बड़े सभी प्रकार के पुस्तकालय में किया जा रहा है। Koha एक वास्तविक उद्यम–वर्ग ILS है, इसमें व्यापकता के साथ कई विशेषताएँ है। इसमें आधारभूत और उच्च विकल्प उपलब्ध है। Koha में प्राप्त करने, प्रेषित करने, विवरणिका, क्रम, अधिकार, लचीला रिपोर्टिंग, लेबल प्रिंटिंग तथा अन्य और विशेषताओं का समावेश है।

स्टॉक पंजिका : इस पंजिका में उपलब्ध सभी उपकरणों और सामग्रियों तथा प्रयोगशाला में उपलब्ध सामग्रियों का विवरण दर्ज होता है। इसमें विद्यालय के सभी चल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। एक सामग्री का क्रय करने के पश्चात् इसका विवरण स्टॉक पंजिका में अंकित किया जाता है तथा एक विशिष्ट संख्या आवंटित किया जाता है तथा इस संख्या को उपकरण पर भी चिन्हित किया जाता है। इस पंजिका का वर्ष में एक बार विद्यालय प्रमुख द्वारा निरीक्षण तथा प्रमाणित किया जाता है। इस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में खोई हुई सामग्री का पता चल जाता है या नष्ट हुई सामग्री की पहचान की जा सकती है, जिसे मरम्मत या बदलने हेतु भेजा जा सकता है।

पंजिका में निम्नांकित सारणी में दिए गए कॉलम के अनुसार विवरण अंकित दर्ज किए जाने चाहिए।

सारणी 16.1: स्टॉक पंजिका

क्रमांक	समग्री का नाम	मात्रा	क्रयतिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय संबंधी विवरण	अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

संपत्ति पंजिका : इस पंजिका में विद्यालय संपत्ति के स्थायी और अप्रयुक्त सामग्रियों का पूर्ण विवरण रखा जाता है।

कैश बुक :– इसमें विद्यालय में दिन–प्रतिदिन की लेन देन संबंधी सभी राशियों का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। विद्यालय को विभिन्न स्रोतों, जैसे– शुल्क, अर्थदंड, दान, छात्रवृत्तियों, अनुदान, इत्यादि को क्रेडिट साइड में दर्ज की जाती है तथा डेबिट साइड में भुगतान जैसे अध्यापकों की वेतन, छात्रवृत्तिदत्त, आकस्मिक व्यय राशि, कोष में जमा की गई राशि, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी जमा की राशि को दर्शाया जाता है। बैलेंस को लाल स्याही से अंकित किया जाता है। इसमें नियमित रूप से विवरण दर्ज की जानी चाहिए तथा प्रतिदिन के लेनदेन के विवरण अंकित करने के पश्चात् विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर करने के पश्चात् बंद कर देना चाहिए। यह विद्यालय के वित्तीय लेन देन का एक अभिलेख होता है। यह आय और व्यय का भी विवरण उपलब्ध कराता है। यह भ्रष्टाचार को रोकता है तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायता करता है। इसे प्रतिदिन अद्यतन करना चाहिए।

रिकार्ड व्यवस्थीकरण में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का महत्त्व :– विद्यालय संबंधी अभिलेखों को प्रभावकारी तथा सुगमता के साथ व्यवस्थित रखने के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी जैसे कम्प्यूटर, डिजीटल लाइब्रेरी, ई–मेल, इन्टरनेट इत्यादि जो सूचना संग्रहण और सूचना संप्रेषण में सहायक है, का उपयोग किया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का वितरण और निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है।

विद्यालय रिकार्ड व्यवस्थीकरण वस्तुतः सूचना संग्रहण, एकत्रीकरण, निष्कर्षण, उपयोग, संप्रेषण, आँकड़ों में परिवर्तन तथा सूचना का प्रसार है। इससे विद्यालय प्रणाली में संप्रेषण, निर्णय लेने की क्षमता तथा समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि करने तथा उसे समृद्ध करने में सहायता मिलती है। अतः यह आवश्यक है कि यह प्रक्रिया जहाँ तक संभव हो सके सटीक और प्राप्त योग्य होना चाहिए। रिकार्ड के रखरखाव में डेटाबेस प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिसे व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है। सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेल MC एक्सेस, फॉक्स प्रो. इत्यादि का उपयोग विद्यालय में डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है। यह आँकड़ों को नष्ट होने से बचाता है, आँकड़ों की संगतता बनाये रखता है तथा आँकड़ों को बाँटने और सुरक्षित रखने में अत्यन्त सहायक होता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

2) विद्यार्थी के वृद्धि और विकास को समझने में सहायक अभिलेखों की सूची बनाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

3) स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई सूचनाओं की सूची बनाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

4) कोई भी दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की सूची बनाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

16.5.4 कागजमुक्त प्रशासन

कागजमुक्त प्रशासन (या एक कागज–मुक्त ऑफिस) का अर्थ है कार्य करने का ऐसा वातावरण जहाँ पर कागज का उपयोग नहीं किया जाता या बहुतायत रूप में कागज के उपयोग को कम किया जाता है। इस प्रकार एक कागजमुक्त वातावरण का अर्थ होगा दस्तावेजों तथा अन्य कागजात को डिजीटल रूप में परिवर्तित करना।

कागजमुक्त प्रशासन, समय, राशि और स्थान की बचत करता है। यह सूचना संग्रहण सूचना निकालने और बाँटने में अत्यन्त सहायक होता है। यह उत्पादकता में वृद्धि करता है तथा इसके अतिरिक्त कागजी कार्यवाई में व्यतीत होने वाले समय को बचाता है। यह न केवल कागज खरीदने हेतु खर्च होने वाले राशि में बचत करता है वरन् वातावरण को भी स्वच्छ रखने में भी सहायता करता है।

वर्तमान समय में सचल इलेक्ट्रानिक यंत्रों के प्रचलन में होने के कारण ऑफिस कार्यों में कागज का इस्तेमाल दिन–प्रतिदिन कम होता जा रहा है, संभवतः यह नई पीढ़ियों के इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर अधिक निर्भरता के कारण हो सकता है। नवयुवक प्रिन्टेड

दस्तावेजों को पढ़ने के बजाय कम्प्यूटर, लैपटाप, पाँमटाप, मोबाइल फोन के स्क्रीन पर पढ़ना ज्यादा पसंद करते है। भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियानों जैसे ''डिजीटल इंडिया'' 'डिजीलॉकर' और 'यात्रा टिकट का डिजीटल रूप' ने कागज रहित वातावरण की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। विद्यालय में कागज रहित प्रशासन के लक्ष्य को सूचना एवं संप्रेषण औद्योगिकी के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

एक कार्य जिसका सामना विद्यालय प्रशासन को करना पड़ता है वह है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों को समय–समय पर जिम्मेदारियाँ सौंपना।

16.5.5 अध्यापकों और कार्मिकों को कार्यों का आबंटन

विद्यालय प्रशासन को विद्यालय मे कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को समय–समय पर कार्य आवंटित करना पड़ता है। अतः विद्यालय के प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों तथा अन्य सहायक कार्मिकों को जिम्मेदारियाँ निर्धारित करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी इस कार्य में सहायक हो सकती है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्देशात्मक समय, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय उपलब्ध कराना, कार्मिकों को योजना बनाने, तथा विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए समय आवंटित करने का काम आसानी से संपन्न किया जा सकता है। समय निर्धारण उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करता है कि विद्यालय के संसाधनों का समुचित उपयोग हो तथा विद्यालय का संचालन सुचारः रूप से किया जा सके।

अध्यापकों और कार्मिकों को वार्षिक तौर पर और सेमेस्टर के अनुसार कार्य आवंटित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्य आवंटन करने के लिये पूरे एक शैक्षणिक सत्र के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, इसे 'विद्यालय कैलेण्डर' भी कहा जाता है।

इसके आगे विशिष्टीकरण किया जा सकता है, जैसे– शिक्षण समय सारणी और परीक्षा समय सारणी। सह शैक्षणिक तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों तथा अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) की गोष्ठी हेतु भी समय आवंटित किया जाना चाहिए।

कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो कार्य आवंटन में सहायता करते है। हम यहाँ पर उपयोग किये जाने वाले दो उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगें। ये उपकरण हैं, गूगल कैलेण्डर और FET समय सारणी सॉफ्टवेयर।

गूगल कैलेण्डर : गूगल कैलेण्डर वेब–आधारित समय और कार्य प्रबंधन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो वेब ब्राउजर के माध्यम से कैलेण्डर की उपलब्धता प्राप्त कराता है।

इसका उपयोग विद्यालय क्रियाकलापों हेतु कैलेण्डर तैयार करने में किया जा सकता है तथा सभी हितधारकों, जैसे कार्मिकों, माता–पिता, अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ साझा किया जा सकता है। इसमें विविध विशेषताएँ है, जैसे– निर्धारित क्रियाकलाप संबंधी रिमाइन्डर ई–मेल, टेक्सट संदेश, या पॉप–अप संदेश एक वेब ब्राउजर के भीतर भेजा जा सकता है। यह कार्यों को समयबद्ध ढंग से सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।

विद्यालय गूगल कैलेण्डर का उपयोग समय प्रबंधन, परियोजना समन्वय, तथा अन्य के साथ क्रियकलापों को साझा करने हेतु कर सकते है। शैक्षणिक विभाग, विद्यार्थी क्लब और अध्ययन समूह गूगल कैलेण्डर का उपयोग गतिविधियों की समय सारणी बनाने हेतु कर सकते है। कक्षाओं के लिए तथा व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए भी कार्य निष्पादन संबंधी

समय निर्धारण हेतु गूगल कैलेण्डर उपयोगी हो सकता है। इसमें कई ''view option'' है, जैसे– प्रतिदिन, सप्ताह, मासिक तथा वर्ष के अनुसार कैलेण्डर का उपयोग किया जा सकता है।

अध्यापक विद्यार्थियों में समय से परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट) जमा करने तथा समय प्रबंधन की आदत का विकास करने के लिए दत्तकार्य समयसारणी, प्रोजेक्ट समय सारणी का निर्माण कर सकते है। विद्यार्थियों के लिए नवीनतम कक्षा सूचना देखने तथा दूसरों के साथ सहयोगात्मक कार्य संपादन करने में गूगल कैलेण्डर सहायता करता है। कुछ सॉफ्टवेयर है जो समय सारणी और कार्य सारणी तैयार करने में मदद करता है।

FET :– FET एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर है जो स्वचालित तरीके से एक शैक्षणिक संस्थान की समय सारणी का निर्धारण करता है। यह निःशुल्क, मुक्त स्रोत के रूप में उपलब्ध तथा GNU/AGPL के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर है। FET का पूरा नाम ''Free Evolutionary Timetabling'' है। यह C^{++} पर आधारित है। रोमानिया के Liviu Lalesw ने 2003 में इस समयसारणी बनाने वाले सॉफ्टवेयर को विकसित किया। इस सॉफ्टवेयर का अद्यतन सतत् रूप से किया जा रहा है नवीनतम अद्यतन अगस्त 2017 में किया गया। अद्यतन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना तथा सभी प्रकार के समूहों (कक्षा/पाठ्यक्रम/विद्यार्थी) के विविध क्रियाकलापों की अनुसूची तैयार करना है।

FET की कुछ विशेषताएँ निम्नवत है –

- पूर्णतः स्वचालित ऐल्गोरिथम निर्मित, उप–स्वचालित या हस्त कार्य के लिए भी अवसर देता है।
- प्लेटफार्म स्वतंत्र क्रियान्वयीकरण
- XML फार्मेट से आयात, CSV फार्मेट
- HTML,XML और CSV फार्मेट में निर्यात
- लचीली विद्यार्थी संरचना, व्यवस्थित सेट :– वर्ष, समूह और उपसमूह

आप व्यक्तिगत विद्यार्थी (अलग सेट के रूप में) को भी परिभाषित कर सकते हैं।

एक बार सभी प्रासंगिक आँकड़ों जैसे वर्ष, समूह, वर्ग, कक्षा इत्यादि को अपलोड करने के पश्चात् समय सारणी का निर्माण किया जा सकता है। इसको दो प्रकार से निष्कर्षित किया जा सकता है– ''नवीन'' या ''बहुआयामी''। इसी प्रकार समयसारणी को कई तरीके से देखा जा सकता है, जैसे– विद्यार्थी व्यू, अध्यापक व्यू, रूम व्यू। इस प्रकार इसके माध्यम से क्रियाकलापों को आसानी से विभक्त और योजनाबद्ध तरीके से समायोजित किया जा सकता है।

समय सारणी को वेब ब्राउजर के द्वारा देखा जा सकता है। इन्हें html फार्मेट में सुरक्षित संग्रह किया जा सकता है।

(विस्तृत जानीकारी के लिए देखें : http://metabling.de/manual/FET-manual.en.html)

16.5.6 विद्यार्थी पोर्टफोलियो

पोर्टफोलियो एक व्यक्ति के योग्यताओं के समूह का प्रदर्शन करने वाले शिलपकृतियों का संग्रह होता है। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार या प्रदर्शित किया जाता है तब इसे ई–पोर्टफोलियो कहा जाता है। यह विद्यार्थी के ई–अधिगम पथ और प्रगति को प्रदर्शित करता है जैसे–जैसे विद्यार्थी और अधिक पेचीदा कार्य संपादित करना सीखता है। यह

अधिगम को संयुक्त करने में सहायता करता है क्योंकि विद्यार्थी अर्जित ज्ञान को परिणाम से जोड़ कर देखता है। यह विद्यार्थियों को उनके अधिगम को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है।

विद्यार्थी के ई–पोर्टफोलियो में अधिगम परिणाम के किसी भी रूप को सम्मिलित किया जाता है। जैसे टेक्स्ट फाईल, चित्र, मल्टीमीडिया, ब्लाग और हाइपरलिंक। ई–पोर्टफोलियो विद्यार्थी के योग्यता का प्रदर्शन करता है और स्व–अभिव्यक्त हेतु दोनों यदि इसका रखरखाव ऑनलाइन किया जाता है तो इसे गत्यात्मक रूप में सम्भाला जा सकता है। यह अधिगम अभिलेख का एक प्रकार है जो वास्तविक उपलब्धि का प्रमाण उपलब्ध कराता है।

ई–पोर्टफोलियो कई प्रकार के हो सकता है :–

i) **विकासात्मक पोर्टफोलियो** : इस प्रकार के पोर्टफोलियो एक समयान्तराल के दौरान विद्यार्थी के कौशल के विकास को प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार के सतत् पोर्टफोलियो का रूप है। इनका उपयोग अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य नियमित अन्तःक्रिया के लिए किया जा सकता है। इसमे स्व आकलन तथा चिंतन/पृष्ठपोषण अवयवों दोनों का समावेश होता है।

ii) **आँकलन पोर्टफोलियो** : ये पोर्टफोलियो विद्यार्थी की क्षमता और एक समयावधि के भीतर अर्जित कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। इन क्षमताओं और कौशलों का परिमार्जन करके मूलयांकित किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

iii) **प्रदर्शन पोर्टफोलियो** : इस प्रकार के पोर्टफोलियो पाठ्यक्रम पूरे करने पर विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल तथा अनुकरणीय कार्य तथा विद्यार्थी के सर्वश्रेष्ठ परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थी प्रायः एक उपाधि प्रोग्राम के अंत में नौकरी प्राप्त करने हेतु संभावित नौकरी प्रदाता के समझ इस पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करता है।

सभी प्रकार के पोर्टफालियो में, समृद्ध अर्धगम अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आत चिन्तन एक आवश्यक अवयव है, जो पोर्टफोलियो के विकास से संभव हो सकता है।

ज्ञान के कई क्षेत्रों जैसे– कला, सृजनात्मक लेखन, में मूल्यांकन पोर्टफोलियो के माध्यम से किया जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के कार्य, प्रगति और प्रयास का एक उद्देश्यपूर्ण प्रतिबिम्ब प्रस्तुत होता है। पोर्टफोलियो को एक अधिगम तथा आंकलन टूल दोनों समझा जाता है।

ई–पोर्टफोलियो सृजन के लिए टूल्स : कोई भी उपकरण जिसमें शिल्पकृति को प्रदर्शित करने की सभावना होती है का उपयोग ई–पोर्टफोलियो तैयार करने में किया जा सकता है। एक साधारण पोर्टफोलियो पावर प्वाइंट जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके तैयार की जा सकती है। कई और ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टफोलियो उपकरण उपलब्ध है। एक मुक्त स्रोत ई–पोर्टफोलियो टूल ''mahara'' है जो कि विभिन्न गुणों से युक्त विशिष्ट वेब एप्लीकेशन है जो आपके ई–पोर्टफोलियो के निर्माण करने में सहायक हो सकता है। आप जरनल तैयार कर सकते है, फाईल अपलोड कर सकते है तथा वेब से सोशल मीडिया संसाधन को अंतः स्थापित किया जा सकता है तथा समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा कर सकते है। इसे http://mahara.org/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रियाकलाप 1

ब्राउजर के माध्यम से कुछ ऑनलाइन ई–पोर्टफोलियो को देखे। अपने किन्हीं दो शिल्पकृति को प्रदर्शित करते हुए एक ई–पोर्टफोलियो की रचना करये।

16.5.7 आकलन और मूल्यांकन का प्रबंधन

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव ने परीक्षा प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने इसे अधिक प्रभावकारी और बनाया है। आकलन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग में विद्यार्थी के आकलन कार्यो, उत्तरों, ग्रेड या पृष्ठपोषण की रिपोर्टिंग या संग्रहण, प्रेषण और रचना करने में डिजीटल उपकरणों का उपयोग का समावेश होता है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग परीक्षण तैयार करने में, रिकार्ड करने में, तवरित पृष्ठपोषण उपलब्ध कराने में, श्रेणी (ग्रेड) प्रदान करने में, विद्यार्थियों के जवाब को गुणवत्ता के संदर्भ मे तथा विद्यार्थी के जवाब की प्रासंगिकता के अतिरिक्त अध्यापक को विद्यार्थी विश्लेषण सहायता करने में किया जाता है।

आजकल विद्यार्थियों के विविध योग्यताओं और कौशलों के परीक्षण हेतु सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित आकलन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे कौशल समूह है विशेषरूप से भावात्मक आयाम, जिसका आकलन सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से करना उपयुक्त नहीं है। परन्तु यह सूची अब धीरे–धीरे विलुप्त हो रही है क्योंकि अधिक नवाचारों पर प्रयोग हो रहा है। वर्चुअल लैब के उपयोग से निष्पादन का आकलन किया जा सकता है।

ज्योफ्री क्रिस्प (2011) ने ई–आकलन की अध्यापक पुस्तिका में वर्णन किया है कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित आकलन का उपयोग किया जा सकता है :

- कई उपकरणों के माध्यम से, जैसे– परम्परागत डेस्कटॉप कम्प्यूटर या लैपटॉप या सचल संप्रेषण उपकरण जैसे स्मार्ट मोबाइल फोन, आई पैड, आदि।
- विभिन्न प्रकार के फार्मेट का उपयोग करके जिसमें टेक्स्ट दस्तावेज, या पोर्टेबल डाक्यूमेंट फार्मेट, मल्टीमीडिया फार्मेट, जैसे– ध्वनि, विडियो या छायाचित्र को शामिल किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों समूह में या व्यक्तिगत रूप से
- तुल्यकालिक तथा अतुल्यकालिक ढंग से

क्रिस्टीन (2013) ने सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए मुख्य क्षमताओं के आकलन हेतु संकल्पनात्मक रूप से दो भिन्न उपागमों की पहचान की। एक ओर कम्प्यूटर आधारित आकलन (CBA) उपागम में बहुविकलपीय प्रश्न का उपयोग करता है तथा दूसरी तरफ अधिगम विश्लेषण पर आधारित उपागम ने प्रमुख क्षमताओं के अधिक पेचीदा और व्यवहारगत आयामों को अंतःस्थापित आकलन हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत अधिगम वातावरण एक आशाजनक मार्ग उपलब्ध कराता है।

विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आकलन के डिजाइन और विकास हेतु कई टूल्स उपलब्ध है।

विषयवस्तु लेखन उपकरण :– विद्यार्थियों द्वारा ई–विषयवस्तु के माध्यम से प्रगति करने के साथ उनके आकलन हेतु इनमें क्विज की रचना लागू करना तथा ग्रेडिंग के अतिरिक्त अन्य फार्मेट मे प्रश्न तैयार इनमें पहले से ही विद्यमान विकलपों के द्वारा की जा सकती है। उपकरण जैसे, eXelearning, xerte, adapt तथा विद्यार्थी क्रियाकलाप प्रबन्धन तंत्र (Learner

Activity Management System (LAMS)) मुक्त स्रोत लेखन टूल्स है तथा इनमें कई प्रकार के आकलन विकल्प जैसे cloze, बहुविधि चयन व बहुविकल्पीय चयन, सत्य–असत्य, रिक्त स्थान की पूर्ती, मिलान, ड्रैग एण्ड ड्राप, इत्यादि की रचना की जा सकती है।

LMS आधारित आकलन उपकरण : Learning Management System (LMS) जैसे Moodle में प्रश्न बैंक तथा सामग्रियों के सृजन, कार्यन्वयन तथा प्रबंधन की कार्यात्मकता होती है। कई विविध प्रकार के परीक्षण उपलब्ध है, जैसे– निबंध, मिलान, अंतः स्थापित जवाब (cloze परीक्षण/स्थान भरो) बहुविकल्पीय चयन, लघु उत्तर, आंकिक, सत्य/असत्य, ड्रैग एण्ड ड्राप, जिग्सा, बहु चुनाव इत्यादि।

आकलन उपकरण : कुछ आकलन सृजन उपकरण उपलब्ध है जिनका उपयोग आकलन तैयार करने में किया जा सकता है। जिसका उपयोग अध्यापक द्वारा नवीन ढंग से किया जा सकता है। इनमें कुछ उपकरणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है :

i) **Hot potatoes Suite :–** यह मुक्त स्रोत आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमे छः एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अन्तःक्रियात्मक बहु विकल्पीय चयन, लघु उत्तर, अव्यवस्थित वाक्य, क्रासवर्ड, मिलान/क्रमबद्धता तथा रिक्त स्थान, आदि की रचना कर सकते है।

ii) **Rogo :** यह नाटिघम विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक पूर्ण आकलन प्रबंधन प्रणाली है। इसके द्वारा ऑनलाइन आकलन की रचना तथा क्रियान्वयन किया जा सकता है। यह ऑनलाइन प्रणाली संपूर्ण प्रक्रिया में सहायता पहुँचाता है, प्रश्न और प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने तथा प्रतिवेदन तैयार करने में सहायक साबित होता है। प्रश्न विविध प्रकार के हो सकते है, जैसे– बहुविकल्पी–चयन प्रश्न (MCQ), बहुविकल्पीय– उत्तर, मिलान, फ्लेश इंटरफेश, रिक्त स्थान भरना, इमेज हॉटस्पाट, लेबलिंग, लिकर्ट–स्केल, रैन्किंग, script concerdanee test (SCT), टेक्स्टबॉक्स, तथा सत्य/असत्य। इसका उपयोग रचनात्मक और संकलनात्मक परीक्षा, सर्वेक्षण और कई अन्य परीक्षाओं हेतु किया जा सकता है।

क्रियाकलाप 2

दो अन्य आकलन उपकरण ढूँढिये तथा उनकी विशेषताओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण करिये।

इस उपकरणों का उपयोग सतत् आकलन तथा आवधिक या अंतिम परीक्षा हेतु किया जा सकता है। ऑनलाइन आकलन हेतु कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध है यह अध्यापक और प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वे परीक्षा आयोजन हेतु किस उपयुक्त सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण का उपयोग करते है। ऑन–डिमांड परीक्षा तथा वाक इन परीक्षा की अवधारणा परीक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण के उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

16.6 वित्तीय प्रबंधन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग

किसी शैक्षिक संस्थान, चाहे वह एक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय हो, के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रभावी ढंग से विद्यालय के कामकाज को निपटाने के लिये तथा दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त राशि की जरूरत होती है इसके अतिरिक्त विद्यालय की वृद्धि और विकास की योजना

बनाने हेतु पर्याप्त राशि की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का बुरा प्रभाव विद्यालय के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इसका गंभीर दुष्प्रभाव शिक्षण–अधिगम गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

विद्यालय प्रमुख विद्यालय के दिन–प्रतिदिन के वित्तीय प्रबंधन के लिए अधिकृत व्यक्ति होता है। निर्धारित योजना और बजट के अनुसार विद्यालय व्यय का नियंत्रण, और निरीक्षण विद्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है।

प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रमुख वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। निजी प्रबंधन की स्थिति में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को तथा सरकारी विद्यालय की स्थिति में शिक्षा निदेशालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अभिलेखा और प्रतिवदेन निर्माण प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है।

16.6.1 विद्यार्थियों के शुल्क अभिलेख का प्रबंधन

जो इकाई विद्यार्थियों से शुल्क एकत्रित करती है, वह विद्यालय का सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई होती है। पहले शुलक हस्तकार्य के माध्यम से एकत्रित किया जाता था तथा प्रत्येक कक्षा व वर्ग के लिए फीस दिवस निर्धारित किया जाता था। इस प्रकार हस्तकार्य के माध्यम से एकत्रित किए जाने वाले शुल्क के दौरान कई कार्य साथ–साथ करना पड़ता है जैसे– राशि अंकित करना। इस प्रकार एक विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू शुलक प्रबन्धन है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने विद्यालय द्वारा फीस एकत्रीकरण और प्रबंधन के तरीके को प्रभावित किया है।

विद्यालय शुल्क प्रबंधन प्रणाली– विद्यालय शुल्क प्रबंधन प्रणाली अधिक तेजी से आँकड़ों को अंकित करती है तथा शीघ्रता से वाउचर की प्रिन्ट जारी करती है। यह लचीला शुल्क ढाँचे को भी सम्भालता है, ताकि विविध प्रकार के शुल्क शीर्षकों का प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन किया जा सके। यह कई प्रकार के शुल्क सूची का निर्माण व्यक्तिगत और प्रणाली के आवश्यकता के अनुरूप करता है। इसमें कई यूजर लॉगइन हो सकता है जिसकी उपयुक्त सुरक्षा और अनुमति तंत्र होता है।

शुलक प्रबंधन प्रणाली सभी प्रकार के रसीद जारी कर सकता है जैसे– मासिक शुलक इनवाइस, विद्यार्थीनुसार शुल्क इनवाइस, कक्षानुसार शुलक इनवाइस, पेनाल्टी इनवाइस, पेड/अनपेड स्थिति रिपोर्ट, स्वचालित इनवाइस/रिपोर्ट जारी करना, PDF में इनवाइस/वाउचर प्रिन्ट करना, एक्सेल फार्मेट, शुलक/अर्थदंड में छूट।

जैसे कि पहले भाग में चर्चा की जा चुकी है कि शुल्क माड्यूल किसी भी विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। अतः यह उपस्थिति माड्यूल के साथ सूचना और प्रतिवेदन जुड़ा हुआ होता है। Open Admin में शुलक प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था है जहाँ शुल्क संदर्भ के अनुसार या एक पूर्व निर्धारित स्लेब या श्रेणी के अनुसार एकत्रित किया जा सकता है।

Open Admin for School की विद्यालय शुल्क प्रबंधन प्रणाली उपभोक्ता के सुविधानुरूप है तथा इसके संचालन में उच्च तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। एक यूजर शुलक ढाँचा तैयार कर सकता है, देय शुलक राशि को अंकित कर सकता है तथा शुल्क प्राप्त कर सकता है। सभी शुलक के लेन–देन को स्वतः प्रणाली में अद्यतन किया जाता है तथा यूजर उद्यतन सूचना की रचना की जाती है तथा किसी भी समय इसे प्राप्त किया जा सकता है।

कुछ प्रणाली में, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है तथा इस प्रकार अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन दोनों को राशि का भौतिक रूप से लेन–देन करने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार बैंक में धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

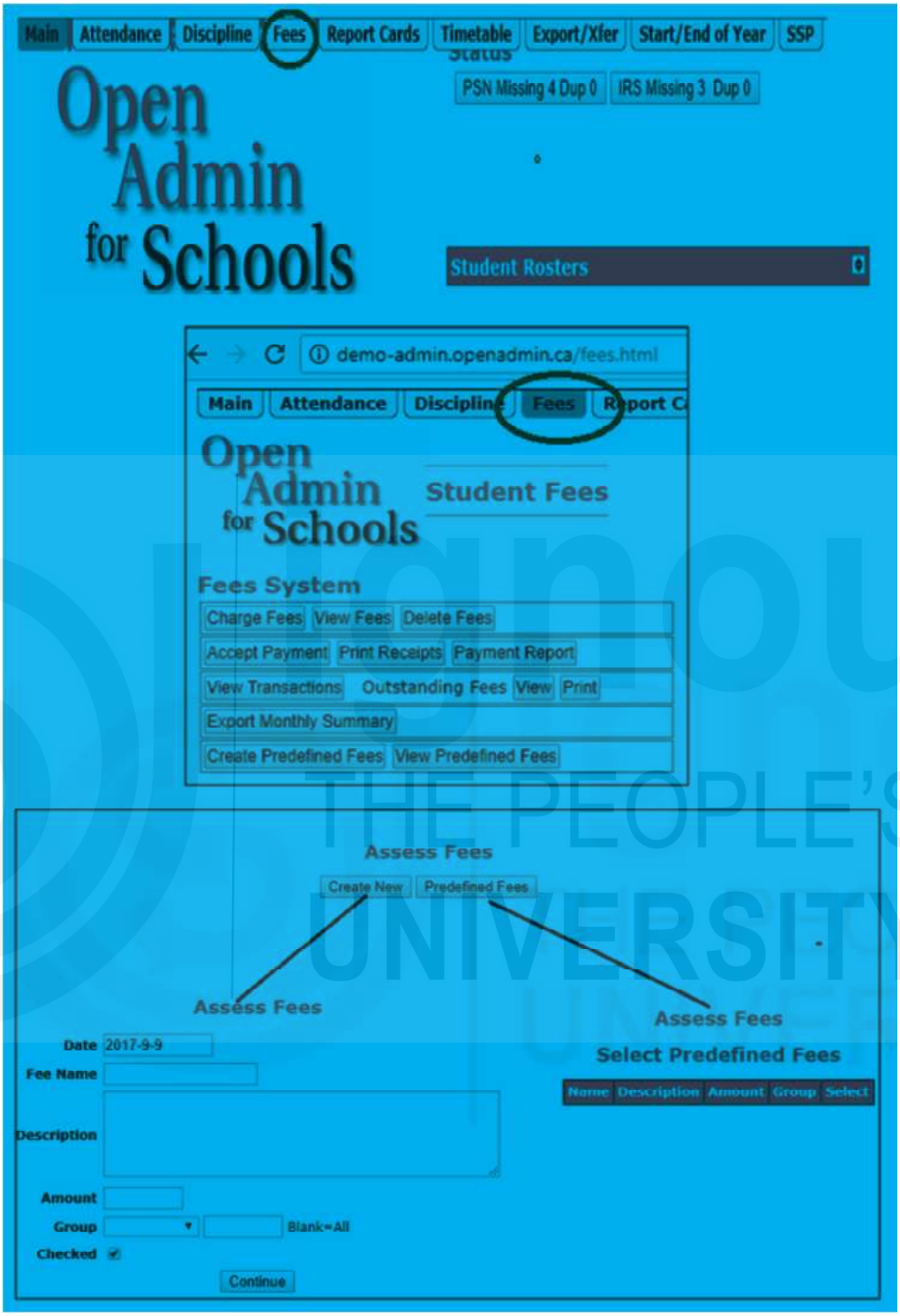

चित्र 16.7: Open Admin for School में फीस प्रबंधन प्रणाली

16.6.2 विद्यालय बजट का प्रबंधन

विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित एक प्रमुख पहलू है, विद्यालय बजट तैयार करना। सुनिश्चित उपलब्ध वित्त विकास योजना के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह उपलब्ध संसाधनों की एक संस्था के प्राथमिक आवश्यकताओं हेतु आवंटन की प्रक्रिया है। बजट योजना प्रक्रिया का हिस्सा और उत्पाद है। चूँकि बजट व्यय करना एक वैधानिक मुद्दा है अतः

बजट को व्यय करने की जिम्मेदारी विद्यालय के सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्वहन किया जाना चाहिए। विद्यालय बजट तैयार करना विद्यालय प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। एक विद्यालय के लिए, योजना और विद्यालय के गतिविधियों का मूल्यांकन दोनों के लिए विद्यालय बजट तैयार करना महत्त्वपूर्ण है। यह अनुदेशात्मक योजना के साथ विद्यालय लक्ष्यों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए एक क्रियाकलाप जो अनुदेशात्मक योजना पर आधारित है के लिए बजट प्रावधान, संसाधन तथा क्रियाकलाप के आयोजन हेतु ढाँचा के लिए, की आवश्यकता होगी। अनुदेशात्मक लक्ष्यों और वित्तीय योजना के मध्य जुड़ाव प्रभावकारी बजटिंग के लिए महत्त्वपूर्ण है।

विद्यालय बजट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जैसे 'विद्यालय बजट प्रोग्राम' यह विद्यालय की विभागीय बजट आवंटन से संबंधित कार्य की जानकारी उपलब्ध कराता है तथा अलग–अलग अध्यापकों के मध्य कार्य की वितरित किया जाता है। इसे विद्यालय के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है इसमें विभाग बजट के प्रबंधन और उसके ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। **SBS ऑनलाइन** शिक्षा के लिए एक और बजट प्रबंधन उपकरण है। यह क्लाउड आधारित सुरक्षित बजट प्रबंधन प्रणाली है, इसमें बजट योजना एवं मानिटरिंग का समावेश है। इसमें योजना, प्रतिवेदन तैयार करने, तनख्वाह, बजट मानिटरिंग के लिए प्रावधान है। इसमें जरूरत के अनुसार परिवर्तन करने की भी सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर **HCSS Budgeting** है जिसे विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत वित्त विशेषज्ञ के लिए डिजाइन किया गया है तथा विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को उनके धनराशि को किस प्रकार उपयोग करना है, की योजना बनाने मे सहायता करता है। इसका उपयोग अगले पाँच वर्षों के लिए बजट पूर्वानुमान (फोरकास्ट) के लिए किया जा सकता है तथा विद्यालय को परिवर्तनीय परिस्थितियों जैसे वित्तीय प्रावधान में कटौती या स्टाफ के खर्च में वृद्धि के लिए योजना बनाने में सहायक है। विद्यालय और शिक्षण संस्थान बजट के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते है। HCSS बजटिंग बहुत आसानी से HCSS एकाउन्टिंग से जोड़ा जा सकता है। वित्त संबंधी टीम योजनाबद्ध व्यय, योजना के अनुसार धनराशि को खर्च किया जा रहा है या नहीं, का पता लगा सकती है।

16.6.3 एकाउन्टिंग (लेखा प्रबन्धन)

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) एक अन्य क्षेत्र है, जिसका एकाउन्टिंग में महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग है। वित्तीय गतिविधियों का एक प्रमुख कार्य एकाउन्ट प्रबंधन है। यह वित्तीय लेन देन का उचित रूप से अभिलेख रखने और सटीकता के साथ व्यय राशि का पता लगाने हेतु एक व्यवस्थित प्रणाली के विकास में सहायता करता है। हाथ से लेजर बुक और कैश बुक में लेन देन को अंकित करने के प्रचलन को कम्प्यूटर के इस्तेमाल ने पीछे छोड़ दिया है। एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो प्रत्येक वित्तीय लेने देन का हिसाब किताब रखता है तथा जब भी जहाँ भी आवश्यकता हो, प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करता है।

कई प्रकार के एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। एक एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर बैंक लेन देन से संबंधित सभी आँकड़ों तथा विद्यार्थियों से एकत्रित शुलक या कोई भी खर्च, का संग्रहण और प्रबंधन करता है। एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर माड्यूल द्वारा वाउचर के विवरण, अग्रिमधन, सकल आय तथा व्यय को सटीकता के साथ सम्भालता है। एक विद्यालय एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर आसानी से विद्यार्थी शुलक, कर्मचारी खर्च, विद्यालय खर्च तथा सभी वित्तीय गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यह लेखा प्रबंधन के लिए एक प्रभावकारी हल उपलब्ध कराता है।

GnuCash एक व्यक्तिगत तथा लघु उद्योग वित्तीय एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क रूप से GNU GPL के अनतर्गत लाइसेन्स प्राप्त है तथा GNU/Linux के लिये उपलब्ध है। यह शक्तिशाली तथा लचीला है तथा आसानी से उपयोग किया जा सकता है। GnuCash में बैंक एकाउन्ट, स्टाक, आय और व्यय का हिसाब किताब रखने की सुविधा उपलब्ध है। यह चेकबुक रजिस्टर की भांति उपयोग करना आसान है यह बैलेंस बुक और सटीक प्रतिवेदन को सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेशनल एकाउन्टिंग सिद्धान्त पर आधारित है। यह GIF/OFX/HBC की विशेषताओं से युक्त है, इम्पोर्ट, लेन देन मिलान, रिपोर्ट, ग्राफ, निर्धारित लेन देन, वित्तीय गणना, डबल–इंट्री एकाउन्टिंग, स्टॉक/बान्ड/मुचुअल फंड एकाउन्ट, लघु–उद्योग एकाउन्टिंग, ग्राहक, वेन्डर, जाब, इनवाइस, A/P, A/R. आदि इसमें समभव है। इसे https://www.schoolforge.net से डाउनलोड किया जा सकता है।

SQL-ledger RQERP निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है जो कि डबल एन्ट्री एकाउन्टिंग/ERP प्रणाली है। एकाउन्टिंग आँकड़ों को SQL डेटाबेस सर्वर में संग्रहित किया जाता है। प्रदर्शन के लिए कोई भी टेक्स्ट या GUI ब्राउजर का उपयोग किया जा सकता है। संपूर्ण प्रणाली को एकाउन्ट चार्ट के माध्यम से जुड़ा रखा जाता है। वस्तु सूची के प्रत्येक इकाई (आइटम) को आय, व्यय, वस्तु सूची तथा कर एकाउन्ट से जोड़ा जाता है। जब इकाई (आइटम) का क्रय या विक्रय किया जाता है तो एकाउन्ट स्वतः ही अद्यतन हो जाता है।

कई विद्यालय एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडमार्क युक्त सॉफ्टवेयर है जो आसानी से उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ है blackband; school Acounting, Zoho books, My school Accounting; slickPie. इतके निःशुल्क व सशुल्क दोनों स्वरूप उपलब्ध हैं।

16.6.4 संसाधन योजना बनाने और साझा करने हेतु सूचनास एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संसाधन योजना बनाने और साझा करने में उपयोग से सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा के प्रबंधन को आवश्यक बना दिया है। इस बुनियादी ढांचे में हार्डवेयर कासेट, सॉफ्टवेयर, सर्विस, प्रक्रियाएँ, प्रक्रम और मानव संसाधन का समावेश होता है। बुनियादी ढांचा को पृथक नही किया जाता है परन्तु इसके समुचित उपयोग हेतु भौतिक और मानव दोनों वातावरणों में अंतःक्रिया होती है।

भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है ई–पाठशाला। इसे NCERT द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सभी शैक्षणिक ई–संसाधनों, जैसे– पाठ्य पुस्तक, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम, पत्रिकाएँ तथा विविध प्रकार के प्रिंट और नान–प्रिंट सामग्रियों को वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से प्रदर्शित और प्रसारित किया जाता है। यह प्लेटफार्म दो चुनौतियों से अलग–अलग प्रकार के अनुयायी गणों तक पहुँचना तथा डिजीटल अलगाव को दूरकस्य (भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा भाषाई)। यह ई–अन्तर्वस्तु के एक तुलनात्मक गुणवत्ता प्रदान करता है तथा सुनिश्चित करता है कि यह सभी जगह और हर समय उपलब्ध हो। सभी हितधारक, जैसे– विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षाशास्त्री तथा अभिभावक कई तकनीकी प्लेटफार्म जैसे मोबाइल फोन (Android &window प्लेटफार्म) तथा टेबलेट (e-pub के रूप मे) और लैपटाप तथा डेस्कटाप वेब के माध्यम से ई–बुक तक पहुँच सकते है।

NCERT के सभी पुस्तकों को डिजीटिलाइज करके E- पाठशाला पर अपलोड किया जा चुका है। वर्तमान में ई–अन्तर्वस्तु हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से भारतीय भाषाओं सभी पाठ्यपुस्तकों को क्रमिक रूप से इस प्लेटफार्म के माध्यम से डिजीटलाइज और साझा करने के लिए बातचीत की जा रही है। ई–पाठशाला का वेब पोर्टल और मोबाइल एप दोनों में सभी के उपयोग हेतु उपलब्ध है (http://mhrd.gov.in/ICT-Initiatives-e-pathshala)

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रबंधित विद्यालय प्रक्रियाएँ

जैसा कि उपर्युक्त भागों में चर्चा की जा चुकी है कि विद्यालय को उनके बेहतर प्रशासन और प्रबंधन हेतु, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए अर्थात ई–गर्वेनेन्स को अपनाये या इसमे दक्ष हो।

यह कई विद्यालय प्रशासन प्रक्रियाओं का स्वचालन करेगा तथा इस प्रकार इसके क्रियान्वीकरण हेतु क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। विद्यालय आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि बेहतर और उचित योजना बनायी जा सके। यह व्यापक, होना चाहिए। MIS में सभी संसाधनों का सभी विवरण होगा ताकि उनका उपयोग और साझीकरण किया जा सके। लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) विद्यालय प्रक्रिया को स्वचालित करने में सहायता कर सकता है। विद्यालय लोकल एरिया नेटवर्क कई ऑफिस प्रक्रियाओं, जैसे– रिकार्ड का रखरखाव, विद्यार्थी संबंधी प्रक्रिया, संसाधन निर्धारण योजना, आवंटन तथा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग को स्वचालन करने में सहयोग करेगा। इससे समय, कीमत और प्रयास में बचत किया जा सकती है।

इन विद्यालय आधारित MIS को 'state wide web' आधारित विद्यालय शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली से जोड़ा जायेगा। तत्पश्चात् इसे राष्ट्रीय स्तर पर वेब नेटवर्क से जोड़ा जायेगा, जहाँ पर अध्यापक, विद्यार्थी विद्यालय प्रबंधक और समुदाय संसाधन, अंतर्वस्तु और टूल्स के डिजीटल स्वरूप को साझा करने, सहयोग करने के लिए भाग लें। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक विकास और सतत् शिक्षा प्लेटफार्म, निर्देशन, परामर्श और विद्यार्थी सहायक अन्य सेवाओं को भी साझा कर पायेंगे।

इस प्रकार संयुक्त विद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (School MIS) एकल खिड़की पोर्टल के रूप में उभरेगा जहाँ माध्यमिक विद्यालय प्रणाली से संबंधित सभी संसाधन और अन्य सूचनाएँ सभी के पहुँच में होगी तथा इससे सभी लाभान्वित होंगे।

इस प्रकार का एक प्रबंधन और सूचना प्रणाली (MIS) शोध और विश्लेषण गतिविधियों तथा साथ ही योजना और निति संबंधी मुद्दों में भी सहायता करेगी। MIS सूचना, अन्तर्वस्तु और संसाधनों को सार्वभौमिक पहुँच हेतु सहज बनाता है।

माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (CBSE) ने एक सहायता प्रणाली का विकास किया है जिसे **'सारांश'** नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यालय और माता–पिता, अभिभावक के साथ अन्तःक्रिया को बेहतर बनाकर बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाना है। यह सहायता प्रणाली उन्हें उनके बच्चों के भविष्य के लिए श्रेष्ठ निर्णय लेने में मदद करता है।

यह उपकरण विद्यालय को उपलब्ध आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्यचर्या में उन बिन्दुओं की पहचान करने में मदद करता है जहाँ सुधार की आवश्यकता है तथा परिणाम की तुलना करके परिवर्तन को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने मे सहायता करता है।

2015 में सारांश के लिए मोबाईल एप भी जारी किया गया। इसके माध्यम से अभिभावक और विद्यार्थी अपने परिणाम को विद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में देख व तुलना

कर सकते है। वस्तुतः 'सारांश' को 2015 में 'सरकार द्वारा शिक्षा में श्रेष्ठ पहल' के लिए ई–इंडिया पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। (http://mhrd.gov.inj/ICT-Iritiatives-Saransh)

एक अन्य पहल 'I-share for India' है। शिक्षक शिक्षा और विद्यालय के लिए शैक्षणिक संसाधन के सृजन के लिए यह पहल की गई है। इसमें मोबाईल एप/वेबआधारित किसी भी भारतीय भाषा मे शिक्षक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा के ICT सहायक संसाधनों का समावेश है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

सही उत्तर का चयन करें।

5) ई–पोर्टफोलियो का उपयोग कर सकते है :

v) आकलन

ब) विकासात्मक हेतु

स) प्रदर्शन हेतु

द) उपरोक्त सभी

6) ई–पोर्टफोलियो सृजन उपकरण है :

v) Mahara

ब) Skype

स) Kaizala

द) उपर्युक्त सभी

7) निम्न मे से कौन शैक्षणिक आकलन के लिए नही है?

v) Hot Potato

ब) Audacity

स) Rogo

द) eXelearning

8) निम्न में से कौन शैक्षणिक संसाधन के सृजन के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल है?

v) I-Djstr

ब) Saransh

स) Shala Darpan

द) GIS mapping

16.7 प्रभावकारी प्रबंधन के लिए अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थियों के ऑनलाइन समुदाय की रचना

यह सही कहा गया है कि अभिभावकों और अध्यापकों के मध्य सतत् अन्तःक्रिया एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए इन दो स्तम्भों के मध्य संवाद विद्यार्थी के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए विद्यार्थी के विकास से संबंधित प्रक्रियाों और विकास स्तर को अभिभावकों के साथ साझा करने से उनमें जागरूकता व समझ बढ़ती है तथा वे अपने बच्चों के विकास और वृद्धि से अधिक जुड़ाव महसूस करते है। इससे उनमें अपने बच्चों के अधिगम और विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकार अध्यापक और विद्यालय तथा अभिभावकों के मध्य संवाद और अन्तःक्रिया बच्चे के वृद्धि और विकास के दो स्तम्भों के मध्य विश्वसनीय संबंध स्थापित करने के लिए अतिआवश्यक है। इससे अभिभावकों में विद्यालय में सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर उपलब्ध होता है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अध्यापक और अभिभावक के मध्य संवाद लम्बे समय से रहा है परन्तु यह मासिक या पाक्षिक शिक्षक–अभिभावक संघ (PTM) के माध्यम से ही होता रहा है। यह अध्यापक और अभिभावकों के मध्य एक बार संवाद स्थापित करने का समय होता था तथा सतत् संवाद की या नियमित संवाद की कमी थी। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) के आगमन के साथ स्थिति मे काफी परिवर्तन हुआ है। अध्यापक और अभिभावक के मध्य सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) के विविध साधनों पर सतत् चर्चा प्रारम्भ हुई है। इसने अभिभावकों में विद्यालय के गतिविधियों में रूचि और संलग्नता को बेहतर किया है। विद्यालय संप्रेषण के तकनीकी साधनों के इस्तेमाल में विद्यालय अधिक से अधिक समय, धनराशि और ऊर्जा व्यय कर रहे है। मोबाईल, इंटरनेट, कम्प्यूटर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस प्रकार उनका उपयोग हमारे मध्य बेहतर संवाद स्थापित करने मे सहायता कर रहे है। घर और विद्यालय में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार अध्यापक और अभिभावक इलेक्ट्रानिक संप्रेषण उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे है तथा उपयोग करने में दक्षता हासिल कर रहे है। सोशल मीडिया और मोबाइल एप में वृद्धि ने संपर्क और संवाद को लगभग त्वरित व तात्कालिक बना दिया है।

इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) ने घर–विद्यालय भागीदारी को सुदृढ़ करने तथा निर्माण करने में सहायता पहुँचायी है, जिससे विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलापों को बेहतर बनाने में हमारी सहायता की है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों और समुदाय में उनके बच्चों के पढ़ाई–लिखाई के प्रति संतोष की भावना में वृद्धि हुई है।

वस्तुतः सभी इस बात पर सहमत है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों की भागीदारी एक प्रमुख कारक है। हालाँकि अभिभावकों की भागीदारी विविधता लिये हुए है। कही भागीदारी बहुत कम या नहीं के बराबर है तो कही अत्यधिक भागीदारी है। एक अध्यापक विविध प्रकार के अभिभावक भागीदारी के मध्य संतुलन बनाये ताकि विद्यार्थियों को चाहे वह घर हो या विद्यालय हर स्थान पर सीखने के लिए प्रेरित किय जा सके।

अभिभावक और विद्यालय के मध्य संवाद स्थापित करने के कई तरीके है। आमने सामने बैठकर बात–चीत की जा सकती है या पत्राचार के माध्यम से, या अन्य साधन जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। आइए पहले अध्यापक या विद्यालय और अभिभावक के मध्य संवाद के क्षेत्र को समझने का प्रयास करते है।

- अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि बच्चों ने विद्यालय मे जो ज्ञानार्जन किया है उसे सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षित, स्वस्थ अधिगम वातावरण उपलब्ध कराये। इससे विद्यालय में अर्जित ज्ञान को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है तथा बच्चे अधिक सहजता के साथ सीखते है। विद्यालय अभिभावकों को घर पर स्वस्थ अधिगम वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करने के लिए परामर्श सत्र, गोष्ठी का आयोजन करते है। इसके अतिरिक्त विद्यालय को अभिभावकों को उनके बच्चों के दत्तकार्य और गृह कार्य में संलग्न होने के लिए प्रेरित करने के तरीकों को भी ढूँढना चाहिए।
- विद्यालय के कार्यक्रमों की समयवार सूची अभिभावकों को उपलब्ध समय–समय पर कराना चाहिए जिससे वे विद्यालय के कार्यक्रमों के बारे में जान सके और बच्चों की प्रगति पर नजर रख सके।
- अभिभावकों को बच्चों के विद्यालय के विविध क्रियाकलापों जैसे कैरियर संबंधी बातचीत, बच्चों के समग्र विकास में विद्यालय के प्रयास को बेहतर बनाना, में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- अभिभावकों को निर्णय लेने तथा विद्यालय के संचालन में संलग्न होने के लिए भी प्रावधान है।

अभिभावक, विद्यालय और समुदाय के मध्य संवाद स्थापित करने और परस्पर सहयोग करने में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध है और इनमें से कुछ उपकरणों के बारे में आप अवश्य जानते होंगे जिनका उपयोग अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी संप्रेषण और सहयोग के लिए सतत् रूप से कर रहे है। आइये इनमें से कुछ उपकरणों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते है :

SMS और त्वरित संदेष प्रेशण : इन दिनों विद्यालय अभिभावकों को उनके बच्चों की उपस्थिति का विवरण SMS के माध्यम से पहुँचा रहे है। इससे अभिभावकों को जानकारी मिलती है कि उसका बच्चा विद्यालय में उपस्थित है या विद्यालय से अनुपस्थित है या विद्यालय पहुँचा ही नहीं। यदि सभी अभिभावाकों को एक समान संदेश भेजना है तो सामूहिक रूप से सभी अभिभावाकों को SMS किया जा सकता है अन्यथा आवश्यकता और संदर्भ के अनुसार व्यक्तिगत SMS भेजा जा सकता है।

आजकल अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थियों के मध्य त्वरित संदेश प्रेषण सेवा जैसे 'WhatsApp' का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सरलता और संप्रेषण की विशेषता अभिभावाकों को संदेश भेजने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। WhatsApp समूह ने पहले से ही सूचना आदान प्रदान और किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी के लिए एक सामूहिक समुदाय प्लेटफार्म बना दिया है।

वेबसाइट या ब्लॉग : वर्तमान में सभी CBSE विद्यालय के लिए अपनी स्वयं का वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य है। विद्यालय संबंधी आवश्यक जानकारी जैसे– संपर्क सूचना, उद्देश्य, मूलभूत सुविधाएं विद्यालय नियम, समय सारणी, कार्मिकों की सूची, इत्यादि को विद्यालय वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है। वेबसाइट पर विद्यालय के मासिक और वार्षिक कैलेण्डर को प्रदर्शित करना चाहिए ताकि अभिभावकों व हितधारकों को उपयोगी जानकारी, जैसे– विद्यालय भ्रमण, शिक्षक अभिभावाक गोष्ठी, पारस्परिक मिलन संध्या, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों संबंधी चित्र, इत्यादि प्राप्त हो सके।

स्वयं का वेबसाइट विकसित करने के अतिरिक्त कुछ विद्यालय गूगल और वर्ड प्रेस द्वारा उपलब्ध निःशुल्क ब्लागिंग सेवाओं को उपयोग करते है। इनके माध्यम से विद्यालय ब्लाग तैयार करते है तथा नियमित रूप से महत्त्वपूर्ण सूचना अध्यापक, विद्यार्थी और जन साधारण में प्रसार हेतु उपयोग किया जाता है।

ई–मेल सेवाएँ : ई–मेल ने पत्र भेजने व प्राप्त करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इसने पत्र भेजने व प्राप्त करने के समय को अत्यधिक कम कर दिया है। विद्यालय अभिभावकों का ई–मेल आई डी का एक डेटाबैंक तैयार करते है तथा नियमित रूप से सूचना व अद्यतन भेजते है। यह उन अभिभावकों के लिए लाभप्रद है जो वेबसाइट पर ब्लाग का उपयोग नहीं करते है। प्रवेश के समय कक्षा अध्यापक ई–मेल आई डी एकत्रित कर सकते है तथा उसे अद्यतन करते रहते है और कामन डेटाबेस पर अन्य के साथ साझा करते है।

कुछ विद्यालय ई–समाचारपत्र का उपयोग करते हैं, जिसे सभी अभिभावकों को भेजा जाता है। इसके दो लाभ है, पहला, समाचारपत्र तैयार करने में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिसके कारण वे सूचना एकत्रीकरण, स्क्रीनिंग, संपादन, निर्माण, लेखन, इत्यादि कौशल का अर्जन करते है, तथा दूसरा, विद्यालय मे हो रही गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को सूचित किया जाता है।

ई–मेल का उपयोग अध्यापक भी कर सकते है जब कभी उन्हें अभिभावकों या और विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग सुखद समाचार तथा बच्चों द्वारा सामना किये जाने वाले समस्याओं दोनों की सूचना देने के लिए किया जा सकता है।

ई–मेल का लाभ यह है कि इसे LMS के साथ जोड़ा जा सकता है तथा अधिगम पर चैट व चर्चा समूह पर बच्चे का विचार विमर्श और योगदान को अभिभावकों के ई–मेल पर भेजा जाता है।

अधिगम प्रबंधन प्रणाली (LMS) तथा आभासी अधिगम वातावरण (VLEs)

LMS जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से ऑनलाइन संगठित शिक्षण–अधिगम क्रियाकलापों और अन्तर्वस्तु का प्रबंधन करता है। LMS के पास अपना स्वनिर्मित संप्रेषण माड्यूल होता है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी अन्तःक्रिया करते है तथा जिसे अभिभावक घर पर निरीक्षण कर सकते है। MOODLE एक बहुत पसंदीदा मुक्त स्रोत LMS है। आप MOODLE के वेबसाइट www.moodle.org से इसके विशेषताओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते है। कई विद्यालय LMS का उपयोग विद्यालय में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के बारे में अभिभावकों को सूचित करने के लिए कर रहे है। विद्यालय MOODLE का उपयोग अभिभावकों को उनके बच्चो के कक्षाओं में शिक्षण–अधिगम घटनाक्रम के बारे जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कर रहे है।

VLE एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे ऑनलाइन अधिगम वातावरण तैयार करने के लिये डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अच्छे इन्टरनेट संपर्क की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन प्रायः विद्यालय नही करते है परन्तु अन्य कार्य जैसे आकलन, चर्चा समूह तथा दत्तकार्य VLE के माध्यम से किया जाता है। अधिगम विश्लेषण तथा खोजी उपकरणों के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता सही समय पर कर सकते है।

सोशल नेटवर्क : विद्यालय सोशल मीडिया, जैसे– फेसबुक ट्वीटर या इन्सटॉग्राम का उपयोग अभिभावकों से संवाद करने के लिए करते है। चूँकि बच्चे इन माध्यमों का उपयोग करते है, अतः अभिभावक उन साइट पर नजर रख सकते है जहाँ बच्चे सुखःनुभूति प्राप्त करते है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो सदस्यों को सूचना, चित्र, विडियो आदि व्यक्तिगत या समूह में साझा करने में सहायता करता है। प्राइवेसी सेटिंग के द्वारा सदस्यों साझा किये गये सूचना को जनसाधारण के लिए प्रसारित या केवल प्राइवेट रखने के विकल्प का चुनाव कर सकते है। इस प्रकार यह संभव है कि समूह कक्षावार, थीम के अनुसार फेसबुक पेज बनाकर एक दूसरे से सूचना साझा कर सकते है। यह यूजर के सुविधानुरूप साइट है तथा कई अभिभावकों का फेसबुक पर अपना एकाउन्ट है। फेसबुक का उपयोग अभिभावकों को किस प्रकार करना चाहिए इसके लिए रूचिकर वेब साइट है http://facebookfor parents.org/.

मीडिया शेयरिंग

कई साइट है जिसका उपयोग एक दूसरे के साथ मीडिया साझा करने के लिए किया जा सकता है। You Tube एक सबसे पसंदीदा शेयरिंग साइट है जिसका व्यापक उपयोग विडियों साझा करने के किया जाता है। विद्यालय इसका उपयोग अभिभावकों के साथ विविध जागरूक कार्यक्रमों पर बने विडियो को साझा कर सकते है। Pod Cast एक अन्य महत्त्वपूर्ण मीडिया है जिसे दिन प्रतिदिन के कार्य का संपादन करते हुए सुना जा सकता है। विद्यालय संबंधी आडियो कार्यक्रम, अभिप्रेरणात्मक और सूचनात्मक चर्चा को इसके माध्यम से साझा किया जा सकता है। इन्टरनेट पर कई Podcasting साइट उपलब्ध है तथा जिन्हें ढूँढा जा सकता है। इसी प्रकार अध्यापक, प्रबंधक तथा अभिभावक द्वारा प्रस्तुत स्लाइड को Slide शेयरिंग साइट जैसे slidshare के माध्यम से साझा किया जा सकता है। चित्र, जो विद्यालय से संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित हो सकता है नये घटनाक्रम के प्रगति इत्यादि को Wikimedia, flicker या अन्य चित्र शेयरिंग साइट के माध्यम से साझा किया जा सकता है।

ऑनलाइन समूह तथा फोरम : ऑनलाइन समूह या फोरम समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय के निर्माण व संप्रेषण करने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका है। विद्यालय के संदर्भ में, अध्यापक, विद्यार्थी अभिभावक ऑनलाइन समूह का गठन कर सकते है। समुदाय के लोगों तथा अभिभावकों से संवाद स्थापित करना फोरम और ई–मेल समूह जैसे गूगल समूह या याहू समूह ने आसान बना दिया है। विद्यालय गूगल या याहू की सेवाओं का उपयोग करके अभिभावकों हका एक विशिष्ट समूह तैयार कर सकते है जिसके माध्यम से एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है। समूह के सदस्यों के साथ फाइल साझा करना भी संभव है।

इस प्रकार उपर्युक्त सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों का उपयोग एक समुदाय का सृजन करने के लिए किया जा सकता है जो विद्यालय, घर और समुदाय मे अधिगम को सहज बनायेगा।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

9) MOODLE है

v) ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल

ब) मुक्त स्रोत अधिगम प्रबंधन प्रणाली

स) बजटिंग सॉफ्टवेयर

द) सुरक्षा उपकरण

10) VLE का विस्तृत रूप है

v) Value Loaded Environment

ब) Virtual Learning Eercise

स) Value Learning Environment

द) Virtual Learning Environment

11) निम्न मे से कौन एक सोशल मीडिया टूल नही है?

v) WhatsApp

ब) Facebook

स) FETA

द) Instagram

16.8 सारांश

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) शैक्षणिक प्रणाली अर्थात् विद्यालय प्रबंधन के प्रभावी संचालन को बेहतर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रबंधन में प्रमुख रूप से पाँच कार्यक्षेत्र का समावेश होता है। ये कार्यक्षेत्र है– योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। इसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। शैक्षणिक प्रबंधन हेतु बहु–कौशल से युक्त प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग शैक्षणिक प्रबंधन के तीन प्रमुख क्षेत्रों उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थी संबंधी : जैसे– प्रवेश, अध्यापक संबंधीः शिक्षण–अधिगम क्रियाकलाप तथा विद्यालय संबंधी कार्य; जैसे– भर्ती और कार्य आवंटन। विद्यालय प्रबंधन में कई प्रक्रियाओं का समावेश होता है जैसे– योजना बनाना, बजटिंग, एकाउन्टिंग, समयसारणी तैयार करना, विद्यार्थियो से शुल्क एकत्रित करना, स्टाफ प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, अभिभावक और समुदाय से संवाद। कई विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जैसे– Fekars, TS school, Fedena, School Tool, Open Admin for School जो सूचनाओं को व्यवस्थित करने तथा सूचना निष्कर्षण में सहायता करता है। भारत सरकार ने एक पहल की है ''शाला दर्पण'' जो कि ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत निर्मित किया गया विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। Enterprise Resource Planning (ERP) किसी भी प्रणाली के सूचारू रूप संचालन में सहायता करता है। इसके कई लाभ है जैसे प्रभावी लागत, आंकड़ों का बेहतर व्यवस्थीकरण, आंकड़ों की सुरक्षा, मूलभूत प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन, प्रबंधन सहजता, शैक्षणिक सहायक। वस्तुतः विद्यालय रिकार्ड सूचना एकत्रीकरण, संग्रहण, निष्कर्षण, उपयोग प्रसार, संप्रेषण को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से प्रसार और परिवर्तन निर्णय लेने तथा विद्यालय प्रणाली में समस्या समाधान की योग्यता से संबंध रखता है। विद्यालय रिकार्ड के रखरखाव में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय प्रबंधन के कार्य संपादन को सहज और बेहतर बनाने में सहायता करता है। कार्यक्रम सूची तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर गूगल कैलेण्डर सह–कर्मचारियों के गोष्ठी और कार्यक्रम

निर्धारित कर सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पुराना कैलेण्डर एप्लीकेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का उपयोग स्व आँकलन तथा आवधिका आँकलन के लिये किया जा सकता है। कई सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरण उपलब्ध है जिसका उपयोग ऑनलाइन आँकलन डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) वित्तीय प्रबंधन जैसे बजटिंग, एकाउन्टिंग के लिए भी बहुत उपयोगी है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरण जैसे सोशल मीडिया, ई–मेल अभिभावकों और अध्यापकों के ऑनलाइन समुदाय का सृजन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

16.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- Geoffrey Crisp (2011).Teacher's Handbook on e-Assessment. Australian Learning and Teaching Council Ltd, an initiative of the Australian Government retrieved from http://transformingassessment.com/sites/default/files/files/Handbook_for_teachers.pdf
- Redecker Christine (2013). The Use of ICT for the Assessment of Key Competences. Luxembourg: Publications Office of the European Union retrieved from https://www.academia.edu/6470937/The_Use_of_ICT_for_the_Assessment_of_Key_Competences
- Open Admin for Schools retrieved from https://www.schoolforge.net/education-software-download/open-admin-schools

16.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) i) असत्य
   ii) सत्य
   iii) असत्य
   iv) सत्य
2) संचयी अभिलेख
3) वस्तुओं के नाम, मात्रा, क्रय तिथि, सप्लायर का नाम, क्रय आर्डर विवरण, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
4) MSAccess, MySQL

1) (द)
2) (अ)
3) (ब)
4) (अ)
5) (ब)
6) (द)
7) (स)